मासिक शिविरा पत्रिका

वर्ष : 58 | अंक : 10 | अप्रैल, 2018 | पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹15

जल है तो जीवन है

सत्यमेव जयते

वासुदेव देवनानी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा
एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

दायित्व निर्वहन : ऋण मुक्ति

शैक्षिक कैलेण्डर के लिहाज से अप्रैल माह बहुत महत्त्वपूर्ण है। वर्ष भर किए गए कार्यों का मूल्यांकन एवं नवीन सत्र के लिए नियोजित कार्यक्रम तैयार करने की दृष्टि से इस माह का विशेष महत्त्व है।

माह के प्रथम सप्ताह में बोर्ड परीक्षा की समाप्ति एवं स्थानीय परीक्षाओं की शुरूआत, साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य जहाँ शिक्षक साथियों की व्यस्तता को बढ़ाएगा वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी परीक्षा के दबाव से मुक्त होकर भविष्य की नयी योजनाएँ बनाकर नए सपने पाल रहे होंगे। समस्त छात्र-छात्राओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भविष्य के ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हो, आप संघर्ष की सामर्थ्य बढ़ा कर समर्थ बन सकते हो, भावी जीवन का निर्माण आप स्वयं को करना है लेकिन नींव यहीं तैयार हो रही है इस नींव को जितना मजबूत कर सको, आपको करना है। आपका दृढ़ इरादा और इच्छा शक्ति, आपकी लगन और निष्ठा तथा आपकी मेहनत और हौंसला हमारे राष्ट्र को सामर्थ्यवान, चरित्रवान, सुनागरिक प्रदान करेगा।

अपने राष्ट्रीय एवं सामाजिक दायित्वों का सम्पूर्ण निर्वहन कर आप राष्ट्रीय एवं सामाजिक ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्र एवं समाज आपसे बहुत सी अपेक्षाएँ कर रहा है। आप इन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।

समस्त शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार किसान अपनी अच्छी फसल को देखकर प्रफुल्लित होता है उसी प्रकार आप बच्चों के आने वाले सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम से प्रसन्न होंगे। साथ ही नवीन सत्र के लिए सार्थक और सारगर्भित योजनाएँ बनाकर उनके सम्पूर्ण क्रियान्वयन का क्रम सुनिश्चित करेंगे।

इस माह में 7 अप्रैल को 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' है जिस पर हम सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। 11 अप्रैल को महात्मा फुले जयंती, 13 अप्रैल को जलियांवालाबाग स्मृति दिवस, 14 अप्रैल को संघर्ष के पुरोधा और भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती, 17 अप्रैल को 'हिन्दुआ सूरज एवं भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक' शिवाजी की जयंती, 18 अप्रैल को परशुराम जयंती (अक्षय तृतीया) है, 20 अप्रैल को आद्य शंकराचार्य जयंती, संत सूरदास जयंती एवं 30 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा है। इन सभी के स्मरण के साथ उनके बताए आदर्शों पर चलने का हम संकल्प लें। इसके अतिरिक्त 18 अप्रैल को पुरातत्व, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस भी है। इन पर भी सार्थक चर्चा अपेक्षित है।

समस्त शिक्षकों, छात्र-छात्राओं तथा अभिभावकों को पूरे सत्र का मूल्यांकन करने के साथ-साथ नवीन सत्र की अग्रिम शुभकामनाएँ।

(वासुदेव देवनानी)

"अपने राष्ट्रीय एवं सामाजिक दायित्वों का सम्पूर्ण निर्वहन कर आप राष्ट्रीय एवं सामाजिक ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्र एवं समाज आपसे बहुत सी अपेक्षाएँ कर रहा है। आप इन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। समस्त शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार किसान अपनी अच्छी फसल को देखकर प्रफुल्लित होता है उसी प्रकार आप बच्चों के आने वाले सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम से प्रसन्न होंगे। साथ ही नवीन सत्र के लिए सार्थक और सारगर्भित योजनाएँ बनाकर उनके सम्पूर्ण क्रियान्वयन का क्रम सुनिश्चित करेंगे।"

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते -श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।

In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 58 | अंक : 10 | वैशाख २०७५ | अप्रैल, 2018

प्रधान सम्पादक
नथमल डिडेल

वरिष्ठ सम्पादक
डॉ. राजकुमार शर्मा

सम्पादक
गोमाराम जीनगर
मुकेश व्यास

सह सम्पादक
सीताराम गोदारा

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ **15**

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
फैक्स : 0151-2201861
E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in
shivirasecedubkn@gmail.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **-वरिष्ठ संपादक**

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- शिक्षा : जीवन दृष्टि 5

आलेख

- आधुनिक भारत के निर्माता : महात्मा फुले और डॉ. अम्बेडकर 6
  विजय सिंह माली
- भक्ति काल के नीति नक्षत्र-सूरदास 8
  विनोद कुमार भार्गव
- बच्चे और किताबों की दुनिया 11
  दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश'
- धैर्य सफलता का सोपान है 14
  दीपचन्द सुथार
- English Class XI Examination Preparation-2018 Narration 41
  रमेश चन्द्र दाधीच

रपट

- स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय : राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश तृतीय पायदान पर 43
  मोहन गुप्ता 'मितवा'
- गुरुवंदन एवं पूर्व विद्यार्थी संगम 44
  अभिभूत हुए स्कूल के साथी सखा
  भागीरथ राम
- राजस्थान की प्रथम ATL लैब का शुभारंभ 46
  अनिता चौधरी

मासिक गीत

- चले निरन्तर-विजय वरे! 13
  साभार : **'प्रेरणा पुष्पांजलि'**

स्तम्भ

- पाठकों की बात 4
- आदेश-परिपत्र 15
- विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 38
- शिविरा पञ्चाङ्ग (अप्रैल, 2018) 40
- हमारे भामाशाह 50
- व्यंग्य चित्र-**रामबाबू माथुर** 42, 49

पुस्तक समीक्षा 47-49

- जग दर्शन का मेला
  लेखकः शिवरतन थानवी
  समीक्षक : **सदाशिव श्रोत्रिय**
- हे पुरस्कार! तुझे नमस्कार
  लेखक : पूरन सरमा
  समीक्षक : **नवनीत पाण्डे**

मुख्य आवरण :

नारायणदास जीनगर, बीकानेर।
मो. 9414142641

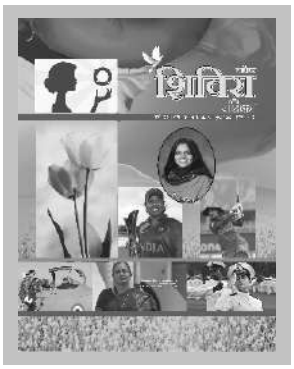

▼ चिन्तन

विस्मरन्ति स्वरूपं ये
त्यक्ता चोत्तरदायिता।
यैः पतन्ति तु पातस्य
गर्ते ते निश्चितं नराः।।

अर्थात-जो आत्म-स्वरूप को भूलते और उत्तरदायित्वों से विमुख होते हैं वे पतन के गर्त में गिरते हैं।

(प्रज्ञो., प्र.मं.अ. 2.27)

पाठकों की बात

- 'शिविरा' पत्रिका मार्च, 2018 का अंक प्राप्त हुआ। दिशाकल्प 'मेरा पृष्ठ' के अंतर्गत 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : हमारा उत्तरदायित्व' के माध्यम से निदेशक महोदय ने शिक्षा के महत्त्व व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में उसके महत्त्व को दर्शाते हुए शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी बनाने का आह्वान किया है, जो सर्वदा अनुकरणीय है। 'विशेष' विद्यार्थियों के साथ संवाद-'मेकिंग एग्जाम फनः चैट विद पीएम मोदी' एक अपूर्व, अद्भुत व उत्प्रेरक संवाद का रूप धारण कर परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में परीक्षार्थियों के लिए भयमुक्त वातावरण निर्मित करने व परीक्षा के बोझ व अन्य जटिलताओं को कम और सहज बनाने में अनूठा बल्कि जादुई प्रयास बन पड़ा है। अन्य लेखों में संदीप जोशी का 'भारतीय नववर्ष-वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आधार' एक ऐसा लेख है, जो नई पीढ़ी को वर्तमान आधुनिक वातावरण में नव वर्ष के प्रारंभिक काल के श्रीगणेश से लेकर सृष्टि की अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाओं (जानकारियों) को सप्रमाण अवगत कराता है। महिला दिवस विशेष 'शिक्षा और साहित्य के विकास में नारी की भागीदारी' आलेख में लेखिका आकांक्षा यादव ने समाज में नारी की श्रेष्ठता व समाज में उनके अनूठे योगदान का वर्णन किया है। अन्य लेखों में प्रतिभा सृजन के अन्तर्गत डॉ. मूलचंद बोहरा का 'बिरवा के होत चिकने पात....' राजेन्द्र कुमार पंचाल का 'शिक्षा के साथ आवश्यक है संस्कार'; 'चारित्रिक विकास में शिक्षा की भूमिका' रामजीलाल घोड़ेला; डॉ. महावीर प्रसाद गुप्ता का पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत 'प्रकृति से करें मित्रवत व्यवहार' भी शिक्षाप्रद व प्रेरणाप्रद बन पड़े हैं।

चन्द्रभान सम्मौरिया, अजमेर

- मैं 'शिविरा' पत्रिका का नियमित पाठक हूँ। मार्च, 2018 की शिविरा पत्रिका PM मोदी जी द्वारा विद्यार्थियों के साथ जो छः बिन्दुओं पर सटीक संवाद किया गया वह दिल को छू गया। नव संवत्सर शुभारंभ को मान्यताओं द्वारा समझाना भी बड़ा सारगर्भित है। जिसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक आधार, प्राकृतिक एवं सैद्धांतिक आधार बड़े प्रेरणाप्रद लगे। 'कन्या भ्रूण हत्या-जघन्य अपराध' है। जिसके तहत लड़का-लड़की में भेद न करने की सीख दी गई है। पत्रिका के सभी आलेख अत्यंत प्रेरणादायी लगे। संपादक मंडल को साधुवाद।

विनोद कुमार शर्मा, बीकानेर

- 'शिविरा' पत्रिका मार्च 2018 का अंक समय पर ही प्राप्त हुआ। मार्च, 2018 के अंक का मुखावरण पृष्ठ नवीन साज-सज्जा के साथ आकर्षक लगा जो महिलाओं को समर्पित है। आज महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बल पर परचम फहरा रही है। 'अपनों से अपनी बात' में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना से समाज के लोगों में सकारात्मक व्यवहारगत परिवर्तन पर संतोष व्यक्त करते हुए आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों को चुनौती के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है, जो प्रशंसनीय है। माह में होने वाली विभिन्न गतिविधियों, उत्सवों आदि में बढ़चढ़ कर भाग लेने का संदेश प्रेरणादायी है। 'दिशाकल्प' में माननीय निदेशक महोदय के मार्च माह में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से सम्बन्धित अपने आह्वान में बोर्ड परीक्षा की गरिमा बनाए रखने तथा शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाए जाने के निर्देश समाज हित में है। गत माह में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 'परीक्षा पर परिचर्चा' का सीधा प्रसारण विद्यार्थियों ही नहीं अपितु शिक्षकों के लिए भी उपयोगी था। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति देश के विद्यार्थियों से संवाद करता है या उनके प्रश्नों के उत्तर देता है तो निस्संदेह ऐसे महान व्यक्ति की नीतियों व विचारों से देश की युवा शक्ति में साहस व उत्साह का संचरण होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की विद्यार्थियों व शिक्षकों के प्रति सकारात्मक सोच का परिणाम है कि प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं। शिविरा में प्रकाशित उनके पूरे संवाद को पढ़कर हर्ष का अनुभव होना स्वाभाविक है। 'नव संवत्सर' पर प्रकाशित आलेख से नव वर्ष के सांस्कृतिक आधार, वैज्ञानिक आधार व अन्य बिन्दुओं के माध्यम से सम्पूर्ण जानकारी प्रभावपूर्ण लगी। 'महिला दिवस' पर 'शिक्षा और साहित्य के विकास में नारी की भागीदारी' आलेख ज्ञानवर्धक लगा। बालिका संरक्षण पर आलेख 'कन्या भ्रूण हत्या' पर सकारात्मक दृष्टिकोण का आलेख है। सरोज लोयल के विचार समाज व बालिका संरक्षण के हित में है।

रामजीलाल घोड़ेला, लूणकरणसर, बीकानेर

- 'शिविरा' माह मार्च 2018 का अंक पढ़ा। श्री संदीप जोशी का लेख 'भारतीय नववर्ष वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आधार' बहुत उपयोगी लगा। पूरे विश्व में काल गणना की सबसे प्राचीन, सटीक एवं वैज्ञानिक काल गणना भारतीय दर्शन में ही देखने को मिलती है जो कि एक सैकण्ड के हजारवें हिस्से से भी छोटे समय से लेकर ब्रह्मा जी की आयु का मापन करती है एवं उसके उपरान्त भी समय को चक्रिक बताती है अर्थात् अनन्त समय तक की गणना का बोध कराती है। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर भी धरती की आयु हमारी काल गणना के अनुसार सटीक एवं प्रामाणिक साबित है। इस विषय पर उत्सव, सेमिनार आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं जिससे विद्यार्थियों को अपनी प्राचीन संस्कृति एवं भारतीय खगोल वैज्ञानिकों के जीवन दर्शन की जानकारी मिल सके। 'शिविरा' के अन्य लेख 'ऐसा देश है हिन्दुस्तान' एवं 'महापुरुषों की जीवनियाँ' ज्ञानवर्द्धक लगे। निदेशक महोदय के 'दिशाकल्प' में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा उत्तरदायित्व' से प्रेरणा मिलने के साथ ही हमारे नैतिक दायित्व का बोध हुआ। संपादक मंडल को साधुवाद।

आजाद कुमार, बीकानेर

सत्यमेव जयते

नथमल डिडेल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

शिक्षा : जीवन दृष्टि

बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन के बाद, हमारे विद्यालय अप्रैल माह में विद्यालयी वार्षिक परीक्षा के आयोजन में प्रवृत्त रहेंगे। विद्यार्थियों द्वारा सत्रपर्यन्त अर्जित ज्ञान के मूल्यांकन के साथ ही नवीन शिक्षा-सत्र के लिए नामांकन और प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आइए, नई ऊर्जा, नये उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ हम नवीन शिक्षा-सत्र में प्रवेश करें। विद्यालय प्रबन्धन, संस्थाप्रधान और समस्त शिक्षक, स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों से मिलकर प्रयास करें कि पढ़ने योग्य प्रत्येक बालक बालिका विद्यालय में प्रवेश ले और राजकीय विद्यालय में मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ प्राप्त करे।

शिक्षा विभाग (स्कूल शिक्षा) अपने प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। शीर्ष स्तर से किए गए भगीरथी प्रयासों के प्रभावी पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन से राजकीय विद्यालयों ने गत सत्र में बोर्ड परीक्षा परिणामों में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। आगामी शिक्षण सत्र में भी नया इतिहास रचना है। हमारे विद्यार्थी आनन्ददायी शैक्षिक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, वे रटने की प्रवृति से दूर रहते हुए विषय और मूल अवधारणाओं को समझते हुए सीखें। उनकी प्रतिभा का स्वाभाविक विकास हो, इस हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं। हमारी पाठ्यपुस्तकों को विषय की समग्र विवेचना के साथ इतना प्रभावी बनाया गया है कि विद्यार्थी किसी अन्य 'शॉर्टकट' की गरज से पासबुक इत्यादि वैकल्पिक साधनों पर निर्भर न रहे। इसीलिए पासबुक के उपयोग को वर्जित करना इस दिशा में ठोस कदम है।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को पुष्ट करने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने की विशेष योजनाएँ संचालित हैं। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की समस्त छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के साथ शिक्षण शुल्क से भी छूट दी गई है। कक्षा 9 में प्रवेशित प्रत्येक छात्रा को साइकिल वितरित की जा रही है। गार्गी पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, पद्माक्षी पुरस्कार, विदेश में स्नातक स्तर तक की शिक्षा सुविधा, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी संचालन से बालिका शिक्षा में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। गाँव ढाणी में भी बालिकाओं को शिक्षित करने की चेतना तीव्र हुई है। आर्थिक पिछड़े वर्ग की सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण से छात्राओं में नया जोश आया है। राजकीय विद्यालय के कक्षा 8,10 और 12 के मेधावी विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण से उनकी प्रतिभा को नये आयाम मिले हैं एवं विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि शिक्षा मनुष्य को जीवन-दृष्टि प्रदान करती है, नई शक्ति देती है, उसमें व्यवहारगत परिवर्तन लाती है। हमारा सौभाग्य है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। राज्य में शिक्षा का सकारात्मक व उत्साहजनक वातावरण बना है इसका उपयोग हम दृढ़ संकल्पित होकर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण ऊर्जा के साथ प्राथमिकता से करें।

हार्दिक शुभेच्छा के साथ.....।

(नथमल डिडेल)

"मेरा स्पष्ट मानना है कि शिक्षा मनुष्य को जीवन-दृष्टि प्रदान करती है, नई शक्ति देती है, उसमें व्यवहारगत परिवर्तन लाती है। हमारा सौभाग्य है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। राज्य में शिक्षा का सकारात्मक व उत्साहजनक वातावरण बना है इसका उपयोग हम दृढ़ संकल्पित होकर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण ऊर्जा के साथ प्राथमिकता से करें।"

जयन्ती

आधुनिक भारत के निर्माता : महात्मा फुले और डॉ. अम्बेडकर

❒ विजय सिंह माली

नये गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है
यह विशाल भूखंड जो आज दमक रहा है
मेरी भी आभा है उसमें

कवि नागार्जुन की ये पंक्तियाँ आधुनिक भारत के निर्माता महात्मा फुले और डॉ. अम्बेडकर पर पूर्णतया खरी उतरती है। महात्मा फुले केवल समाज सुधारक ही नहीं थे अपितु सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे क्योंकि वे समानता की नींव पर शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते थे। वे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। युगपुरुष महात्मा फुले सामाजिक क्रांति के द्रष्टा थे। उन्होंने समाज सुधार का प्रारंभ अपने घर से कर दुनिया के सामने एक उदाहरण रखा। डॉ. अम्बेडकर जी ने उन्हें अपना तीसरा गुरु माना। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी उनके कार्यों से प्रेरणा ली। सचमुच महात्मा फुले पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। ज्योतिराव फुले यानि महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे के गोविन्द राव फुले की धर्म पत्नी चिमना बाई की कोख से हुआ। ज्योतिराव एक वर्ष के भी नहीं हुए कि उनकी माता का देहान्त हो गया। उनकी मौसेरी बहन सगुना बाई ने उनका लालन-पालन किया तथा सेवा व समाज सुधार के संस्कार दिए। मानवतावादी सगुना बाई ने उनके मन पर यह बात अंकित की कि गरीबों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। ज्योतिराव पाठशाला गए और पढ़ाई में अच्छी प्रगति की लेकिन कुछ लोगों ने पिताजी के कान भर पाठशाला छुड़वा दी परन्तु ज्योतिराव की पढ़ाई में रुचि बनी रही, वे पुनः पाठशाला में भर्ती हुए तथा अंग्रेजी सहित कई भाषाओं व साहित्य पर अधिकार कर लिया। 1840 में उनका विवाह सावित्री बाई के साथ हुआ। ज्योतिराव को बचपन से ही गुलामी से चिढ़ थी वे इसे घृणास्पद मानते थे इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह के नायकों से प्रेरणा पाकर स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु प्रख्यात उस्ताद लहुजी सालवे से सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। ज्योतिराव ने कुशल माली की तरह मानवता का

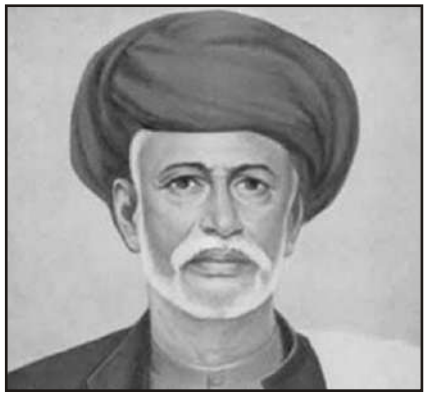

बीज बोया, स्वतंत्रता और समानता का पौधा लगाकर गुलामी की जड़ें उखाड़ना तय किया। इस हेतु सबसे पहले पाठशाला खोलने का निर्णय लिया। उनकी राय थी कि जब तक महिलाएँ शिक्षित नहीं होती तब तक देश का आधा हिस्सा शिक्षित नहीं हो सकता और देश प्रगति नहीं कर सकता। अतः उन्होंने 1848 में पुणे के बुधवार पेठमेभिड़े जी के मकान में पाठशाला शुरु की उस समय उनकी आयु 21 वर्ष थी। गैर सरकारी स्तर पर कन्या पाठशाला शुरू करने वाले वे पहले भारतीय थे। फुले के इस पवित्र कार्य का कतिपय समाजकंटकों ने विरोध भी किया परन्तु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षिका बनाकर इस ईश्वरीय कार्य को जारी रखा। फुले दम्पति को घर से निकाल दिया गया लेकिन स्त्री शिक्षा तो साक्षात ईश्वरीय कार्य है मानने वाले फुले ने एक के बाद एक 18 पाठशालाएँ खोल शिक्षा की अलख जगाई, जिसे अंग्रेजों तक ने सराहा। ज्योतिबा ने पुस्तकालय भी खोला। फुले दम्पति की बढ़ती यश कीर्ति से बौखलाए विरोधियों ने उनकी हत्या के लिए धोडिबा को भेजा परन्तु ज्योतिबा की बातों से उनके भी हृदय परिवर्तित हो गए। दोनों ज्योतिबा के शिष्य बन गए। 1857 की क्रांति में ज्योतिबा के अभिन्न मित्र गणु माली की सहभागिता से अंग्रेज ज्योतिबा फुले से नाराज हुए परन्तु ज्योतिबा फुले ने अपने समाज सुधार के कार्य को जारी रखा। उन्होंने विधवा मुण्डन नहीं करने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करवाया। विधवा का पुनर्विवाह करवाया। विधवाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। सन् 1868 में ज्योतिबा ने अपने मकान में स्थित पानी का कुआं सभी के लिए खोला। 1872 में छुआछूत निवारण घोषणा पत्र जारी कर सभी अछूतों को अपना भाई बताते हुए उनके साथ अन्न जलग्रहण करने की घोषणा की। 1873 ई. में 'गुलामी' ग्रंथ की रचना की। 24 सितम्बर 1873 को पुणे में 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की। ज्योतिबा ने तत्कालीन समाज में प्रचलित देवदासी प्रथा का भी विरोध किया। उन्होंने मद्यपान बंदकर पुस्तकें खरीदने व पढ़ने का जन आह्वान किया।

ज्योतिबा फुले ने लार्ड लिटन के पुणे आगमन पर स्वागत के नाम पर की जाने वाली फिजुलखर्ची का भी विरोध किया। पुणे नगर पालिका के सदस्य के रूप में नगर पालिका के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति की योजना को मूर्तरूप देने का प्रयास किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक की जमानत के लिए भी प्रयास किया। उन्होंने शिवाजी की राजधानी रायगढ़ जाकर शिवाजी की समाधि खोजी जो वर्षों से उपेक्षित पड़ी थी। ज्योतिबा के प्रयासों से ही आज रायगढ़ में सुव्यवस्था दिखाई देती है। सन् 1877 में भयंकर अकाल के समय अन्न सत्र का संचालन किया। 1881 ई. के फेक्ट्री एक्ट में भी ज्योतिबा फुले के प्रयास रंग लाते दिखाई देते है। 1882 में अंग्रेजों द्वारा गठित हंटर आयोग के सामने ज्योतिबा फुले ने सभी बालक-बालिकाओं को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा देने की मांग की। ज्योतिबा फुले ने अच्छे बीज, सुधरेहल, मेड़बंदी व पशुपालन पर बल दिया। बड़ौदा नरेश भी ज्योतिबा फुले के कार्यों से काफी प्रभावित हुए व उन्हें हिन्दुस्तान के 'बुकर टी वाशिगंटन' की उपाधि देने का सुझाव दिया। 1882 में ड्युक ऑफ कनॉट के भारत के आगमन पर पुणे में आयोज्य समारोह में वे किसानों के वेश में ही गए व उन्हें भारत की वास्तविक स्थिति से परिचय करवाया। ज्योतिबा फुले के कार्यों को सराहते हुए महात्मा की उपाधि

दी गई। जुलाई 1888 को उन्हें लकवा मार गया। दायां हाथ बेकार होने पर भी उन्होंने बायें हाथ से लिखकर 'सार्वजनिक सत्यधर्म' ग्रंथ पूर्ण किया। 28 नवम्बर 1890 को तड़के पंचतत्व में विलीन हो गए।

महात्मा फुले ने शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया। उन्होंने 'तृतीय रत्न' नाटक लिखकर शिक्षा का महत्त्व प्रतिपादित किया। शिक्षा के बिना भारतीय समाज का विकास नहीं हो सकता, यह महत्त्वपूर्ण सूत्र उन्होंने प्रतिपादित किया। महात्मा फुले प्रणीत 'सार्वजनिक सत्यधर्म' फुले के विश्व परिवारवाद का घोषणा पत्र है। फुले ने मानव को अपने विचार का केन्द्र बिन्दु मानकर मानव कल्याण का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने अस्पृश्यता को मानव विरोधी बताया तथा सामाजिक गुलामी को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया तथा नारी विरोधी कुरीतियों का विरोध किया। 'किसान का कोड़ा' ग्रंथ में उन्होंने किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया। उनके किसान आंदोलन से अंग्रेजों को डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास करना पड़ा। उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने हेतु सरकार को सकारात्मक सुझाव दिए। फुले ने समाज का प्रबोधन करने के लिए लेखन कार्य भी किए। तृतीय रत्न, पंवाडा छत्रपति शिवजी भौंसले का, गुलामगिरी, सत्सार, चेतावनी, सार्वजनिक सत्यधर्म की रचना की। सचमुच महात्मा फुले ने अपने विचार व कार्यों से आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। आज भले ही वे नहीं रहे परन्तु उनके विचार व कार्य हमारे लिए प्रेरक व अनुकरणीय है।

इसी प्रकार आधुनिक भारत के निर्माताओं में डॉ. भीमराव अंबेडकर भी अग्रणी है। भारतीय संविधान के शिल्पी, भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू (मध्यप्रदेश) में सूबेदार रामजी सकपाल की धर्मपत्नी भीमाबाई की कोख से हुआ। 1900 ई. में सातारा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लिया। भीमराव को शाला तथा सामाजिक व्यवहार से छुआछूत का दंश झेलना पड़ा। सन् 1908 में मुम्बई परिवार स्थानांतरित हुआ। गायकवाड़ द्वारा देय छात्रवृत्ति को पाकर कोलंबिया (न्यूयार्क) से पढ़ाई की तथा 1915 में एम.ए., तत्पश्चात् पीएच.डी. की बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉ. अम्बेडकर ने

'मूकनायक' साप्ताहिक भी शुरु किया। उन्होंने मुम्बई उच्च न्यायालय में वकालत शुरु की। 'बहिष्कृत भारत' पाक्षिक प्रकाशित किया। 1927 में महाड़ (महाराष्ट्र) में तालाब जल के उपयोग के लिए सत्याग्रह किया। 1928 में डिस्प्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। साइमन कमीशन के सामने दलितों का पक्ष रखा। 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश, नासिक के लिए सत्याग्रह किया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 1932 में ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। 1935 में उनकी धर्मपत्नी रमाबाई का देहावसान हो गया। 1937 में उन्होंने म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन संगठित की। 1940 में 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' पुस्तक लिखी। 1942 में 'ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन' की स्थापना की। 1947 में नेहरुजी के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाए गए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। जिसके कारण लोग 'संविधान शिल्पी' भी कहते है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध मत स्वीकार किया। 6 दिसम्बर 1956 को दिल्ली में उनका देहावसान हो गया। उनका अंतिम संस्कार दादर चौपाटी पर किया गया। सन् 1990 में भारत सरकार ने मरणोपरान्त उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया। सचमुच में वे आधुनिक भारत के निर्माता थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्टेट्समेन थे। आधुनिक भारत की संकल्पना और निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का ऐतिहासिक योगदान है। वे कृतिशील विचारक थे। वे प्रागतिक विचारक थे। उन्होंने मार्क्स के वर्गवाद को ठुकराया तथा जाति भेद व अस्पृश्यता को राष्ट्र का अपरिमित नुकसान करने वाला बताया। वे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। वे श्रम हितैषी थे। उन्होंने श्रम मंत्री के रूप में श्रम हितैषी कानून बनाए। उन्होंने शिक्षा को 'शेरनी के दूध' के समान बताते हुए कहा कि जो भी इसे पियेगा वह निश्चित ही शेर की तरह गरजेगा। इसलिए सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। विधि मंत्री के रूप में उन्होंने हिन्दू समाज में सुधारों की प्रक्रिया को अधिकृत स्तर से आगे ले जाने का दृष्टिकोण अपनाया। हिन्दू कोड बिल प्रस्तुत किया। डॉ. अम्बेडकर ने कृषि क्षेत्र में निवेश की वकालत की। उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक साफ-सफाई, स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, आवास आदि को मूलभूत सुविधाओं में शामिल किया। वित्त आयोग की स्थापना, भूमि सुधार, जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को संभवतः पहली बार उन्होंने ही रखा था। डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रहित में अनुच्छेद 370 का मसौदा लिखने से इनकार किया। डॉ. अम्बेडकर सामन्तवादी व्यवस्था के विरोधी थे। वे निष्ठावान राष्ट्रवादी देशभक्त थे। उन्हें भारतीयत्व का अभिमान था। यह उनके द्वारा चलाए गए भारत भूषण प्रेस, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत आदि नाम से ही साफ प्रकट होता है। उन्होंने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। डॉ. अम्बेडकर के सम्पूर्ण चिंतन में समाज में समरसता, परस्पर सद्भाव, सहिष्णुता को स्थापित करने का आह्वान मिलता है। डॉ. अम्बेडकर ने सम्पूर्ण राष्ट्र की विविध समस्याओं का विचार कर समय-समय पर उन समस्याओं को सुलझाने के उपाय भी सुझाए। अर्थनीति, भाषा पर आधारित प्रान्तों की रचना, शिक्षा प्रणाली, जलनीति, विद्युत सम्बन्धित नीति, नदियों के पानी के वितरण की समस्या, पाकिस्तान समस्या इत्यादि कोई भी महत्त्वपूर्ण बात उनकी नजरों से नहीं छूटी। डॉ. अम्बेडकर के विचार आज भी हमारे लिए प्रेरक व अनुकरणीय है।

हे भीमराव हे दिव्य महान
हे युग मानव तुझे प्रणाम।
भारत रत्न विश्व के भूषण
युग - युग तेरे गाए गान।।

प्रधानाचार्य
राउमावि. गुड़ा जाटान, तह.-देसूरी, जिला-पाली
मो: 9829285914

जयन्ती

भक्ति काल के नीति नक्षत्र - सूरदास

❒ विनोद कुमार भार्गव

वाङ्मय की अजस्र बहती सरिता का कालचक्र कभी भंग नहीं होता है फिर भी साहित्य जलधि की रत्नराशि के पारावार के समुचित अध्ययन एवं प्रवृत्ति निर्धारण के लिए अनवरत चलायमान कालचक्र की अवधि का विभाजन किया जाता है। उसी क्रम में हिन्दी वाङ्मय की रचनाशीलता को सुविधा की दृष्टि से चार सोपानों में रखा जाता है–1. आदिकाल 2. भक्तिकाल 3. रीतिकाल 4. आधुनिक काल। इसमें भी हिन्दी साहित्य के स्वर्णयुग की अभिधा भक्तिकाल को दी जाती है। भक्तिकाल में अनेक वाणी जगरानी के नक्षत्रों ने अपनी कुशल आहुतियों के माध्यम से यज्ञाग्नि के तेज को दीप्त बनाए रखा ।

सुविधा की दृष्टि से इन्हें निर्गुण मार्गी व सगुण मार्गी धाराओं में विभक्त कर पुन: दो–दो भागों में बाँटा गया है– निर्गुण मार्गी–1. ज्ञानमार्गी 2. प्रेममार्गी व सगुणमार्गी–1. रामभक्ति 2. कृष्ण भक्ति। इनमें सभी कवियों ने ज्ञान, नीति, भक्ति और शृंगार की रसधाराओं का पान किया है और जगत् उद्धारक माँ शारदा के खजाने को अपने अपने सार्थक अंश समर्पण से बढ़ाने का श्रेय हासिल किया है। इसी दृष्टि क्रम में भक्ति काल में नीति की बात कर अनीति मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने और जनसामान्य को भक्ति का मार्ग दिखाकर सही मार्ग पर लाने का श्रेय सुयश प्राप्त करने वाले लोक भावनाओं के कवि इसी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सूर्य महाकवि सूरदास है।

सूरदास जी के पदों में लीला वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रकृति वर्णन और शृंगार वर्णन पर ही अधिक चर्चा हुई है। निश्चित ही सूरदास जी को इन सभी में महारत हासिल थी जिनका उनके पदों में सांगोपांग वर्णन हुआ है साथ ही साथ सूरदास जी अपने समय की युग चेतना से भी सम्पृक्त नहीं थे। अपने युग व समाज को सही राह दिखाना, नीति तत्वों की सराहना से जन को आत्मबल प्रदान करना भी सूरदास जी की ही विशेषता है।

सूरदास जी के पदों में नीति तत्वों की युगीन चेतना का विशद् स्वरूप उभरकर सामने आता है जो युगों पश्चात् भी प्रासंगिक व उपयोगी सिद्ध होता है। आज के मति विभ्रम मनुष्यों को सही मार्ग दिखाने, सही मार्ग का अनुसरण न करने पर होने वाली दशा का वर्णन कर चेतावनी देने का व जीवन के मूल लक्ष्य को

प्राप्त करने का उपदेश भी सूरदास के पदों में मिलता है।

वस्तुत: सूरदास जी जनभावनाओं के कवि है। उन्हें लोगों के मन की परख थी जैसा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है–''ज्ञान की कोरी वचनावली और योग की थोथी साधनावली का यदि साधारण लोगों में विशेष प्रसार हो तो अव्यवस्था फैलने लगती है।'' उन्होंने कोरे उपदेश नहीं दिए, रूखी सूखी भाषा, ज्ञान के बोझ से दबे शब्दों का संयोजन नहीं किया बल्कि जनसाधारण के कानों को प्रिय लगते हुए हृदय में समा जाने वाले गेय पदों एवं लोकरंजक, लालित्यपूर्ण शब्दों एवं भावों के द्वारा अपनी बात समझाने की चेष्टा कर भटके लोगों को राह दिखाने का कौशल भी सूरदास के पदों में पाया जाता है।

सूरदास जी ने रहीम, वृन्द की तरह से कोई नीति ग्रन्थ का प्रवर्तन नहीं किया है अत: लोकाचार का ज्ञान देने व युक्तियों की कल्पना का यह क्षेत्र सीधे–सीधे अवतरित नहीं हुआ है, परन्तु सूरदास जी के काव्य में नीति तत्वों का सर्वथा अभाव पाया जाये ऐसा संभव नहीं। इसके स्वरूप का अंकन नीति शास्त्रीय ग्रन्थ की भाँति घोषणा युक्त नहीं है। परन्तु कोई भी भाषिक साहित्य हो वह कहीं न कहीं लोक कल्याण की भावना से पूरित होता है चाहे रीतिकालीन आचार्य कवियों द्वारा पांडित्य प्रदर्शन की भावना से रचा साहित्य ही क्यों न हो, सामान्य जन को जिससे सीख ग्रहण कर सार्थक जीवन उपभोग कर सके। निश्चित ही ऐसा साहित्य समाज कल्याण करता है और जब यह स्वीकार्य हो जाए कि उसमें कल्याण की भावना निहित है तो नीति तत्वों के समावेश भी काव्य में स्वत: ही हो जाता है, चाहे उसकी उद्घोषणा न की गई हो।

सूरदास जी के जीवन के सभी कार्यों का सार मोक्ष प्राप्ति है और उसके लिए अधम उद्धारक प्रभु शरण ही एकमात्र उपाय है। उनके गीतों, पदों में भक्ति भाव ही प्रमुख है तथा अन्य सभी अंग शृंगार, नीति आदि सहायक रूप से सिद्ध हुए है । अत: उनके नीति विषयक विचारों को भक्ति भाव के उपांग के रूप में सहज ही देखा जा सकता है।

सूरदास जी को गऊ घाट पर रहने के कारण विविध प्रसंगों को अनुभव करने का अवसर मिला था, इसलिए उन्होंने कई स्थानों पर जीवन के लिए श्रेष्ठ आदर्शों और नीति विषयक विचारों का उल्लेख किया है–

1. जीवन की असारता के सम्बन्ध में नीति विचार:– सूरदास जी ने बालक के गर्भकाल से लेकर बचपन, जवानी, बुढ़ापा सभी अवस्थाओं का वर्णन करते हुए मनुष्य मात्र को सचेत किया है कि इन अवस्थाओं में मनुष्य विषय वासनाओं के कुकर्म में पड़कर अपने इहलोक व परलोक दोनों को बिगाड़ लेता है। अत: लोगों को चेतावनी स्वरूप कहते है कि–

अब मैं जानी देह बुढानी।।
सीस, पांऊ, कर, कह, योन मानत, तन की दशा सिरानी।
आन कहत, आनै कहि आवत, नैन नाक बहै पानी।।
मिटगई चमकदमक अंग अंग की, मति अरू दृष्टि हीरानी।
नहीं रही कुछ सुधि तन मन की, भई जु बात बिरानी।।

2. भोग के सम्बन्ध में नीति विचार:– सूरदास जी ने जीवन को केवल भोग में गंवाने की आलोचना करते हुए उसकी व्यर्थता का वर्णन कर सही नीति पर भक्त से जीवन सुधारने का आग्रह करते हैं–

बृथा सु जन्म गंवैहै
जा दिन मन पंछी उड़ि जैहैं ।
ता दिन तेरे तनु तरवर के सबै पात झरि जैहैं।

अपनी देह पर गर्व नहीं करने व इसके क्षणभंगुर होने का वर्णन करते हुए जन सामान्य की आँखें खोलने का अथक प्रयास सूरदास जी के पदों में मिलता है। वस्तुत: भक्त कवि की विशेषता ही जनकल्याण की भावना का प्रश्रय है–

या देही को गरब न करिये स्यार काग गिध खैंहैं।
तीन नाम तन विष्ठा कृमि हवै नातर खाक उड़ैहैं।।

तब स्नान करना, सजना–संवरना, रंग रूप सभी नष्ट हो जाएगा। मरने के बाद वही लोग तुझसे घृणा करने लगेंगे जिन्हें तु अपना मान कर प्रेम किया करता है–

कहं वह नीर कहं वह सोभा कहं रंग रूप दिखै है।
जिन लोगन सों नेह रितु है तेई देखि घिनै है।।

सामान्य जन जीवन विशेष उद्देश्यहीन था, जनसामान्य का लक्ष्य केवल सांसारिक सुख ही रह जाता है उसी को लक्षित करते हुए उसकी गति के परिणाम का प्रदर्शन कर भूले भटके को सही मार्ग पर लाने के लिए चेतावनी देते हुए स्वयं का उदाहरण बना कर कहते हैं कि–

बालापन खेलत ही खौयो, जुवा विषय रत माते।
वृद्ध भये सुधि प्रगटी मोकों, दुखित पुकारन ताते।।
सुतनि तज्यौ, भ्रात तज्यौ, तन ते त्वच भई न्यारी।
स्रवन न सुनत, चरनगति थाकी, नैन भए जलधारी।।

सुरदास जी निरूद्देश्य जीवन की यर्थाथता को जानकर सामान्य लोक जीवन की दिशा बदलने की तीव्र भावना उनके मन में थी वे कहते हैं कि–

सबै दिन गये विषय के हेत
तीनों पन ऐसे ही खोए, केस भए सिर सेत।
आंखिन अंध स्रवन नहीं सुनियत, बांके चरन समेत।।

3. आचरण के सम्बन्ध में नीति विचार–सामान्य जन के आचरण की आलोचना में रचे पदों में सूर ने विषयों की आसक्ति की निंदा करते हुए अपने मन को संबोधित करते हुए कहा है कि –

सूरदास आपुहि समझावै, लोग बुरौ जनि मानौं।।

वस्तुत: बात को कहने का ढंग ऐसा है कि चेतावनी देने से सामने वाला उखड़ न जाए, अत: सही नीति पर चलने की बात स्वयं का उदाहरण देते हुए कहना ही बुद्धिमानी का कार्य है। बात को इस प्रकार से कहना जिससे सामने वाला उससे सीख ग्रहण कर ले और उसका हृदय भी विदीर्ण न हो, यही सूरदास जी की विशेषता है। तत्कालीन समाज में विभिन्न कपोल कल्पित देवों, भूत–प्रेतों की मान्यताओं को उखाड़ने के बिना काम नहीं चलने वाला है–

गंगा जल तजि पियत, हरि तजि पूजत प्रेत।
मन क्रम वचन जो भजै स्याम को, चारि पदारथ देत।।

संसार के ऐश्वर्य में भटके मानव को काल गति का जरा भी अहसास नहीं होता यदि होता है तो वह निश्चित ही सत्य मार्ग पर चल पड़ेगा अत: बार–बार सूरदास जी उसे आत्मसत्य से परिचित कराना चाहते हैं–

झूठे ही लगि जन्म गवायौ।
भूल्यो कहा स्वप्न सुख मै, हरि सौं चित न लगायौ।
कबहुक बैठ्यौ रहसि–रहसि कै, ढोटा गोद खिलायौ।
कबहुंक फूलि सभा बैठयौ, मूंछनि ताव दिखायौ।
टेढी चाल, पाग सिर टेढी, टेढ़ै–टेढ़ै धायौ।

ऐसे ही सामान्य जन तो क्या संभ्रान्त परिवारों की स्थिति का चित्रण कर चेतावनी देने का कार्य भी सूर ने किया है। सूरदास जी ने राजाओं, कुलीनों, सम्पन्न परिवारों को चेताया है कि घर वैभव के अहंकार व अधिक सुखों की कामना में अपने वास्तविक स्वरूप व कार्य को भूल बैठे हैं –

जन्म साहिबी करत गयौ ।
काया नगर बड़ी गुंजाइस, नाहीं न कछु बढयौ।
हरि को नाम दाम खोटे लौ, झकि झकि डारि दयौ।
विषया गांव अमल को टोटो, हंसि हंसि के उमयौ।
नैन अमीन, अधर्मिनी कै बस, जहां कौ तहां छयौ।
दगाबाज कुतवाल काम रिपु, सरबस लूटि लयौ।

साथ ही साथ राज पुरुषों की हुई विभिन्न समयों में दुर्गति एवं कुकर्मों का फल भुगतना पड़ा था, उस पर प्रकाश डालते हुए चेताते है कि–

इहिं को राजस को न बिगायौ।
हिरनकसिपु, हिरनाच्छ आदि हे, रावण कुंभकरन कुल खोयौ।
कंस केसि चानूर महाबल, करि निरजीव जमुन जल बोयौ।
जज्ञ समय सिसुपाल सु जोधा, अनायास लै जोति समोयौ।

4. लोक व्यवहार के सम्बन्ध में नीति विचार:– इच्छा के भ्रम जाल में साधारण लोग तो क्या राजाओं–महाराजाओं का ही नहीं राज अनुचरों के साथ साथ धर्म अनुचर पंडितों, मुनियों का मन भी डोल उठता है। माया के प्रभाव में सामाजिक प्रतिमानों के खिलाफ भी योग्यजन व्यवहार करते पाये जाते है। ऐसा आज के युग में भी प्रचलित है अत: इसके परिहार की नितान्त आवश्यकता बनी रहती है। महाकवि सूरदास जी ने इसे विशद् रूप से प्रचारित किया है–

यह आसा पाणिनी दहै।
तजि सेवा बैकुंठ नाथ की, नीच नरनि के संग रहै।
जिनकी सेवा देखत दुख उपजत, तिनकौं राजा–राय कहै।
धन–मद–मूढ़नि, अभिमानिनि मिलि, लोभ लिए दुर्बचन सहै।

इस प्रकार से सूरदास जी मानव स्वभाव के व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए बताते है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जरा से धन के लालच में मनुष्य कुबुद्धि, कुकर्मी लोगों की भी चाकरी कर उन्हें बड़े–बड़े नामों से पुकारने लगता है। जन सामान्य के सुरापान को भी लक्षित कर सूरदास जी कहते है कि–

चरनोदक को छांडि सुधा रस, सुरा पान अंचयौ।
कुबुधि–कमान चढाई कोप करि, बुधि तरकस रितयौ।।

सामान्य जन के साथ संभ्रान्त परिवारों को तो सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया ही साथ ही धार्मिक पाखण्ड एवं मति विभ्रमों पर भी चोट करने का कार्य किया–

अपनी भक्ति देहु भगवान।
कोटि लालच जो दिखावहु, नाहिनै रूचि आन।
जा दिन ते जनम पायौ, यहि मेरी रीति।
विषय विष हठि खात,नाहीं डरत करत अनीति।
जरत ज्वाला, गिरत गिर तैं, स्वकर काटत सीस।
देखि साहस सकुच मानत, राखि सकत न ईस।

इसी प्रकार से समाज में व्याप्त पशु क्रुरता की आलोचना करते हुए कहते कि जब एक पशु का जीवन छीना जा रहा है तो क्या उससे दुख उत्पन्न नहीं होगा जबकि आप अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु उसके जीवन को छीनने की कामना कर रहे हो। अत: इस प्रकार की अनीति कभी भी धर्म का अवलम्बन नहीं कर सकती, यह तो निश्चित रूप से नर्क के द्वार पर ले जाने वाला अधर्म ही हो सकता है–

कामना करि कोटि कबहू, किए बहु पसु घात।
सिंह–सावक ज्यौं तजै गृह, इन्द्र आदि डरात।
नरक कूपनि जाई जमपुर पर्‌यौ बार अनेक।
थके किंकर जूथ जम के, टरत टरैं न नेक।

सूरदास जी ने व्यंग्यात्मक कटाक्ष किए है और गोपियों के माध्यम से भी लोक दोषों का

खण्डन किया है। सूरदास जी एक ओर विषयोन्मुख सांसारी प्रवृत्ति, कुचक्रों में तल्लीनता की आलोचना, ऐश्वर्योन्मुखता, जीवन की क्षणभंगुरता दिखाकर लोगों को सही मार्ग पर चलने एवं जन्म मरण के चक्र से निकलने का उपाय भी बताते है–

हरि भजन हरि की शरणागति।

वहीं दूसरी ओर हरि भक्ति का संकल्प लेने वाले साधुवृन्द भी माया के प्रभाव से अनुचित कर्मो की ओर उन्मुख होते हैं उन्हें भी चेताते हुए कहते हैं कि–

हरि तेरो भजन कियो न जाई।
कहा करौं तेरी प्रबल माया देति मन भरमाइ।
जबैं आवौ साधु संगति, कछुक मन ठहराइ।
ज्यौं गयन्द अन्हाइ सरिता, कहुरि बहै सुभाइ।

इसी क्रम में आगे सावधान करते हुए कहते है कि–

वेष धरि–धरि ह्रयौ पर धन, साधु–साधु कहाइ।
जैसे नटवा लोभ–कारन करत स्वांग बनाइ।
आप डुबे औरनकूं डुबाये चले लोभ की लार।
माला छापा तिलक बनायो ठग खायो संसार।

नीति और न्याय की बात करते हुए कान्ह जो कि उनके आराध्य है उनके प्रति भी उन्हें न्याय की प्रिय गोपियों के मुख से कहलाए गए इन शब्दों को देखिए–

ऊधो अब यह समुझि भई।
नन्द नन्दन के अंग अंग उपमा न्याय दई।

वहीं लोक प्रचलित कुटिल बातों का, स्वार्थी मनोवृत्ति का निरूपण भी इसमें हो जाता है। चाहे वह भक्ति के गेय पद क्यों न हो, मनुष्य इसे ईश्वरीय विधान में लीला तथा मानवीय विधान में लोक नीति का रूप मानेंगे–

कुंतल कुटिल भंवर भरि मालति भुरै लई।
तजत न गहरू कियो कपटी जब जानि निरस गई।

इसी प्रकार से समाज के गुणी जन जो कि कुमनोवृत्ति के जाल में फँस जाते है और लोक हँसाई का पात्र बनते है उन पर कुब्जा के माध्यम से कटाक्ष किया है–

बरू वै कुब्जा भलो कियौ।
सुनि–सुनि समाचार ऊधो! मो कुछ सिरात हियो।
जाको गुन गति नाम रूप हरि हरायो फिरि न दियो।
तिन अपने मन हारत न जान्यो, हँसि हँसि लोग जियो।

इसी प्रकार से जो मनुष्य लोक व्यवहारों के प्रचलन के अनुसार कार्य नहीं करता है वह भी जग की हँसाई का कारण तो बनता ही है साथ ही साथ वह अपने गुरु, स्वामी, परिवार को भी हँसी का पात्र बनाता है–

ऊधो धनि तुम्हारो ब्यौहार।
धनि वे ठाकुर, धनि वे सेवक, धनि तुम बरननहार।।

वहीं यह मनुष्य का स्वभाव भी है कि जिसे जहाँ पर दुख या कष्ट प्राप्त होता है वह वहाँ वापस लौटकर नहीं आता है–

इहि डर बहुरि न गोकुल आए।
ग्वारिनि मोंहि बहुरि बांधेगी, कैतव वचन सुनाइ।
वै दुख सूर सुमिरि मन ही मन, बहुरि सहै को जाइ।

सीधी–सादी भोली–भाली जनता को योग के कठिन मार्ग कहाँ समझ में आएँगे और जो बलात् इन मार्गों पर जनता को चलाने की जिद किए बैठे हैं उनकी हँसी उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते–

निर्गुन कौन देश को बासी।
मधुकर कह समुझाई सौंह दे, बूझति सांच न हाँसी।

यह व्यक्ति के स्वभाव की विचित्र विशेषता है कि वे सौगन्ध दिलाकर रहस्य को जान लेने तथा हँसी–हँसी में बात निकाल लाने में माहिर होती है। लोक नीति की चर्चा की पराकाष्ठा तो तब होती है जब गोपियाँ यह कहती है कि–

सूर स्याम जब तुम्हें पठायौ तब नैकहु मुसुकाने।

अर्थात् जब भी कोई बात तनिक मुस्कुराहट के साथ कही जाती है तो उसका सामान्य अर्थ न होकर कोई और ही अर्थ निकलता है या फिर उसके माध्यम से किसी अन्य कार्य का प्रयोजन होता है।

इसी प्रकार से पुस्तक पढ़ने मात्र से तत्व ज्ञान हासिल नहीं होता है भारी भरकम ग्रंन्थों को पढ़कर ही लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है–

आयो जोग सिखावन पांडे।
परमारथी पुराननि लादे, ज्यौं बनजारे टांडे।

यह भी लोक व्यवहार में पाया जाता है कि मनुष्य के आचरण से उसके निवास के बारे में और उसके निवास से उसके आचरण के विषय में लोग शीघ्र ही अनुमान लगा लेते हैं। यहाँ वे मथुरा के लोगों के आचरण के कारण मथुरा को काजर की कोठरी की संज्ञा देते हुए लिखते है कि–

विलग जानि मानौ ऊधो कारे।
यह मथुरा काजर की ओबरी, जो आवै ते कारे।

जिसकी शरण ग्रहण करने से कार्य का निष्पादन हो, उसके लिए भी लोक युक्ति बताई है कि चाहे गुरुजन हो या ईश्वर, उसके प्रति अनन्य निष्ठा से ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है–

प्रभु में पीछो लियो तुम्हारौ।
तुम तो दीन दयाल कहावत, सकल आपदा टारौ।

सिद्ध पुरुष, ज्ञानी गुरुजन, राजा आदि के आश्रय से ही कार्य की सिद्धि आसानी से हो सकती है अत: उनका पीछा या आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है। इसी प्रकार से लिखते है कि प्रीति करने वाला मनुष्य लोक लाज अनुभव न कर प्रिय प्राप्ति की कामना में लगा रहता है, उसको मृत्यु से भी भय नहीं लगता है–

ऊधो प्रीति न मरण विचारै।
प्रीति पतंग जरै पावक परि, जरत अंग न टारै।

इसी प्रकार से मनुष्य को कार्यसिद्धि के लिए मन को इधर–उधर नहीं दौड़ाना चाहिए। एक निष्ठ या स्थिर मन वाले व्यक्ति ही अपना लक्ष्य पार लगा सकते हैं–

सूर यह ज्ञान उनको ले सौंपो जिनके मन चकरी।

इसी तरह समय पर अवसर चूक जाने के पश्चात् पछतावा ही रहता है–

बेर बेर नहीं आवे अवसर, बेर बेर नहीं आवे।
धन धन जोबत अंजली को पाणी, बखणतां बेर नहीं लागे।

सूरदास जी भक्त कवि है उनका मुख्य ध्येय भक्ति के माध्यम से मोक्ष की कामना और प्रभु प्राप्ति है। सूर दास वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग में दीक्षित अष्टछाप मंडली में गायन कीर्तन कर भगवद् अनुग्रह प्राप्त करने वाले कवि है। अत: लोक नीति के विचारों व कार्यों पर सीधी–सीधी उनकी वाणी नहीं गई है क्योंकि जहाँ अन्य कवियों का उद्देश्य लोगों का जीवन सुधारना होता है वहीं पर सूरदास जी का उद्देश्य लोगों का जन्म सुधारना है। अत: उनके काव्य में नीति विषयक विचार भक्ति के घने आवरण से आछन्न है। परन्तु उनके काव्य से लोकव्यवहार व नीति के सम्बन्ध में कोई ज्ञान प्राप्त न होता हो, ऐसा सम्भव नहीं है ।

सीत उष्न सुख–दुखनहिं मानै,
हानि भए कछु सोच न राँचे।
जाय समाय सूर वा निधि में,
बहुरि न उलटि जगत में नाचै।।

वरिष्ठ अध्यापक
रा.मा.वि. भट्ठड, गंगाशहर, बीकानेर–334401
मो: 8432113761

विश्व पुस्तक दिवस

बच्चे और किताबों की दुनिया

❐ दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश'

"हर स्कूल में पुस्तकालय हो, इस से अच्छी बात और क्या हो सकती है? पर ऐसा हो भी जाय तो यह जरूरी नहीं कि बड़ी संख्या में बच्चे बहुत सारी किताबें पढ़ने लगेंगे। पुस्तकालय की व्यवस्था एक आर्थिक सवाल है। बच्चों में किताब पढ़ने की आदत का होना एक शैक्षिक सवाल है।''

यह कथन है - शिक्षाविद प्रोफेसर शिवकुमार का। 'आर्थिक सवाल' और 'शैक्षिक सवाल' मूलतः दो परस्पर विरोधी ध्रुवांत है। मैं सोचता हूँ, अगर इस ध्रुवांत के एक अध्यापक सुगमकर्त्ता की भूमिका में आ जाए तो निश्चय ही बच्चों और किताबों के बीच संभावनाओं के दरवाजे खुल सकते हैं। मुझे बचपन की याद है। स्कूली किताबों से इतर कोई पत्रिका या पुस्तक मिलने पर गजब का मजा आ जाता था। फिर सही दिशा में प्रयास करके आज के इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी के सुपर हाइवे पर सरपट भागते बच्चों को पुस्तक की तरफ क्यों नहीं मोड़ा जा सकता?

अध्यापक बनने के बाद मैंने इस प्रश्न पर कई स्तरों पर विचार किया। यद्यपि आज के बच्चों की ललक टी.वी., कम्प्यूटर और इंटरनेट की दिशा में बढ़ चुकी है। फिर भी मेरे ख्याल से बच्चों को पुनः पुस्तकों के दायरे में लाया जाना चाहिए। क्योंकि गैजेट से लगे रहना एक लत है, जबकि पुस्तक पढ़ने की रुचि एक संस्कार है। अध्यापकीय दायित्त्व के तहत बच्चों में अध्ययनशीलता के संस्कार का विकास प्राथमिकता के स्तर पर लिया जाना चाहिए।

बचपन के दिनों में स्कूलों में किताबें उपलब्ध रहती थी। 'गंगा पुस्तक माला' की छोटी-छोटी पुस्तिकाओं का सेट हर साल एक या दो बार आता था। बाल भारती, बाल सखा, रानी बिटिया, राजा बेटा जैसी पत्रिकाएँ भी बीच-बीच में आ जाती थी। पत्रिकाओं के एक साथ कई अंक आते थे। गुरुजी ये किताबें हमें देते थे। शनिवार की बाल सभा में पत्रिकाओं से कहानी का वाचन होता था। स्वर के साथ

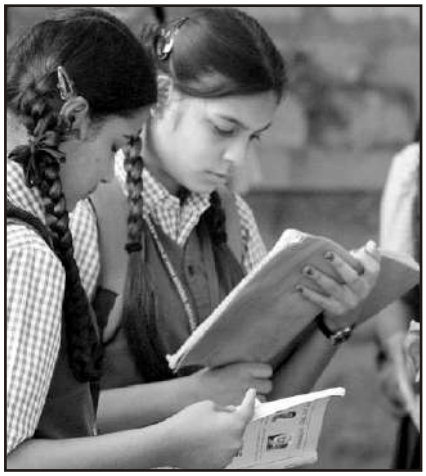

कविताएँ पढ़ी जाती थी। तब पठन-पाठन से इतर गतिविधियों का जमाना नहीं था, लेकिन इतना कुछ तो गुरुजी करवाते ही थे।

स्कूल वाले दिनों की यादों के आधार पर मैं कई विद्यालयों में बच्चों को शिक्षणेत्तर पुस्तकों की दिशा में मोड़ने का प्रयास कर चुका हूँ। इन अनुभवों को आपके साथ बाँटने से पूर्व मैं विद्यालयों खासकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरा अनुभव यह है कि अधिकांश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं हैं। जिन विद्यालयों में किताबें हैं, वहाँ ये आलमारी या बक्से में बंद रखी जाती हैं। पढ़ने-पढ़ाने से इनका कोई सरोकार नहीं होता।

ऐसे ही एक मामले की चर्चा करना चाहूँगा, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो सन् 1885 में स्थापित हुआ था और जिसमें पुराने से लेकर नए समय के बहुत से सामान थे। यहाँ 6×5×4 फुट की नाप वाला एक लकड़ी का बॉक्स था। उसके ऊपर सफेद रंग से 'पुस्तकालय' लिखा था। मेरे काफी अनुरोध और अनुनय-विनय के पश्चात् प्रधानाध्यापक महोदय इसे खोलने को राजी हुए। जबकि इससे पूर्व अठारह साल पहले चार्ज लेते समय इसे उन्होंने खोलकर पुस्तकों का मिलान किया था और फिर सूची सहित इसे बंद करके भूल गए थे। 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' और 'डी.पी.ई.पी.' के दिनों में आई पुस्तकें आलमारी में बंद थी।

खैर, जिस दिन यह बक्सा खोला गया, एक अजीब सी तीखी गैस का भभका कमरे में भर उठा। करीब आधे घंटे बाद देखने पर पता चला, इसमें बहुत सी महत्त्वपूर्ण किताबें थीं। इतिहास, महाकाव्य, पुराण, उपन्यास, कहानी, जीवनी, लोककथा, विदेशी लेखकों की कृतियों के हिन्दी अनुवाद सम्बन्धी छोटी-बड़ी चार सौ किताबें इसमें निकलीं। दुर्भाग्यवश इनमें काफी किताबों के पन्ने आपस में चिपक गए थे। छत से टपके पानी का रिसाव बक्से में हो गया था और कथा सरित्सागर, दश कुमार चरित, अलिफ लैला, राबिन्सन क्रूसो, भारत में ब्रिटिशराज (सुन्दर लाल), मध्य एशिया का इतिहास (राहुल सांकृत्यायन) जैसी पुस्तकें जमकर बेकार हो गई थी।

यह कुप्रबंधन और पुस्तकों के प्रति संवेदन हीनता का मामला है। यदि पुस्तकों का उपयोग हुआ होता तो इस हालत में न पहुँचती। अध्यापक यह तर्क देते हैं कि बच्चे पाठ्यपुस्तक ही नहीं पढ़ते, फिर अन्य किताबें क्यों पढ़ेंगे? स्कूली किताबें पढ़ना उनकी मजबूरी होती है, इसलिए यह उन्हें अनाकर्षक और उबाऊ लगती हैं। इसके विपरीत स्वतंत्र रूप से पढ़ी जाने वाली बालोपयोगी पुस्तकें किसी दबाववश नहीं, बल्कि सहज आकर्षण और ललक से पढ़ी जाती हैं। इसलिए बच्चे इन पुस्तकों में खूब रमते है। इससे उनकी जानकारी समृद्ध होती है और सीखने के स्तर में सुधार होता है। प्रशिक्षण शिविरों और अभिप्रेरण अभियानों से अध्यापकों में यह समझ पैदा की जानी चाहिए कि शिक्षण को प्रभावी और आनन्ददायी प्रक्रिया बनाने में स्कूल-पुस्तकालय की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

पुस्तकालय को लेकर हमारे दिमाग में एक परम्परागत छवि है, जिसमें पुस्तकों से भरी आलमारियाँ, सूची-पत्र, पुस्तक निर्गमन

रजिस्टर सम्बन्धी कई उपक्रम होते है। छोटे बच्चों के पुस्तकालय का अलग रूप होना चाहिए, जो बच्चों के लिए रोचक और खुला हो। इसमें प्रबंधन सम्बन्धी जटिल औपचारिकताएँ न हों, यह सहज पुस्तकालय प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए घरेलू मौखिक संस्कृति से विद्यालयी साक्षर संस्कृति में प्रवेश के पुल बन सकते हैं।

सबसे जरूरी यह है कि अध्यापकों के पास बच्चों की किताबों के सम्बन्ध में सही समझ होनी चाहिए। कैसी किताबें बच्चों के लिए अच्छी रहेगी? कौन सी विषयवस्तु वाली पुस्तकें बच्चों को पसंद आती हैं? हमारी यह धारणा होती है कि बच्चों को दी जाने वाली पठन सामग्री पुस्तक, जिसका प्रस्तुतीकरण तत्काल जिज्ञासा जगाने वाला और रोचक हो। भाषा सरल और बोधगम्य हो। किताब में विषयवस्तु से जुड़े करीब एक तिहाई गत्यात्मक चित्र हो तो इस प्रकार की किताब बच्चों को भाती है। बच्चों में पुस्तकों के लेन-देन के क्रम में मुझे अनुभव हुआ कि बच्चों की सोच, कल्पना और अनुभूति को प्रतिबिंबित करने वाली किताबें बाल पाठकों को चुम्बक की तरह खींचती हैं।

यह सुना जाता है कि बच्चों में अध्ययनशीलता का संबोध घट रहा है। यह सच है। देखने में आ रहा है कि देश के आम परिवारों में बड़ों में ही पढ़ने की रुचि समाप्तप्राय है। फिर बच्चे पुस्तकों से दोस्ती की प्रेरणा कहाँ से लें? पहले टेलीविजन था ही नहीं, दो-चार प्रतिशत लोगों के पास बामुश्किल रेडियो हुआ करते थे। पढ़े-लिखे परिवारों में पुस्तक पढ़ने का प्रचलन था। गाँव में चौपाल और अलाव के इर्द-गिर्द किस्से-कहानियों की दुनिया आबाद रहती थी। इस तरह सहज ही बच्चों की दुनिया में साहित्य का संचरण हो जाता था। बच्चे साहित्य की तलाश में पुस्तकों की दिशा में बढ़ते थे। किन्तु यह कड़ी अब टूट चुकी है। अब बड़े भी साहित्य से विमुख हैं, तो वे बच्चों के लिए अच्छी किताबें घर लाएँगे, यह हम कैसे मान लें?

अंततः ले-देकर बात विद्यालयों पर आ जाती है। यहाँ कम ही ध्यान दिया जाता है कि बच्चे पाठ्येत्तर पुस्तकों में रुचि लें। आज के समय में किताबों की प्रतिद्वंदिता टेलीविजन से है। टेलीविजन अधिकतर घरों में उपलब्ध है और बच्चों के मनोरंजन का साधन बन चुका है। फिलहाल इसका बाल जीवन में इतना जबरदस्त हस्तक्षेप है कि यह बच्चों की सोच, व्यवहार, जीवन शैली, मासूमियत हर कहीं परिवर्तन ला रहा है। पश्चिमी देशों में तो हालात और भी खराब हैं। इसलिए वहाँ भी बच्चों को पुस्तकों की तरफ लौटाने के प्रयास चल रहे हैं। पुस्तकों को फोकस में लाने के लिए यूनेस्को द्वारा बाकायदे सन् 1995 में 23 अप्रैल की तारीख 'विश्व पुस्तक दिवस' को समर्पित की जा चुकी है।

आज की तारीख में विशेष रणनीतियों द्वारा ही बच्चों के अंदर किताब पढ़ने की ललक पैदा की जा सकती है। सीधे-सीधे बच्चों तक किताब पहुँचाकर किसी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यर्थ है। सबसे पहले यह होना चाहिए कि बच्चे किताबों के प्रति आकर्षित हों। इसके लिए मैं विद्यालय में उपलब्ध पुस्तकें एक कमरे में प्रदर्शित रूप में रखवाता था। रस्सी पर टंगी या मेज पर फैलाकर रखी किताबें बच्चों की नजर खींचती हैं। खासकर ऐसी किताबें जिनके मुखपृष्ठ के चित्र गतिशील अवस्था में होते हैं। इस कमरे में कहानी सुनाई जा सकती है। कविता पाठ कराया जा सकता है। श्यामपट्ट पर पुस्तकों के शीर्षक लिखकर उन्हें खोजकर लाने के लिए कहा जा सकता है। इससे बच्चे पुस्तकों के पास जाएँगे। उन्हें छुएँगे और पलटेंगे। पुस्तक लाने पर उसके चित्र को आधार बनाकर बच्चों से बातचीत करना एक अच्छा तरीका हैं। बच्चों को पुस्तक के प्रति संवेदित करने का! यह हिरन क्यों भाग रहा है? घात लगा रहा भेड़िया क्या खरगोश को दबोच लेगा? भागते चोरों को गाँव वाले पकड़ पाएँगे या नहीं? जैसे सवाल बच्चों में किताबों के प्रति ललक तो बनाएँगे ही, उनके भाषा विकास और अभिव्यक्ति क्षमता के लिए भी कारगर होंगे। कुछ बाल पुस्तकों में भाषा नहीं होती, सिर्फ चित्रों से कहानी कही गई होती है। इन किताबों में कक्षा एक और दो के वह बच्चे भी रुचि ले सकते हैं, जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते। यह अपने अनुभव और सोच से कहानी का घटनाक्रम जोड़ते हैं। यह बच्चों की कल्पनाशीलता और तार्किकता को बढ़ाती है। पुस्तक रखने का यह कमरा बच्चों का मनोरंजन कक्ष बन जाता है। बस निरंतर सजगता और धैर्य की जरूरत होती है। दरअसल किसी कमरे में किताबें प्रदर्शित कर देने या दो-चार कविता कहानी सुना देने मात्र से बच्चे इसे पसन्द नहीं करने लगेंगे। सुगमकर्त्ता की भूमिका में आए अध्यापक को यह कार्य चुनौती के रूप में लेना पड़ता है और विधिवत चार-छह माह तक प्रयास करने के बाद ही परिणाम की उम्मीद बनती है।

मैं इस मामले में लोककथाओं का वाचन करता था। कहानी पूरी होने के बाद बच्चों से, यदि ऐसा न हुआ होता तो.... जैसे सवाल करता। बच्चे अपने अनुभव बताते। इन कहानियों में आए पशु-पक्षियों का अलग-अलग ग्रुपों से चार्ट पर चित्रांकन कराता और दीवार पर टंगवाता था-यह गतिविधि बच्चों के लिए रोचक और प्रतिस्पर्द्धापूर्ण होती थी। बच्चों में प्रश्नों के जवाब और चित्रांकन के लिए होड़ लग जाती थी। पढ़ने में एक समर्थ बच्चे के साथ पढ़ने में दो अक्षम बच्चों को बैठाकर पुस्तकों का उपयोग करना भी सार्थक युक्ति है। बड़ा बच्चा अपने से छोटों को पढ़कर सुनाए, चित्र दिखाए और उस पर चर्चा करे। इस स्थिति में पढ़ने वाला बच्चा गरिमाबोध महसूस करता है और छोटे बच्चे कहानी सुनने के साथ-साथ स्वयं पढ़ने की किंचित प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं। अध्यापक कहानी सुनाए तो 'राजा-रानी' शब्द आने पर बच्चे 'आक्छी' करें और पशु-पक्षियों के नाम आने पर 'ताली बजाए।' इस प्रकार की गतिविधि करवाना कहानी सुनने का मजा कई गुना बढ़ा देता हैं। लय और अभिनय के साथ कविताओं की प्रस्तुति तथा कहानी पर आधारित 'रोल प्ले' भी बच्चों को साहित्य से जोड़ने में मददगार होता है।

पुस्तकों का रख-रखाव, कटने-फटने पर लेई से चिपकाने, घर से जाने के लिए किताबें निर्गत करने का काम भी अपेक्षाकृत समझदार बच्चों से लेना चाहिए। यह उन्हें गरिमापूर्ण लगता है। पढ़ी जाने वाली किताबों पर बच्चों से चर्चा करना एक और तरह की गतिविधि है। कौनसी किताब अच्छी लगी? कौनसी किताब नहीं ठीक लगी? क्यों....? जैसे सवालों से जो निथरकर आएगा, उससे हमें बच्चों की रुचि का पता चलेगा। हम यह आधार लें कि बचपन में हम यह पसन्द करते थे। इसलिए यह आज के बच्चों को भी अच्छा लगेगा-यह भ्रामक सोच है। समय और परिवेश के हिसाब से रुचि परिवर्तित होती

है। इस परिवर्तन को भाँपने का यह कारगर उपाय है। कभी-कभी यह भी होता है कि कोई पुस्तक, कहानी या कविता सारे बच्चों को भा जाती है। इससे यह पता चलता है कि यह सही अर्थों में बाल रुचि और बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर तैयार की गई सामग्री है।

देखने में आया है बच्चों के नाम पर प्रकाशित होने वाली काफी सामग्री बाल साहित्य के मानक पर खरी नहीं उतरती। इनका प्रस्तुतीकरण नीरस और उबाऊ होता है। इसलिए बच्चे इन्हें पढ़ना पसंद नहीं करते। बच्चों के लिए पुस्तकों की खरीद में सोच-समझ की विशेष जरूरत होती है। पुस्तकों में अगर बच्चों की दुनिया की झलक होगी। उसके बहुरंगी चित्रों में गतिशीलता होगी तो बच्चे इन पुस्तकों से दोस्ती करेंगे। रहस्य रोमांच की कथाएँ, साहसिक अभियान, इतिहास और पुराण सम्बन्धी कहानियाँ, लोककथाएँ और परियों की कहानियाँ बच्चों को खूब भाती हैं। मानवीय संस्पर्श वाली कविताएँ, जीवनी, संस्मरण और चित्रकथाओं में बच्चे रुचि लेते हैं। इस प्रकार की बाल रुचि के अनुकूल साहित्य की उपलब्धता के साथ माहौल बनाया जाए तो बच्चे पुस्तकों की तरफ आकर्षित होने लगेंगे। धीरे-धीरे वे स्वयं ही पुस्तकें पलटना शुरू करेंगे। स्वयं पढ़ने के साथ-साथ मित्रों को भी प्रेरित करेंगे-'इसे पढ़ो। मजा आएगा।' इसके बाद काम आसान हो जाएगा। बच्चों की पुस्तकों से दोस्ती की राह खुल जाएगी।

हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि किताबें बच्चों के हाथों में पड़कर फट जाएँगी। शुरु में ऐसा हो सकता है, मगर बाद में बच्चे किताबों को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। वैसे यह भी जानना प्रासंगिक होगा कि प्रयोग होने पर किताबों का फटना या गंदी होना सामान्य बात है। किताबों का रखे-रखे दीमक या झींगुर का आहार बन जाना या बरसाती पानी से भीग कर खराब होने से अच्छा है कि बच्चे इनका उपयोग करें। यह मान लेना कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, मात्र अर्द्ध सत्य है। बल्कि सत्य यह है कि बच्चों तक सुरुचिपूर्ण, मनोरंजक और उद्देश्यपूर्ण पठन सामग्री पहुँचाने का गंभीर प्रयास नहीं हुआ। साथ ही घर-परिवार से लेकर विद्यालय तक उनके अन्दर सोयी पड़ी पठन रुचि को जागृत करने के प्रेरक माहौल का अभाव रहा है। विद्यालयी स्तर पर अब इस दिशा में प्रयास किया ही जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी ऐसे समर्पित शिक्षक को सौंपी जानी चाहिए जो कि नौकरी के बजाए अपने कार्य को सेवाभाव से करने में विश्वास रखता हो।

पो.ऑ.-जासापारा
गोसाई गंज-228119, सुलतानपुर (उ.प्र.)
मो. 9450143544

आवश्यक सूचना

रचनाएँ आमंत्रित

'शिक्षक दिवस' के उपलक्ष्य में प्रकाशनार्थ विविध विषयों व विधाओं पर शिक्षकवृंद व सुधी पाठकों से रचनाएँ दिनांक 31 मई, 2018 तक आमंत्रित की जाती हैं। अतः अपने शैक्षिक चिंतन-अनुभव, कहानी, संस्मरण, एकांकी, बाल साहित्य, कविता एवं राजस्थानी साहित्य (गद्य-पद्य) आदि मौलिक रचनाएँ 'वरिष्ठ संपादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर' के नाम से प्रेषित करें। रचना के अंत में मौलिकता की घोषणा एवं हस्ताक्षर भी आवश्यक है। साथ ही बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति प्रत्येक रचनानुसार अलग-अलग संलग्न करें। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त रचनाओं पर विचार नहीं किया जा सकेगा। -वरिष्ठ संपादक

मासिक गीत

चले निरन्तर - विजय वरे!

**श्रेष्ठ विशुद्ध विचार हृदय में- जो निष्ठा से कार्य करे।
साधन का कौशल्य जुटाकर-चले निरन्तर-विजय वरे ।।ध्रुव।।**

**हमें मिला है खिलता यौवन-सुदृढ़ शक्ति से भरपूर
मोह, आकर्षण, पथ की बाधा-विवेक से कर देंगे दूर
संयम व्रत आभूषण अपना-निज दोषों को स्वयं हरे।।1।।**

**एक एक कर जोड़े सबको-रूप विराट करें साकार
बूँद-बूँद से सागर बनता-करे विसर्जित निज आकार
स्नेह भरी मर्यादित शैली-निशंक मन में धैर्य धरे।।2।।**

**जीवन धन्य उसी का है जो- करे असम्भव को सम्भव
चट्टानों को चीर बना दे-नवीन रचना नव-गौरव
न्याय, नीति पर सदा अडिग हो- जन-जन में हुँकार भरे।।3।।**

**हरेक में निश्चित ही होती-अपनी-अपनी विशेषता
परिपूरक प्रोत्साहन पाकर-वृक्षों चढ़ती पुष्पलता
समग्र दृष्टि-अनन्त सृष्टि-मरकर भी वो नहीं मरे।।4।।**

साभार-'**प्रेरणा पुष्पांजलि**' पुस्तक से

चिंतन

धैर्य सफलता का सोपान है

❒ दीपचन्द सुथार

जीवन आशाओं, जिज्ञासाओं, तृष्णाओं, प्रकृति का सौम्य दस्तावेज है। युग विज्ञान का होने के कारण इसने उत्पादन के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम बढ़ाए हैं। बाजारों का नयनाभिराम आकर्षण इसी की देन है। सामाजिक परिवेश से प्रभावित होकर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अहर्निश भाग रहा है। इसी ने उसके भीतर के चैन को चुरा लिया है। फिर भी वैभव के सहारे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में व्यस्त है। प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग-अलग होते हैं। इसलिए ऐसे कार्यों के अन्तर्गत अक्सर बाधाएँ धूप-छाँह की भाँति आती-जाती रहती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए जब तक धैर्य का आश्रय नहीं लिया जाएगा तब तक ये हमें सताती रहेगी। यह मानसिक कमजोरी का परिचायक है। ऐसी स्थिति में हमें न घबराना चाहिए और न किसी प्रकार का सन्देह करना चाहिए बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अतः हमें इस बात का स्मरण करना चाहिए कि धैर्य ही मन की शक्ति, विचारों की ऊर्जा, अन्तस का प्रकाश, साहस का संगीत तथा प्रेम की सरिता है। एतदर्थ उक्त मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इसी को लक्षित करते हुए किसी कवि ने यथार्थ ही कहा है-

चाहे जितनी भी पीड़ा हो,
मन में भी हो व्यथा अपार।
संकट पर संकट भी आवे,
टूटे नहीं धैर्य का तार।।

अतएव हमें निराश होकर धैर्य को नहीं खोना चाहिए बल्कि उत्साहित होकर अपने कार्य को दृढ़ता के साथ करना चाहिए। चींटियों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वह दिखने में बहुत छोटी है लेकिन धैर्यवान होती है। किसी उद्देश्यवश ऊपर चढ़ती है। गिर जाती है तो फिर चढ़ती है। यह क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक वह अपने गन्तव्य स्थल तक नहीं पहुँच जाती है। इस प्रकार की प्रक्रियाएँ ही हमारे जीवन को उत्साहित करती हुई कर्त्तव्य के प्रति जागरुक करती रहती है। इससे अन्तस् में आनन्द की अनुभूति होती है क्योंकि असफलता ही यथार्थ में हमारी सफलता का कारण है। यह जीवन का सत्य है। इस बात पर प्रत्येक व्यक्ति को गम्भीरता से चिन्तन-मनन करना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसी छोटी-छोटी बातों में ही जीवन की सार्थकता समाहित होती है। इसलिए हमें किसी भी कार्य को सोच विचार कर धैर्य के साथ धीरे-धीरे करना चाहिए। इसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी लक्ष्य को इंगित करते हुए कबीर ने उचित ही कहा है-

धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय।
माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय।।

यह धैर्य निहित सफलता का ही प्रतिफल है। कई व्यक्ति संशयी प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके सामने जरा-सी समस्या आते ही किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं, तो कुछेक तिलमिला उठते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दृष्टिगोचर नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों की कार्य शैली उनके विचारों के साथ-साथ प्रतिक्षण बदलती रहती है। यह बदलाव भी धैर्य की कमी के कारण ही होता है। दृढ़ आकाँक्षा रखने वालों की यह दशा नहीं होती हैं। वे तो अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर निरन्तर आगे की ओर बढ़ते ही रहते हैं। कभी भी पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष, समाजसेवी, आविष्कारक जिन्होंने ध्रुवों तथा देशों की खोज के अतिरिक्त चन्द्र व मंगलग्रह की सतह पर कदम रखे हैं उनके सामने न जाने कितनी और कैसी-कैसी भयावह कठिनाइयाँ आई होगी, लेकिन वे अपने पथ से कभी भी विचलित नहीं हुए। यथार्थ में ऐसे ही कर्मशील व्यक्ति अतीत की दीवारों पर धैर्य से खींची और साहस के रंग से रंगी हुई चित्रावली अंकित कर इतिहास के पृष्ठों पर सदैव के लिए अजर-अमर होकर प्रेरणा के प्रतीक बन जाते हैं। इन्हीं भावों को अभिव्यक्त करते हुए किसी कवि ने उचित ही कहा है-

खुद पर हो विश्वास, कर्म पर हो आस्था।
कितनी भी आए मुश्किलें, मिल जाएगा रास्ता।।

वैसे जीवन में विघ्न आते रहते हैं, परन्तु हमें अपने कर्त्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए क्योंकि यहीं से हमें मंजिल की ओर ले जाने की क्षमता मिलती है। नेपोलियन के संदर्भ में 'दिव्य जीवन' लेखक स्विट् मार्डेन ने पृ. सं. 83-84 पर लिखा है कि-'जब इस महावीर के मार्ग में आल्पस का पर्वत पड़ा तब उसके साथियों ने कहा कि अपनी सेना इस पर्वत को कैसे लांघ सकेगी। इस पर नेपोलियन ने हँस कर कहा कि इसमें मार्ग बना दिया जाएगा। बस फिर क्या देर थी। काम शुरु कर दिया गया। आल्पस में मार्ग बना दिया गया। फौज के जाने का रास्ता खुल गया। यह उस वीर के आत्मविश्वास और धैर्य का ही परिणाम था।'

परीक्षा के दिनों में कुछेक विद्यार्थी प्रश्न पत्र को कठिन देखकर घबरा जाते हैं। हकीकत में यह आत्मविश्वास की कमी का ही कारण है। धैर्य के साथ उसे एक-दो बार पढ़ने के पश्चात् पहले उसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करें जिसे वह आसानी से कर सकता है। ज्यों ही वह लिखना शुरु करेगा त्यों ही उत्साहित होने लगेगा। इससे निराशा का अन्धकार धीरे-धीरे दूर होता जाएगा और आशा का प्रकाश फैलने लग जाएगा। इस प्रकार वह सारे प्रश्नों को हल कर लेगा। यह धैर्य का ही प्रतिफल है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः व्यावहारिक जीवन के अन्तर्गत ऐसे उदाहरण कदम-कदम पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जीवन में वही व्यक्ति सुख-समृद्धि, मान-सम्मान व लोकप्रियता को अर्जित करता है, जो धैर्य का धनी होता है। इसी के सहारे-सद्गुणों की वृद्धि होती है। एक-दूसरे का सहयोग करना अपना नैतिक दायित्व समझता है। इसी क्रम में अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए किसी कवि ने यथार्थ ही कहा है-

ये माना कि सारा जहान तो,
हम चमन न कर सके।
पर जहाँ से भी गुजरे,
कुछ तो काँटे कम कर सके।।

अतः धैर्य ही हमारे भीतर की शक्तियों को वसंत-सम मुखरित करता जीवन को ऊचाइयाँ दे सकता है।

C/O. श्री हेमन्त कुमार जाँगिड़
दयाल भवन के पास
उम्मेद चौक, ब्राह्मणों की गली
जोधपुर-342001(राज.)
मो. 9530051273

आदेश-परिपत्र : अप्रैल, 2018

1. राज्य में अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) के संबंध में।
2. विद्यालयों में पासबुक्स प्रतिबंध के क्रम में।
3. कक्षा- 5, 8 एवं 10 बोर्ड में परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् विद्यालय में अस्थाई प्रवेश देते हुए नियमित कक्षा संचालन सुनिश्चित करने बाबत्।

1. राज्य में अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) के संबंध में।

● राजस्थान सरकार ● कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर ● क्रमांक- एफ.33(81)(4)(1)विविध/सीटीएडी/14-15/7850-60 दिनांकः 09/03/2018 ● 1. जिला कलक्टर उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही। 2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। 3. अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर। ● विषयः राज्य में अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) के संबंध में।

महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.1981 से राज्य में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में भी प्रतिवर्ष दर्शाया जाता रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में तहसीलों/पंचायत समितियों के नवसृजन के पश्चात वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र (जो क्षेत्र अधिसूचना दिनांक 12.02.81 के समय अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित थे, उनमें बदलाव नहीं किया गया है) तहसील एवं पंचायत समितिवार निम्नानुसार है-

1. पुनर्गठित/नवसृजित तहसीलों पश्चात् वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम (पुनर्गठन से पूर्व)	पुनर्गठन/नव सृजन पश्चात तहसील का नाम	राजस्व विभाग की अधिसूचना
1	**बाँसवाड़ा**	बागीदौरा	● बागीदौरा	
			● आनन्दपुरी	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर दिनांक 31.5.2012
			● गांगड़तलाई	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (26) राज./ग्रुप-1/2013 जयपुर दिनांक 17.4.2013
		बाँसवाड़ा	● बाँसवाड़ा	
			● छोटी सरवन	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर दिनांक 31.5.2012
			● अबापुरा	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (26) राज./ग्रुप-1/2013 जयपुर दिनांक 17.4.2013
		कुशलगढ़	● कुशलगढ़	
			● सज्जनगढ़	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर दिनांक 31.5.2012
		घाटोल	● घाटोल	
			● गनोडा	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (26) राज./ग्रुप-1/2013 जयपुर दिनांक 17.4.2013
		गढ़ी	● गढ़ी	
2	**डूंगरपुर**	डूंगरपुर	● डूंगरपुर	
			● बिछीवाड़ा	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर दिनांक 31.5.2012
		सीमलवाड़ा	● सीमलवाड़ा	
			● झोथरीपाल	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (26) राज./ग्रुप-1/2013 पार्ट जयपुर दिनांक 30.04.2013
			● चिखली	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9(30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर दिनांक 31.05.2012
		सागवाड़ा	● सागवाड़ा	
			● गलियाकोट	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर दिनांक 31.5.2012

		आसपुर	• आसपुर	
			• साबला	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर दिनांक 31.5.2012
3	**उदयपुर**	कोटडा	• कोटडा	
		झाडोल	• झाडोल	
		गिर्वा (123 गाँव)	गिर्वा (123 गाँव)	(ग्रामों की सूची संलग्न)
		गोगुन्दा (52 गाँव)	• गोगुन्दा (52 गाँव)	(ग्रामों की सूची संलग्न)
		सराडा	• सराडा	
			• सेमारी	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.9 (26) राज./ग्रुप-1/2013 जयपुर दिनांक 17.4.2013
		खैरवाड़ा	• खैरवाड़ा	
		सलूम्बर	• सलूम्बर	
		लसाड़िया	• लसाड़िया	
		ऋषभदेव	• ऋषभदेव	
4	**प्रतापगढ़**	प्रतापगढ़ अरनोद पीपलखूंट धरियावद	• प्रतापगढ़ अरनोद पीपलखूंट धरियावद	
5	**सिरोही**	आबूरोड (माउंट आबू एवं आबूरोड नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर)	• आबूरोड (माउंट आबू एवं आबूरोड नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर)	
	महायोग	**23**	**35 (32 पूर्ण+3 आंशिक)**	

2. पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत समितियों पश्चात् वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम (पुनर्गठन से पूर्व)	पुनर्गठन/नव सृजन पश्चात वर्तमान पंचायत समिति का नाम	पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना
1	**बाँसवाड़ा**	आनन्दपुरी गढ़ी	• आनन्दपुरी • गढ़ी • अरथूना	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1517 दिनांक 5.11.2014
		बागीदौरा	बागीदौरा	
			गांगड़तलाई	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1517 दिनांक 5.11.2014
		बाँसवाड़ा	• बाँसवाड़ा	
			• तलवाड़ा	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1517 दिनांक 5.11.2014
		कुशलगढ़	• कुशलगढ़	
		सज्जनगढ़	• सज्जनगढ़	
		घाटोल	• घाटोल	
		छोटीसरवन	• छोटीसरवन	
2	**डूँगरपुर**	आसपुर	• आसपुर	
			• साबला	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1518 दिनांक 5.11.2014
		सागवाड़ा	• सागवाड़ा	
			• गलियाकोट	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1518 दिनांक 5.11.2014
		सीमलवाड़ा	• सीमलवाड़ा	
			• चिखली	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1518 दिनांक 5.11.2014
		बिछीवाड़ा	• बिछीवाड़ा	
			• झोंथरी	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1518 दिनांक 5.11.2014

		डूँगरपुर	● डूँगरपुर	
			● दोबड़ा	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/ 2014/1518 दिनांक 5.11.2014
3	**उदयपुर**	खैरवाड़ा	● खैरवाड़ा	
			● ऋषभदेव	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/ 2014/1514 दिनांक 5.11.2014
		गोगुन्दा (आंशिक)	● गोगुन्दा (आंशिक)	
		झाडोल	● झाडोल	
			● फलासिया	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/ 2014/1516 दिनांक 5.11.2014
		सलूम्बर	● सलूम्बर	
			● झल्लारा	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/ 2014/1516 दिनांक 5.11.2014
		सराडा	● सराडा	
			● सेमारी	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/ 2014/1516 दिनांक 5.11.2014
		गिर्वा(आंशिक)	● गिर्वा(आंशिक)	
			● कुराबड (आंशिक)	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/ 2014/1516 दिनांक 5.11.2014
		कोटड़ा	● कोटड़ा	
		लसाडिया	● लसाडिया	
4	**प्रतापगढ़**	प्रतापगढ़	● प्रतापगढ़	
		अरनोद	● अरनोद	
		पीपलखूंट	● पीपलखूंट	
		धरियावद	● धरियावद	
5	**सिरोही**	आबूरोड	आबूरोड	
	महायोग	**26**	**39 (36 पूर्ण +3 आंशिक)**	

कृपया राजकीय सेवा में भर्ती एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो, कृपया उपर्युक्तानुसार अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम/पंचायत समिति/तहसील दर्शाया जावे ताकि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो एवं उन्हें अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को लाभ प्राप्त हो सकें।

● संलग्नः पुनर्गठित पंचायत समिति एवं तहसीलों की अधिसूचना की प्रति

● **(भवानी सिंह देथा)** आयुक्त।

गिर्वा तहसील के 123 गाँवों की सूची

क्र. सं.	गाँव का नाम	क्र. सं.	गाँव का नाम	क्र. सं.	गाँव का नाम
1	आड	2	अलसीगढ़	3	अमरपुरा
4	बच्छार	5	बलीचा	6	बारां
7	बारापाल	8	बसु	9	भोईयो का गुडा
10	भेकड़ा	11	बिछड़ी	12	बिलियां
13	बोरिया का खेड़ा	14	बोरीकुआँ	15	बुडल
16	बुझडा	17	चणावदा	18	चांदनी
19	चांसदा	20	डाकन कोटडा	21	डामोरा का गुडा
22	दांतीसर	23	धोल की पाटी	24	डोडावली
25	गावडी तलाई	26	गोसीयां	27	जगत
28	जसपुरा	29	जावर	30	जावला
31	झाली का गुडा	32	झांमर कोटड़ा	33	जोधपुरियां
34	कालीवास	35	कानपुर	36	कानपुर
37	करगेट	38	कमली	39	काया
40	केली	41	खारवां	42	खेडी
43	कोडिया खेत	44	कोडियात	45	कुमारीयां खेड़ा
46	लकडवास	47	लालपुरा	48	मादड़ी
49	मामादेव	50	मानपुरा	51	नाई
52	नयागुडा	53	नयाखेड़ा	54	नयाखेड़ा
55	पडूणा	56	पई	57	परोला
58	परतल	59	पीपलवास	60	पीपलियां
61	फांदा	62	पोपल्टी	63	रावन
64	रायता	65	रोडदा	66	रूणीजा
67	सरू	68	साठपुर गुजरान	69	साठपुर मीणान

70	सवीना खेड़ा (ग्रामीण)	71	सीसारमा (ग्रामीण)	72	सेठजी की कुण्डाल
73	सुराना	74	तीडी	75	तीतरडी
76	तोरण तालाब	77	उदिया खेड़ा	78	उन्दरी कला
79	उन्दरी खुर्द	80	वली	81	देवाली (ग्रामीण)

वर्ष 1991–2001 के बीच अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण

82	अम्बुजा	83	आम्दरी	84	छोटा भलो का गुडा
85	चुकडिया	86	डेडकिया	87	गोरेला
88	खजूरी	89	कोडियात 'बी'	90	लई
91	नला	92	नोहरा	93	सामेता
94	सांवरिया खेडा	95	सुरपलाया	96	उमरडा

वर्ष 2001–2011 के बीच अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण

97	बामनिया	98	बेला	99	चणबोरा
100	धामधर	101	फाटादरा	102	गराडा
103	गोयरा	104	गूखर मगरी	105	हायला कुई
106	झाडा अडूआ	107	काला रोही	108	खरपीणा
109	खेडा कानपुर	110	खेगडो की भागल	111	लाम्बा धावडा
112	मोर डूंगरी	113	मोटा देवरा	114	नागेला
115	नला	116	पाटिया	117	फांदा
118	फुटापाना	119	रामवास	120	रोबा
121	सरूपाल	122	उमरिया	123	उपला गुडा

गोगुन्दा तहसील के 52 गाँवों की सूची

क्र. सं.	गाँव का नाम	क्र. सं.	गाँव का नाम	क्र. सं.	गाँव का नाम
1	अदूजी का बास	2	अम्बा	3	अम्बावा
4	अमरी	5	बयाना	6	बिलिडियां
7	चुली	8	चुण्डावतों का खेडा	9	डेडकियां
10	ढाबरा	11	ढोया	12	गाडरियां वास
13	गरडा	14	हथनी	15	इन्दरा का खेडा
16	जाम्बुआ	17	जेलाई कला	18	जेलाई खुर्द
19	झांक	20	कन्थारियां	21	केलथरा
22	खम्बीया	23	खेडा	24	कूकडा खेड़ा
25	कुंती का लेवा	26	लाम्बी सेमल	27	लोडो का बास
28	लुणावतो का बास	29	मादडा	30	मादडी
31	महुला	32	मालावारी	33	मातासुला
34	मुण्डावली	35	नरसिंहपुरा	36	नयावास
37	पडमोरी	38	पलाया पिपला	39	पन्डलो का चौरा
40	पडावली कला	41	पडावली खुर्द	42	पाटिया
43	पिपली खेड़ा	44	समीजा	45	सन्दर
46	सूरजवाड़ा	47	टेपरों की बोर	48	थाल
49	थापियां कला	50	थापियां खुर्द	51	वीरपुरा
52	वास				

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012 ● अधिसूचना ●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील बागीदौरा जिला बाँसवाड़ा का पुनर्गठन कर तहसील आनन्दपुरी का नवीन सृजन कर तहसील आनन्दपुरी जिला बाँसवाड़ा का पुनर्गठन करती है।

नवसृजित तहसील आनन्दपुरी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. सं.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1	**बागीदौरा**	आनन्दपुरी	आनन्दपुरी
2			मैना पादर
3			छाजा
4			वरेठ
5			ओबला
6			वडलिया
7			कड़दा
8			फलवा
9			चिकली तेजा
10			टामटिया
11			आमलिया आम्बादरा
12			पाट नवाधरा
13			डोकर
14		चान्दरवाड़ा	चान्दरवाड़ा
15			बरजडिया
16			कानेला
17			मडकोला मोगजी
18			मुन्दरी
19			रतनपुरा
20			चोरडी
21			भलेर भोदर
22			नाहरपुरा
23			काजलिया

24			सुन्द्राव
25			पाटीया गलीया
26			उदयपुरा बड़ा

● **(अन्तर सिंह)** शासन उप सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (26) राज./ग्रुप-1/2013 जयपुर, दिनांकः 17.04.2013 ● अधिसूचना●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील बागीदौरा, जिला बाँसवाड़ा का पुनर्गठन कर तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा का नवसृजन करती है।

नव सृजित तहसील, गांगड़तलाई के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. सं.	**भू. अ. निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ. निरीक्षक वृत्त का कुल क्षेत्रफल**	**नाम पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल वार क्षेत्रफल**
1	**गांगड़तलाई**	4953	गांगड़तलाई	778
2			खुटीनारजी	1211
3			मोटीटिम्बी	1719
4			राम का मुन्ना	1245
5	**शेरगढ़**	4682	शेरगढ़	956
6			रोहनिया	933
7			सालिया	1427
8			टाण्डीनानी	1366
9	**रोहनवाड़ी**	3994	रोहनवाड़ी	700
10			ढालर	1048
11			खोडालिम	1098
12			गमनिया हमीरा	1148
13	**झांझरवाकला**	4769	झांझरवाकला	932
14			जाम्बुड़ी	1225
15			लंकाई	1605
16			हाण्डी	1007
17	**सल्लोपाट**	3605	सल्लोपाट	994
18			मोनाडूंगर	852
19			खुटागलिया	836
20			सेण्डनानी	923
योग	**5**	**22003**	**20**	**22003**

● **(स्नेहलता पंवार)** संयुक्त शासन सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012 ● अधिसूचना●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा **तहसील बाँसवाड़ा जिला बाँसवाड़ा** का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील **छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा** का सृजन करती हैः-

नवसृजित तहसील छोटीसरवन के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. सं.	**नाम तहसील**	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**पटवार मण्डल**
1	**बाँसवाड़ा**	दानपुर	दानपुर
2			हरनाथपुरा
3			जहाँपुरा
4			छायनबड़ी
5			छोटीसरवन
6			मुलिया
7			मकनपुरा
8			वागतालाब
9			खजुरी
10			गागरवा
11			घोड़ी तेजपुर
12		कटुम्बी	कटुम्बी
13			दनाक्षरी
14			बारी
15			कोटड़ा
16			फेफर
17			नादिया
18			नापला

● **(अन्तर सिंह)** शासन उप सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (26) राज./ग्रुप-1/2013 जयपुर, दिनांकः 17.04.2013 ● अधिसूचना●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील, बाँसवाड़ा, जिला बाँसवाड़ा का पुनर्गठन कर तहसील, अवापुरा, जिला बाँसवाड़ा का नवसृजन करती है।

नव सृजित तहसील, अवापुरा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. सं.	भू. अ. निरीक्षक वृत्त	भू.अ. निरीक्षक वृत्त का कुल क्षेत्रफल	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल वार क्षेत्रफल
1	अवापुरा	7043	अवापुरा	903
2			देवगढ़	1463
3			विरपुर	2294
4			वदरेलखुर्द	850
5			केसरपुरा	1533
6	खान्दु	7973	झरनिया	2094
7			बोरिया	2176
8			नल्दा	1892
9			छापरिया	1811
10	बरवाला राजिया	8074	बरवाला राजिया	1752
11			बोरखाबर	2053
12			खेडा	2340
13			महेशपुर	1929
योग	**3**	**23090**	**13**	**23090**

● **(स्नेहलता पंवार)** संयुक्त शासन सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012 ● अधिसूचना ●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील कुशलगढ़ जिला बाँसवाड़ा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील सज्जनगढ़ जिला बाँसवाड़ा का सृजन करती हैः-

नवसृजित तहसील सज्जनगढ़ के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. सं.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	**कुशलगढ़**	सज्जनगढ़	सज्जनगढ़
2			टाण्डा रतना
3			खुंटा चतरा
4			राठधनराज
5			जीवा खूंटा
6			रोहनिया लक्ष्मण सिंह
7			भुरा कुआ
8			खुन्दनी हाला
9			टाण्डा मंगला
10			गोदावाड़ा नारेंग
11		ताम्बेसरा	ताम्बेसरा
12			अन्देश्वर
13			गगरदा डामरा साथ
14			पाली बड़ी
15			इटाला
16			शक्करवाडा
17			सागवा
18			महुड़ी
19			बिलडी
20		डूंगरा छोटा	डूंगरा छोटा
21			बावडीपाड़ा
22			डूँगरा बडा
23			मछारा साथ
24			हिम्मतगढ़
25			सातसेरा
26			कसारवाडी
27			मुनिया खूंटा
28			मस्का बडा
29			टाण्डीबडी
30			जालिमपुरा

●**(अन्तर सिंह)** शासन उप सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (26) राज./ग्रुप-1/2013 जयपुर, दिनांकः 17.04.2013 ● अधिसूचना ●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील, घाटोल, जिला बाँसवाड़ा का पुनर्गठन कर तहसील गनोड़ा, जिला बाँसवाड़ा का नवसृजन करती है।

नव सृजित तहसील, गनोड़ा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. स.	भू. अ. निरीक्षक वृत्त	भू.अ. निरीक्षक वृत्त का कुल क्षेत्रफल	नाम पटवार मण्डल	पटवार मण्डल वार क्षेत्रफल
1	गनोड़ा	6946	गनोड़ा	1799
2			भूवासा	1224
3			चिरावाला गढ़ा	1486
4			बस्सी आड़ा	1336

5			वोरदा	1101
6	चन्दूजी का गढ़ा	4790	चन्दूजी का गढ़ा	761
7			निचली मोरड़ी	1371
8			मुंगाणा	1511
9			बड़लिया	1147
10	मोटागाँव	4657	मोटागाँव	1435
11			बिछावाड़ा	1188
12			मोटाटाण्डा	766
13			अमरसिंह का गढ़ा	1268
14	जगपुरा	8804	जगपुरा	4445
15			दूदका	1646
16			भोयर	1327
17			बामनपाड़ा	1386
योग	**4**	**25197**	**17**	**25197**

● **(स्नेहलता पंवार)** संयुक्त शासन सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012 ● अधिसूचना ●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील डूँगरपुर, जिला डूँगरपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूँगरपुर का सृजन करती हैः-

नवसृजित तहसील बिछीवाड़ा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. सं.	**नाम तहसील**	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**नाम पटवार मण्डल**
1	**डूँगरपुर**	बिछीवाड़ा	बिछीवाड़ा
2			चुंडावाड़ा
3			मोदर
4			पालीसोड़ा
5			गेड
6			तलैया
7			पंथाल
8			खजुरी
9			मालमाथा
10		बोखला	बोखला
11			पालपादर
12			शिशोद
13			आमझरा
14			बरोठी
15			साबली
16		कनबा	कनबा
17			छापी
18			नवलश्याम
19			ओडाबडा
20			करोली
21			संचिया
22		गामडीअहाडा	गामडीअहाडा
23			रामपुरमेवाडा
24			गलन्दर
25			झालुकुआ
26			मेवाड़ा
27			वीरपुर
28			भेहणा

● **(अन्तर सिंह)** शासन उप सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (26) राज./ग्रुप-1/2013 पार्ट जयपुर, दिनांकः 30.04.2013 ● अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूँगरपुर का पुनर्गठन/क्रमोन्नत कर तहसील झोथरीपाल, जिला डूँगरपुर का नवसृजन करती है।

तहसील, झोथरीपाल के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. सं.	**भू. अ. निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ. निरीक्षक वृत्त का कुल क्षेत्रफल**	**नाम पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल वार क्षेत्रफल**
1	**झोथरीपाल**	18541	झोथरीपाल	784
2			भीण्डा	1281
3			पाडली गुजरेश्वर	777
4			सांसरपुर	1484
5			चौकी	1903
6			सुराता	1471
7			बेडा	1725
8			वैंजा	1225
9			करावाडा	1663
10			गन्दवा	2842
11			चारवाडा	2070
12			पोहरी खातुरात	1316
योग	**1**	**18541**	**12**	**18541**

● **(स्नेहलता पंवार)** संयुक्त शासन सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012 ● अधिसूचना ●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूँगरपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील चिखली, जिला डूँगरपुर का सृजन करती हैः-

नवसृजित तहसील चिखली के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. स.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	**सीमलवाड़ा**	चिखली	चिखली
2			सालेडा
3			साकोदरा
4			बावड़ी
5			अम्बाडा
6			बडगाना
7			कोचरी
8		कुआं	कुआं
9			गुन्दलारा
10			डूँगर सारण
11			नई बस्ती बडगागा
12			डूँगर
13			सेण्डोला
14			दरीयाटी
15			पुनावाड़ा
16			नोलीयावाड़ा

● **(अन्तर सिंह)** शासन उप सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012 ● अधिसूचना ●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सागवाड़ा, जिला डूँगरपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील गलियाकोट, जिला डूँगरपुर का सृजन करती हैः-

नवसृजित तहसील गलियाकोट के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. स.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	**सागवाड़ा**	चितरी	चितरी
2			गडा जसराजपुर
3			गलियाकोट
4			सिलोही
5			भेभई
6			झौसावा
7			भेसरा छोटा
8			जोगपुर
9			घॉटा का गाँव
10		गरियता	गरियता
11			गडा मेडतिया
12			रामसौर
13			जसैला
14			कसारीया
15			नादीया
16			बाबा की बार
17			रातडीया

● **(अन्तर सिंह)** शासन उप सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012 जयपुर, दिनांकः 31.5.2012 ● अधिसूचना ●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील आसपुर, जिला डूँगरपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर तहसील साबला, जिला डूँगरपुर का नवसृजन करती हैः-

नवसृजित तहसील साबला के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. सं.	नाम तहसील	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	**आसपुर**	साबला	साबला
2			पिण्डावल
3			दौलपुरा
4			वालाई
5			सागोट
6			लेम्बाता
7		निठाउवा	निठाउवा
8			पाल निठाउवा
9			गामडी

10			खानन
11			म्याला
12			रीछा
13			सोलज
14		माल	माल
15			बोडीगामा बड़ा
16			बोडीगामा छोटा
17			काब्जा
18			पचलासा छोटा
19			पचलासा बड़ा
20		मूंगेड	मूंगेड
21			तालोरा
22			नांदली अहाडा
23			भेखरेड
24			लोडावल

● **(अन्तर सिंह)** शासन उप सचिव

अधिसूचना

● राजस्थान सरकार ● राजस्व (ग्रुप-1) विभाग ● क्रमांकः प.9 (26) राज./ग्रुप-1/2013 जयपुर, दिनांकः 17.04.2013 ● अधिसूचना ●

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सराडा, जिला उदयपुर का पुनर्गठन/क्रमोन्नत कर तहसील सेमारी, जिला उदयपुर का सृजन करती है।

तहसील सेमारी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र. सं.	**भू. अ. निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ. निरीक्षक वृत्त का कुल क्षेत्रफल**	**नाम पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल वार क्षेत्रफल**
1	सेमारी (पुनर्गठित)	8849.16	सेमारी	1727.48
			कुराडिया	1593.97
			श्यामपुरा	1528.49
			सुरखण्ड खेडा	1719.69
			सदकडी	2279.53
2	टोकर (प्रस्तावित नवीन)	11976.38	टोकर	2909.38
			कुण्डा	1391.00
			धनकावाडा	2617.00
			भोराई	2567.00
			घोडासर	2492.00
3	बडावली (प्रस्तावित नवीन)	7620.93	बडावली	1895.30
			चन्दोडा	1672.69
			ईन्टाली	892.87
			मल्लाडा	1763.02
			रठोडा	1397.05
	कुल भू.अ. नि. वृत्त 3	**28446.47**	**कुल पटवार मण्डल 15**	**28446.47**

● **(स्नेहलता पंवार)** संयुक्त शासन सचिव।

17 (298) राजस्थान राज-पत्र, नवम्बर 5,2014 भाग 6 (ग)

संख्या एफ.15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1514-विभागीय अधिसूचना संख्या एफ. 15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/ 510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किए जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियाँ आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर्स द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों एवं की गई अभिशंषाओं का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात उदयपुर जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और किः-

1. उदयपुर जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियाँ उस नाम से जानी जाएगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तंभ 4 में यथानामित पंचायत समितियाँ अधिकारिता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तंभ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तंभ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिए जाते है;
4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियाँ जो अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जिससे अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा

क्र. सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	पुनर्गठित/ नवसृजित पं.स. का नाम एवं मुख्यालय	पुनर्गठित/नव सृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	2	3	4	5
1	**खैरवाडा**	1 असीरवाड़ा	1. **खैरवाडा**	1 असीरवाड़ा
		2 बरोठी भीलान		2 बरोठी भीलान
		3 बरोठी ब्राह्मणान		3 बरोठी ब्राह्मणान
		4 बायडी		4 बायडी
		5 भाणदा		5 भाणदा
		6 भौमटावाडा		6 भौमटावाडा
		7 छाणी		7 छाणी
		8 डेरी		8 डेरी
		9 ढीकवास		9 ढीकवास
		10 गुडा		10 गुडा
		11 हर्षावाडा		11 हर्षावाडा
		12 कानपुर		12 कानपुर
		13 करावाडा		13 करावाडा
		14 कातरवास		14 कातरवास
		15 खैरवाडा		15 खैरवाडा
		16 लराठी		16 लराठी
		17 महुवाल		17 महुवाल
		18 नयागाँव		18 नयागाँव
		19 पहाडा		19 पहाडा
		20 पाटीया		20 पाटीया
		21 सरेरा		21 सरेरा
		22 सरोली		22 सरोली
		23 सुबेरी		23 सुबेरी
		24 सकलाल		24 सकलाल
		25 सुलई		25 सुलई
		26 सुन्दरा		26 सुन्दरा
		27 थाणा		27 थाणा
		28 बडला		28 बडला
		29 बलीचा		29 बलीचा
		30 बंजारिया		30 बंजारिया
		31 बावलवाडा		31 बावलवाडा
		32 डबायचा		32 डबायचा
		33 जवास		33 जवास
		34 जायरा		34 जायरा
		35 कनबई		35 कनबई
		36 कारछा		36 कारछा
		37 खाण्डी ओवरी		37 खाण्डी ओवरी
		38 खानमीन		38 खानमीन
		39 नवाघरा		39 नवाघरा
		40 भूधर		40 करनाउवा
		41 गडावत		41 झूथरी
		42 घोडी		42 पेगराकलां
		43 कोजावाड़ा		43 खेड़ा घाटी
		44 मसारों की ओवरी		44 मालीफला
		45 निचला माण्डवा		45 कातर
		46 पादेडी		
		47 पीपली ए	2 **ऋषभदेव**	1 भूधर
		48 पीपली बी		2 गडावत
		49 ऋषभदेव		3 घोडी
		50 बिच्छीवाडा		4 कोजावाडा
		51 चिकला		5 मसारों की ओवरी
		52 ढेलाणा		6 निचला माण्डवा
		53 गरनाला कोटडा		7 पादेडी
		54 जलपका		8 पीपली ए
		55 कागदर भाटिया		9 पीपली बी
		56 कल्याणपुर		10 ऋषभदेव
		57 कानुवाडा		11 बिच्छीवाडा
		58 कटेव		12 चिकला
		59 कीकावत		13 ढेलाणा
		60 माण्डवाफलां		14 गरनाला कोटडा
		61 पण्डयावाडा		15 जलपका
		62 सागवाडा		16 कागदर भाटिया
		63 करनाउवा		17 कल्याणपुर
		64 झूथरी		18 कानुवाडा
		65 पैगरा कलां		19 कटेव
		66 खेडा घाटी		20 कीकावत
		67 मालीखला		21 माण्डवाफलां
		68 कातर		22 पण्डयावाडा
		69 सेमावत		23 सागवाडा
		70 बामनवाडा		24 सेमावत
		71 श्यामपुरा		25 बामनवाडा
		72 नलापीपला		26 श्यामपुरा
		73 गडावण		27 नलां पीपला
				28 गडावण

जयपुर, नवम्बर 5, 2014

संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1515:- विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/ 2014/ 510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किए जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियाँ आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर्स द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों एवं की गई अभिशंषाओं का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाए जाने के पश्चात उदयपुर जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और किः-

1. उदयपुर जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियाँ उस नाम से जानी जाएगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/ नवृसजित और अनुसूची के स्तंभ 4 में यथानामित पंचायत समितियाँ अधिकारिता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तंभ 5 में वर्णित है और उसके वार्डों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे वर्णित अनुसूची के स्तंभ 5 में दर्शित है;
3. अनुसूची के स्तंभ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिए जाते हैं;
4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियाँ जो अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

17(300) राजस्थान राज-पत्र, नवम्बर 5,2014 भाग 6 (ग)

क्र. सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	पुनर्गठित/ नवसृजित पं.स. का नाम एवं मुख्यालय	पुनर्गठित/नव सृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	2	3	4	5
1	गोगुन्दा	1 जसवंतगढ़	गोगुन्दा	1 जसवंतगढ़
		2 रावलिया खुर्द		2 रावलिया खुर्द
		3 रावलिया कलां		3 रावलिया कलां
		4 मोड़ी		4 मोड़ी
		5 चोरबावड़ी		5 चोरबावड़ी
		6 गोगुन्दा		6 गोगुन्दा
		7 मजावड़ी		7 मजावड़ी
		8 पाटिया		8 पाटिया
		9 मोरवल		9 मोरवल
		10 काछबा		10 काछबा
		11 चाटीयाखेड़ी		11 चाटीयाखेड़ी
		12 बगडुन्दा		12 बगडुन्दा
		13 मजावद		13 मजावद
		14 छाली		14 छाली
		15 पडावली क्लां		15 पडावली क्लां
		16 पडावली खुर्द		16 पडावली खुर्द
		17 वास		17 वास
		18 मादडा		18 मादडा
		19 समीजा		19 समीजा
		20 झाडोली		20 झाडोली
		21 दादीया		21 दादीया
		22 ओबरा कलां		22 ओबरा कलां
		23 भानपुरा		23 नाल
		24 सायरा		24 मादा
		25 दियाण		25 अम्बावा
		26 बोखाडा		26 वीरपुरा
		27 ब्राह्मणों का कलवाना	सायरा	1 भानपुरा
		28 पलासमा		2 सायरा
		29 सिंघाडा		3 दियाण
		30 पदराडा		4 बोखाडा
		31 कमोल		5 ब्राह्मणों का कलवाना
		32 विसमा		6 पलासमा
		33 सुआवतों का गुडा		7 सिंघाडा
		34 पुनावली		8 पदराडा
		35 तरपाल		9 कमोल
		36 ढोल		10 विसमा
		37 नान्देशमा		11 सुआवतों का गुडा
		38 पानेर		12 पुनावली
		39 तिरोल		13 तरपाल
		40 करदा		14 ढोल

		41 गुन्दाली		15 नान्देशमा
		42 ढून्ढी		16 पानेर
		43 सेमड़		17 तिरोल
		44 रावछ		18 करदा
		45 चित्रावास		19 गुन्दाली
		46 नाल		20 ढून्ढ़ी
		47 मादा		21 सेमड़
		48 अम्बावा		22 रावछ
		49 वीरपुरा		23 चित्रावास
		50 जेमली		24 जेमली
		51 कडेच		25 कडेच

भाग 6 (ग) राजस्थान राज–पत्र, नवम्बर 5, 2014 17 (301)

संख्या एफ.15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1516ः–विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा–98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा–9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किए जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियाँ आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर्स द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों एवं की गई अभिशंषाओं का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाए जाने के पश्चात उदयपुर जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और किः–

1. उदयपुर जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियाँ उस नाम से जानी जाएगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवृसजित और अनुसूची के स्तंभ 4 में यथानामित पंचायत समितियाँ अधिकारिता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तंभ 5 में वर्णित है और उसके वार्डों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे वर्णित अनुसूची के स्तंभ 5 में दर्शित है;
3. अनुसूची के स्तंभ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिए जाते हैं;
4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जिससे अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क्र. सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	पुनर्गठित/ नवसृजित पं.स. का नाम एवं मुख्यालय	पुनर्गठित/नव सृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	2	3	4	5
1	झाडोल	1 अटाटिया	झाडोल	1 अटाटिया
		2 बाघपुरा		2 बाघपुरा
		3 गेजवी		3 गेजवी
		4 गोरण		4 गोरण
		5 जेकड़ा		5 जेकड़ा
		6 झाड़ोल		6 झाड़ोल
		7 कंथारिया		7 कंथारिया
		8 खाखड़		8 खाखड़
		9 लु. का खेड़ा		9 लु. का खेड़ा
		10 मगवास		10 मगवास
		11 माकडादेव		11 माकडादेव
		12 ओडा		12 ओडा
		13 ओगणा		13 ओगणा
		14 सु. का खैरवाडा		14 सु. का खैरवाडा
		15 थोबावाडा		15 थोबावाडा
		16 गोराणा		16 गोराणा
		17 देवास		17 देवास
		18 ब्राह्मणों का खेरवाडा		18 ब्राह्मणों का खेरवाडा
		19 चन्दवास		19 चन्दवास
		20 गोदाणा		20 गोदाणा
		21 गोगला		21 गोगला
		22 बदराणा		22 बदराणा
		23 काडा		23 काडा
		24 फलासिया		24 दमाणा (मगवास)
		25 आमोड		25 कोचला
		26 आमीवाडा		26 माणस
17 (302) राजस्थान राज–पत्र नवंबर 5,2014 भाग 6 (ग)				
		27 जेतावाडा		27 नेनबारा
		28 बिरोठी		28 नेताजी का बारा
		29 नेवज		29 पीलक
		30 आजरोली खास		30 रोहीमाला

		31 पानरवा		31 सेलाना
		32 धरावण	फलासिया	1 फलासिया
		33 डैया		2 आमोड
		34 अम्बासा		3 आमीवाडा
		35 आमलिया		4 जेतावाडा
		36 सडा		5 बिरोठी
		37 निचली सीगरी		6 नेवज
		38 पीपलबारा		7 आजरोली खास
		39 खाटीकमदी		8 पानरवा
		40 मादडी		9 धरावण
		41 मादला		10 डैया
		42 बिछीवाडा		11 अम्बासा
		43 कोल्यारी		12 आमलिया
		44 गरणवास		13 सडा
		45 सोम		14 निचली सीगरी
				15 पीपलबारा
				16 खाटीकमदी
				17 मादडी
				18 मादला
				19 बिछीवाडा
				20 कोल्यारी
				21 गरणवास
				22 सोम
				23 अम्बावी
				24 कवेल
				25 दमाणा (पीपलबारा)
				26 सरादित
				27 भेषाणा
				28 खरडिया

भाग 6 (ग) राजस्थान राजपत्र नवंबर 5, 2014 17 (303)

2	सलुम्बर	1 उथरदा	सलुम्बर	1 उथरदा
		2 मैथुडी		2 मैथुडी
		3 गींगला		3 गींगला
		4 गुडेल		4 गुडेल
		5 ईडाणा		5 ईडाणा
		6 खरका		6 खरका
		7 सराडी		7 सराडी
		8 कडूणी		8 कडूणी
		9 ओरवाडिया		9 ओरवाडिया

		10 करावली		10 करावली
		11 गावडापाल		11 गावडापाल
		12 माकडासीमा		12 माकडासीमा
		13 चिबोडा		13 चिबोडा
		14 खैराड		14 खैराड
		15 बस्सी झूंझावत		15 बस्सी झूंझावत
		16 बस्सी सामचोत		16 बस्सी सामचोत
		17 अदकालिया		17 अदकालिया
		18 सेरिया		18 सेरिया
		19 थडा		19 थडा
		20 टोडा		20 टोडा
		21 डाल		21 डाल
		22 धारोद		22 धारोद
		23 ईसरवास		23 ईसरवास
		24 बनोडा		24 बरोडा
		25 मोरीला		25 बामनिया
		26 मालपुर		26 ईन्टाली खेडा
		27 बरोडा		27 नोली
		28 बामनिया		28 कांट
		29 डगार		29 लाम्बी डूंगरी
		30 ईन्टाली खेडा		30 डगार
		31 अमलोदा		31 बेडावल
		32 कराकला		32 सती की चोरी
		33 जैताणा	झल्लारा	1 झल्लारा

भाग 6 (ग) राज. राजपत्र नवंबर 5, 2014 17 (304)

		34 झल्लारा		2 कराकला
		35 देवगाँव		3 जैताणा
		36 शेषपुर		4 शेषपुर
		37 धोलागिर खेडा		5 धोलागिर खेडा
		38 पायरा		6 पायरा
		39 कल्याणान कला		7 कल्याणान कला
		40 घटेड		8 घटेड
		41 मातासुला		9 मातासुला
		42 भबराना		10 भबराना
		43 जोधपुर खुर्द		11 जोधपुर खुर्द
		44 आमलवा		12 आमलवा
		45 बुडेल		13 बुडेल
		46 मानपुर ए		14 मानपुर ए
		47 बेडावल		15 देवगाँव
				16 खोलडी

				17 विरवाकला
				18 माण्डली
				19 अमलोदा
				20 बनोडा
				21 मोरीला
				22 मालपुर
3	सराडा	1 अदवास	सराडा	1 अदवास
		2 अमरपुरा		2 अमरपुरा
		3 बडावली		3 भालडिया
		4 बलुआ		4 चावण्ड
		5 बाणाकलां		5 देवपुरा
		6 बडगाँव		6 गातोड
		7 भलारिया		7 जावद
		8 भौराई		8 झाडोल
		9 चन्दौडा		9 कातनवाडा
		10 चावण्ड		10 केवडा खुर्द
		11 देवपुरा		11 खरबर
		12 धनकावाडा		12 नठारा

		13 गातोड		13 नेवा तलाई
		14 घोडासर		14 निम्बोदा
		15 ईन्टाली		15 पाडला
		16 जावद		16 पलोदडा
		17 झाड़ोल		17 परसाद
		18 कातनवाडा		18 पीलादर
		19 केजड		19 सराडा
		20 केवडाखुर्द		20 केजड
		21 खरबर		21 सगतड़ा
		22 कुराडिया		22 सिंघटवाडा
		23 कुण्डा		23 सेमाल
		24 मल्लाडा		24 नईझर
		25 नठारा		25 श्यामपुरा (झा.)
		26 नेवा तलाई		26 थाणा
		27 निम्बोदा		27 वीरपुरा
		28 पाडला		28 ओडा
		29 पाल सराडा		29 सरसीयां
		30 पालोदडा		30 कलात
		31 परसाद		31 नाल अलकार
		32 पीलादर		32 डेलवास
		33 रठौडा		33 खरबर 'ए'
		34 सदकडी		34 सेपूर
		35 सगतडा	सेमारी	1 बडावली
		36 सल्लाडा		2 बलुआ
		37 सराडा		3 बाणाकलां
		38 सिंघटवाडा		4 बड़गाँव
		39 सेमाल		5 भौराई
		40 सेमारी		6 चन्दौडा
		41 श्यामपुरा (झा.)		7 धनकावाडा
		42 श्यामपुरा (से.)		8 घोडासर
		43 सूरखण्ड खेडा		9 उपलाकला सदकड़ी
		44 थाणा		10 ईन्टाली
		45 टोकर		11 कुराडीया

		46 वीरपुरा		12 कुण्डा
				13 मल्लाडा
				14 पाल सराडा
				15 रठौडा
				16 सदकड़ी
				17 सल्लाडा
				18 सेमारी
				19 श्यामपुरा (से.)
				20 सूरखण्ड खेडा
				21 टोकर
				22 जाम्बुड़ा
				23 शक्तावतों का गुडा
				24 कालीघाटी
4	गिर्वा	1 अलसीगड़	गिर्वा	1 अलसीगढ़
		2 बछार		2 बछार
		3 बड़ी उन्दरी		3 बड़ी उन्दरी
		4 बुझडा		4 बुझडा
		5 डोडावली		5 डोडावली
		6 नाई		6 नाई
		7 पई		7 पई
		8 सीसारमा		8 सीसारमा
		9 बलीचा		9 बलीचा
		10 डाकन कोटड़ा		10 डाकन कोटड़ा
		11 सवीना ग्रामीण		11 सवीना ग्रामीण
		12 तीतरडी		12 तीतरडी

		13 बम्बोरा		13 बारापाल
		14 बोरी		14 चणावदा
		15 फीला		15 जावर माईन्स
		16 गुडली		16 काया
		17 कोट		17 पडूणा
		18 सोमाखेड़ा		18 सरु
		19 सुलावास		19 टीडी
		20 वल्लभ		20 भोइयों की पंचोली
		21 बारापाल		21 कलडवास
		22 चणावदा		22 कानपुर
		23 जावर		23 मटुन
		24 काया		24 देबारी
		25 पडूणा		25 पोपल्टी
		26 सरु		26 चौकड़िया
		27 टीडी		27 देवाली ग्रामीण
		28 बेमला		28 खजूरी
		29 दांतीसर		29 जाबला
		30 जगत		30 बारा
		31 कुराबड		31 सरुपाल
		32 लालपुरा		32 अमरपुरा
		33 परमदा		33 बेड़वास
		34 वली		34 मनवाखेड़ा
		35 भलों का गुड़ा		35 उमरड़ा
		36 भेसडाकलां		36 लकड़वास
		37 भेसड़ा खुर्द	कुराबड़	1 बम्बोरा
		38 बिछड़ी		2 बोरी

		39 देबारी		3 फीला
		40 साकरोदा		4 गुडली
		41 लकड़वास		5 कोट
		42 शिशवी		6 सोमाखेड़ा
		43 भोइयों की पंचोली		7 सुलावास
		44 चांसदा		8 वल्लभ
		45 झामर कोटड़ा		9 बेमला
		46 कलडवास		10 दांतीसर
		47 कानपुर		11 जगत
		48 मटुन		12 कुराबड
				13 लालपुरा
				14 परमदा
				15 वली
				16 भलों का गुडा
				17 बिछड़ी
				18 साकरोदा
				19 शिशवी
				20 चांसदा
				21 झामर कोटड़ा
				22 जिंक स्मेल्टर
				23 भेसडाकला
				24 भेसडा खुर्द

जयपुर, नवम्बर 5, 2014

संख्या एफ.15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1517:- विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किए जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियाँ आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर्स द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों एवं की गई अभिशंषाओं का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाए जाने के पश्चात बाँसवाड़ा जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और कि:-

1. बाँसवाड़ा जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियाँ उस नाम से जानी जाएगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवृसजित और अनुसूची के स्तंभ 4 में यथानामित पंचायत समितियाँ अधिकारिता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तंभ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तंभ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिए जाते हैं;
4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियाँ जो अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जिससे अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क्र. सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	पुनर्गठित/ नवसृजित पं.स. का नाम एवं मुख्यालय	पुनर्गठित/नव सृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	2	3	4	5
1	बागीदौरा	1 बागीदौरा	बागीदौरा	1 बागीदौरा
		2 बालावाड़ा		2 वनेलापाडा
		3 नौगामा		3 बालावाडा
		4 बोडीगामा		4 बांसला
		5 पिण्डारमा		5 नौगामा
		6 करजी		6 सोगपुरा
		7 बारीगामा		7 बोडीगामा
		8 उम्मेदगढ़ी		8 जल्दा
		9 बडोदिया		9 पिण्डारमा
		10 नागावाड़ा		10 करजी
		11 पिपलोद		11 मंगलिया दईडा
		12 चौखला		12 बारीगामा
		13 बुडवा		13 उम्मेदगढ़ी
17 (308) राजस्थान राजपत्र नवंबर 5, 2014 भाग (6)				
		14 इटाउवा		14 बडोदिया
		15 कलिंजरा		15 नागावाड़ा
		16 राखो		16 पिपलोद
		17 नाल		17 चौखला
		18 सुवाला		18 बूडवा
		19 खूँटामछार		19 इटाउवा
		20 छींछ		20 कलिंजरा
		21 पाटन		21 राखो
		22 गांगड़तलाई		22 नाल
		23 मोटी टिम्बी		23 सुवाला
		24 राम का मुन्ना		24 खूँटामछार
		25 खूँटागलिया		25 छींछ
		26 सेन्डनानी		26 पाटन
		27 लँकाई		
		28 गमानिया हमीरा	गांगडतलाई	1 गांगडतलाई
		29 खूँटीनारजी		2 छालका तलाई
		30 सल्लोपाट		3 मोटी टिम्बी
		31 जाम्बुडी		4 गणेशपुरा
		32 झाँझरवाकला		5 राम का मुन्ना
		33 हाण्डी		6 चरकनी
		34 शेरगढ़		7 खूँटागलिया
		35 रोहनिया		8 गडुली
		36 सालिया		9 सेण्ड नानी
		37 टाण्डीनानी		10 लँकाई
		38 रोहनवाडी		11 झेर मोटी
		39 ढालर		12 गमानिया हमीरा
		40 खोडालीम		13 खूँटीनारजी
		41 मोनाडूँगर		14 सल्लोपाट
		42 वनेलापाडा		15 जाम्बुडी
		43 बांसला		16 झाँझरवाकला
		44 सोगपुरा		17 हाण्डी
		45 जल्दा		18 शेरगढ़
		46 मंगलिया दईडा		19 रोहनिया
		47 छालका तलाई		20 सालिया
		48 गणेशपुरा		21 टाण्डीनानी
		49 चरकनी		22 रोहनवाडी
		50 गडुली		23 ढालर
		51 झरमोटी		24 खोडालीम
				25 मोनाडूँगर
1	गढ़ी	1 लसाडा	गढ़ी	1 लसाडा
		2 कोटडाबडा		2 कोटडाबडा
		3 पालोदा		3 पालोदा
		4 लोहारीया		4 लोहारिया
		5 राठडियापाडा		5 राठडियापाडा
		6 आसन		6 आसन
		7 आसोडा		7 आसोडा
		8 मेतवाला		8 मेतवाला
		9 खोडन		9 खोडन
		10 उम्बाडा		10 सुजाजी का गडा
		11 करणपुर		11 उम्बाडा
		12 भीमपुर		12 करणपुर
		13 सुन्दनी		13 भीमपुर
		14 सागवाडिया		14 सुन्दनी
		15 रोहिडा		15 सागवाडिया
		16 सरेडीबडी		16 रोहिडा
		17 सरेडीछोटी		17 सरेडीबडी
भाग 6 (ग) राजस्थान राजपत्र नवंबर, 5, 2014 17 (309)				
		18 भगोरा		18 सरेडीछोटी
		19 बेडवा		19 भगोरा

		20 खेरन का पारडा		20 बेडवा
		21 चोपासाग		21 खेरन का पारडा
		22 बिलोदा		22 चोपासाग
		23 डडूका		23 बोरी
		24 बोरी		24 डडूका
		25 अडोर		25 मोर
		26 मोर		26 खेडा
		27 खेडा		27 भीमसोर
		28 भीमसोर		28 वजवाना
		29 वजवाना		29 पाराहेडा
		30 पाराहेडा		30 साकरीया
		31 साकरीया		31 गोपीनाथ का गड़ा
		32 गोपीनाथ का गडा		32 मादलदा
		33 मादलदा		33 गढी
		34 झडस		34 आमजा
		35 मलाना		35 डकार कुण्डी
		36 वखतपुरा		36 पनासीछोटी
		37 आंजना		37 अडोर
		38 मोटीबस्सी		38 परतापुर
		39 सारनपुर		39 झालों का गड़ा
		40 पादेडी		40 मोयावास
		41 ईटाउवा	अरथूना	1 बिलोदा
		42 कोटडा		2 कुवालिया
		43 केसरपुरा		3 मलाना
		44 अरथूना		4 वखतपुरा
		45 नवाघरा		5 आजंना
		46 ओडवाडा		6 मोटीबस्सी
		47 नाहली		7 सारनपुर
		48 टामटियाराठोड		8 पादेडी
		49 जोलाना		9 ईटाउवा
		50 रैयाना		10 कोटडा
		51 आमजा		11 केसरपुरा
		52 टिमुरवा		12 अरथूना
		53 पनासीछोटी		13 नवाघरा
		54 गढी		14 ओडवाडा
		55 परतापुर		15 नाहली
		56 सूजाजी का गढा		16 टामटिया राठोड
		57 डकार कुण्डी		17 भतार
		58 कुवालिया		18 जोलाना
		59 भतार		19 रैयाना
		60 मण्डेला पाडा		20 टिमुरवा
				21 मण्डेलापाडा
				22 झडस
				23 ओडा
2	बाँसवाड़ा	1 तलवाडा	बाँसवाड़ा	1 बडवी
		2 बडगाँव		2 भापोर
		3 भचडिया		3 बोरखेडा
		4 बोरवट		4 चाचाकोटा मु. काकनसेजा
		5 चिडियावासा		5 गणाऊ
		6 देवलिया		6 झुपेल
		7 गामड़ी		7 कडेलिया
		8 घलकीया		8 कटियोर
		9 झातला रामोर वडली		9 खेरडाबरा
		10 कुवाला विथ वाटा		10 कुण्डला
		11 कुपडा		11 लीमथान
		12 कुशलपुरा		12 सागवाडिया
		13 लोधा		13 नवागाँव
		14 माकोद		14 निचला घंटाला

		15 मसोटिया		15 पाडी कला
		16 सागडोद		16 सालिया
		17 सेवना		17 सामरिया
		18 सुन्दनपुर		18 सियापुर
		19 सुरपुर		19 सुरवानिया
		20 टामटिया		20 ठिकरिया
		21 तेजपुर		21 उपला घंटाला
		22 उमराई		22 लक्ष्मणगढ़ झरी
		23 बडवी		23 आंबापुरा
		24 भापोर		24 बदरेल खुर्द
		25 बोरखेड़ा		25 बरवाला राजिया
		26 चाचाकोटा मु. काकनसेजा		26 बोरखाबर
		27 गणाऊ		27 बोरिया

		28 झुपेल		28 छापरिया
		29 कडेलिया		29 देवगढ़
		30 कटियोर		30 झरनिया
		31 खेरडाबरा		31 केसरपुरा
		32 कुण्डला		32 खेडा वडली पाडा
		33 लीमथान		33 नल्दा
		34 नवागाँव		34 वीरपुर
		35 निचला घंटाला		35 नवा खेड़ा (नवसृजित)
		36 पाडीकला		36 महेशपुरा
		37 सालिया		
		38 सामरिया	तलवाड़ा	1 तलवाड़ा
		39 सियापुर		2 बड़गाँव
		40 सुरवानिया		3 भचडिया
		41 ठिकरिया		4 बोरवट
		42 उपला घंटाला		5 चिड़ियावासा
		43 आंबापुरा		6 देवलिया
		44 बदरेल खुर्द		7 गामडी
		45 बरवाला राजिया		8 घलकीया
		46 बोरखाबर		9 अरनिया
		47 बोरिया		10 झातला रामोर वडली
		48 छापरिया		11 कुवाला विथ वाटा
		49 देवगढ़		12 भटवाडा
		50 झरनिया		13 कुपडा
		51 केसरपुरा		14 कुशलपुरा
		52 खेड़ा वडलीपाडा		15 लोधा
		53 नल्दा		16 माकोद
		54 वीरपुर		17 मसोटिया
		55 महेशपुरा		18 मलवासा
		56 सांगवाडिया		19 सागडोद
		57 लक्ष्मणगढ़ झरी		20 सेवना
		58 नवा खेड़ा		21 सुन्दनपुर
		59 अरनिया		22 सुरपुर
		60 भटवाड़ा		23 टामटिया
		61 मलवासा		24 तेजपुर
				25 उमराई

जयपुर, नवम्बर 5, 2014

संख्या एफ.15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/1518:- विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किए जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियाँ आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर्स द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों एवं की गई अभिशंषाओं का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाए जाने के पश्चात डूँगरपुर जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और किः-

1. डूँगरपुर जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियाँ उस नाम से जानी जाएगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/ नवृसजित और अनुसूची के स्तंभ 4 में यथानामित पंचायत समितियाँ अधिकारिता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तंभ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तंभ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिए जाते हैं;
4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियाँ जो अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जिससे अनुसूची के स्तंभ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क्र. सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	पुनर्गठित/ नवसृजित पं.स. का नाम एवं मुख्यालय	पुनर्गठित/नव सृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	2	3	4	5
1	आसपुर	1 आसपुर	आसपुर	1 आसपुर
		2 खेड़ा आसपुर		2 खेड़ा आसपुर
		3 गोल		3 गोल
		4 अमृतिया		4 अमृतिया
		5 टोकवासा		5 टोकवासा
		6 बडोदा		6 बडोदा
		7 पूंजपुर		7 पूंजपुर
		8 रायकी		8 रायकी

17 (308) राजस्थान राज-पत्र, नवम्बर 5, 2014 भाग 6 (ग)				
		9 नांदली सागोरा		9 नांदली सागोरा
		10 पारडाईटीवार		10 पारडा ईटीवार
		11 खुदरडा		11 खुदरडा
		12 गणेशपुर		12 गणेशपुर
		13 देवला		13 देवला
		14 रामगढ़		14 रामगढ़
		15 पारडाथूर		15 पारडाथूर
		16 इन्दौडा		16 इन्दौडा
		17 कांठडी		17 कांठडी
		18 खलील		18 खलील
		19 मोवाई		19 मोवाई
		20 लीलवासा		20 लीलवासा
		21 कतिसौर		21 कतिसौर
		22 बनकोडा		22 बनकोडा
		23 गलियाणा		23 गलियाणा
		24 भेवडी		24 भेवडी
		25 सकानी		25 सकानी
		26 काब्जा		26 नेपालपुरा
		27 माल		
		28 पचलासा छोटा		
		29 पचलासा बड़ा		
		30 नांदली अहाडा		
		31 साबला		
		32 दौलपुरा		
		33 मुंगेड		
		34 बोडीगामा बड़ा		
		35 तालोरा		
		36 बोडीगामा छोटा		
		37 पिण्डावल		
		38 सागोट		
		39 वालई		
		40 रीछा		
		41. लेम्बाता		
		42. गामड़ी		
		43. खानन		
		44. निठाउवा		
		45. पाल निठाउवा		
		46. सोलज		
		47. म्याला		
		48. लोडावल		
		49. भेखरेड		
2			साबला	1 काब्जा
				2 माल
				3 पचलासा छोटा
17 (312) राजस्थान राज-पत्र, नवम्बर 5, 2014 भाग 6 (ग)				
				4 पचलासा बड़ा
				5 नांदली अहाड़ा
				6 साबला
				7 दौलपुरा
				8 मुंगेड
				9 बोडीगामा बड़ा
				10 तालोरा
				11 बोडीगाम छोटा
				12 पिण्डावल
				13 सागोट
				14 वालई
				15 रीछा
				16 लेम्बाता
				17 गामड़ी
				18 खानन
				19 निठाउवा
				20 पाल निठाउवा
				21 सोलज
				22 म्याला
				23 लोडावल
				24 भेखरेड
				25 भाडगा
				26 बोसी
3	सागवाडा	1 भीलुडा	सागवाडा	1 भीलुडा
		2 वगेरी		2 वगेरी
		3 सेलोता		3 सेलोता
		4 वरदा		4 वरदा
		5 रणोली		5 रणोली
		6 बिलिया बडमामा		6 बिलिया बडमामा
		7 काहेला		7 काहेला
		8 डेचा		8 डेचा
		9 जेठाणा		9 जेठाणा
		10 सेमलिया पंण्ड्या		10 सेमलिया पंण्ड्या
		11 गडा झुमजी		11 गडा झुमजी

		12 बुचिया बडा		12 बुचिया बडा
		13 ठाकरडा		13 ठाकरडा
		14 टामटिया		14 टामटिया
		15 बरबुदनिया		15 बरबुदनिया
		16 विराट		16 विराट
		17 पाडवा		17 पाडवा
		18 सामलिया		18 सामलिया
		19 कराडा		19 कराडा
		20 गामडी देवकी		20 गामडी देवकी
		21 ओड		21 ओड
		22 भासौर		22 भासौर
		23 माण्डव		23 माण्डव
		24 कोकापुर		24 कोकापुर
		25 पादरा		25 पादरा
		26 सरोदा		26 सरोदा
		27 पारडा सरोदा		27 पारडा सरोदा
		28 करियाणा		28 करियाणा
		29 पादरडी बडी		29 पादरडी बडी
		30 गोवाडी		30 गोवाडी
		31 गामडा बामणिया		31 गामडा बामणिया
		32 नन्दौड		32 नन्दौड
		33 आरा		33 आरा
		34 वणोरी		34 वणोरी
		35 वरसिंगपुर		35 वरसिंगपुर
		36 खडगदा		36 खडगदा
		37 घोटाद		37 घोटाद
		38 दिवडा छोटा		38 ओबरी
		39 दिवडा बड़ा		39 पिपलागुंज
		40 ओबरी		40 फलातेड
		41 पिपलागुज		41 बेण
		42 अम्बाडा		
		43 पारडा मेहता		

		44 डैयाणा		
		45 जोगपुर		
		46 घाटा का गाँव		
4			गलियाकोट	1 दिवडा छोटा
				2 दिवडा बड़ा
				3 अम्बाडा
				4 पारडा मेहता
				5 डैयाणा
				6 जोगपुर
				7 घांटा का गाँव
				8 बाबा की बार
				9 भैमई
				10 भैसरा छोटा
				11 चितरी
				12 गडा जसराजपुर
				13 गडा मेडतिया
				14 गरियाता
				15 जसैला
				16 झौसावा
				17 कसारिया
				18 नादिया
				19 रातडिया
				20 सिलोही
				21 गलियाकोट
				22 रामसौर
				23 लिम्बडिया
				24 लिमडी
				25 सेमलिया घांटा
5	सीमलवाडा	1 बाबा की बार	सीमलवाडा	1 बांकडा
		2 भेमई		2 बांसिया
		3 भैसराछोटा		3 भचडियां
		4 चितरी		4 चाडोली
		5 गडाजसराजपुर		5 धम्बोला
		6 गडा मेडतिया		6 डूँका
		7 गरियता		7 गडापट्टा पीठ
		8 जसेला		8 धुवेड
		9 झौसावा		9 झलाई
		10 कसारिया		10 झलाप
		11 नादिया		11 झरनी
		12 रातडियां		12 लिखीबडी
		13 सिलोही		13 माण्डली
		14 गलियाकोट		14 मेवडा
		15 बोडामली		15 धोधरा
		16 जोरावपुरा		16 पीठ
		17 माला खोलडा		17 रामसौर जूना
		18 अम्बाडा		18 रास्ता
		19 बडगामा		19 सादडिया
		20 बावडी		20 सांकरसी

		21 चिखली		21 सरथूना
		22 दरियाटी		22 शिथल
		23 धनगाँव		23 सीमलवाडा
		24 डूँगर		24 भादर
		25 डूँगरसारण		25 कनबा
		26 गुन्दलारा		26 गडावाटेश्वर
		27 कोचरी		27 खरपेडा
		28 कुआं		28 रतनपुरा
		29 नई बस्ती बडगामा		29 केसरपुरा
		30 पुनावाडा		
		31 साकोदरा		
		32 सालेडा		
		33 सेण्डोला		
		34 बांकडा		
		35 बांसियां		
		36 भचडियां		
		37 चाडोली		
		38 धम्बोला		

		39 डूँका		
		40 गडापट्टा पीठ		
		41 धुवेड		
		42 झलाई		
		43 झलाप		
		44 झरनी		
		45 लिखीबडी		
		46 माण्डली		
		47 मेवड़ा		
		48 धोधरा		
		49 पीठ		
		50 रामसौर जूना		
		51 रास्ता		
		52 सादडिया		
		53 साकरसी		
		54 सरथूना		
		55 शिथल		
		56 सीमलवाडा		
		57 नागरिया पंचेला		
		58 बेडसा		
6			चिखली	1 बोडामली
				2 जोरावरपुरा
				3 माला खोलडा
				4 अम्बाडा
				5 बडगामा
				6 बावडी
				7 चिखली
				8 दरियाटी
				9 धनगाँव
				10 डूँगर
				11 डूँगर सारण
				12 गुन्दलारा
				13 कोचरी
				14 कुआं
				15 नई बस्ती बडगामा
				16 पुनावाडा
				17 साकोदरा
				18 सालेडा
				19 सेण्डोला
				20 पारडा दरियाटी
				21 शिशोट
				22 लिखतियां पंचकुण्डी
				23 राठडी
				24 ढूँढी
				25 उदडिया
7	बिछीवाडा	1 गामडी अहाडा	बिछीवाडा	1 गामडी अहाडा
		2 गलन्दर		2 गलन्दर
		3 रामपुर मेवाडा		3 रामपुर मेवाडा
		4 मेवाडा		4 मेवाडा
		5 संचिया		5 संचिया
		6 नवलश्याम		6 नवलश्याम
		7 ओडा बडा		7 ओडा बडा
		8 करौली		8 करौली
		9 भेहणा		9 भेहणा
		10 पालपादर		10 पालपादर
		11 कनबा		11 कनबा
		12 मालमाथा		12 मालमाथा
		13 झालुकुंआ		13 झालुकुंआ
		14 छापी		14 छापी
		15 खजुरी		15 खजुरी

		16 तलैया		16 तलैया
		17 गेड		17 गेड
		18 मोदर		18 मोदर
		19 बिछीवाडा		19 बिछीवाडा
		20 साबली		20 साबली
		21 बोखलापाल		21 बोखलापाल
भाग 6 (ग) राजस्थान राज–पत्र, नवम्बर 5, 2014 17 (315)				
		22 आमझरा		22 आमझरा
		23 बरोठी		23 बरोठी
		24 चुण्डावाडा		24 चुण्डावाडा
		25 वीरपुर		25 वीरपुर
		26 शिशोद		26 शिशोद
		27 पालदेवल		27 घमलात फला
		28 देवल खास		28 जेलाणा
		29 वाग्दरी		29 धामोद
		30 बलवाडा		30 लाम्बाभाटडा
		31 काकरादरा		31 कवालियादरा
		32 माडा		32 झींझवा
		33 घुघरा		33 आसियावाव
		34 पालवडा		34 बिलपन
		35 थाणा		35 महिपालपुरा
		36 सुरपुर		36 शरम
		37 गुमानपुरा		37 पाँच महुडी
		38 सतीरामपुर		
		39 सुन्दरपुर		
		40 गामडी देवल		
		41 रेंटा		
		42 गैंजी		
		43 विकासनगर		
		44 चारवाडा		
		45 गंधवा		
		46 वैंजा		
		47 करावाडा		
		48 महुडी		
8			झोथरी	1 रेंटा
				2 गैंजी
				3 विकासनगर
				4 चारवाडा
				5 गंधवा
				6 वैंजा
				7 करावाडा
				8 महुडी

				9 नागरिया पंचेला
				10 बेडसा
				11 झोथरी
				12 बेडा
				13 सांसरपुर
				14 पाडली गुजरेश्वर
				15 माल
				16 सुराता
				17 भीण्डा
				18 पोहरी खातुरात
				19 माण्डेला उपली
				20 नेगाला
				21 उटीया
				22 वाणिया तालाब
				23 पोहरी पटेलान
				24 गोरादा
				25 वासुवा
9	डूँगरपुर	1 झोथरी	डूँगरपुर	1 माथुगामडा खास
		2 बेडा		2 पिपलादा
		3 सांसरपुर		3 सिदडी खैरवाडा
		4 पाडली गुजरेश्वर		4 बिलडी
		5 माल		5 मेताली
		6 सुराता		6 माथुगामाडा पाल
		7 भीण्डा		7 गडा मौरेया
		8 पोहरी खातुरात		8 खेडा कच्छवासा
		9 माथुगामडा खास		9 पाल देवल
		10 पिपलादा		10 देवल खास
		11 सिदडी खैरवाडा		11 वागदरी
		12 बिलडी		12 बलवाडा
		13 मेताली		13 काकरादरा
		14 माथुगामाडा पाल		14 माडा
17 (316) राजस्थान राजपत्र, नवम्बर 5, 2014 भाग 6 (ग)				
		15 गडा मौरेया		15 घूघरा

		16 खेडा कच्छवासा		16 पालवडा
		17 आंतरी		17 थाणा
		18 कहारी		18 सुरपुर
		19 वलोता		19 गुमानपुरा
		20 हिराता		20 सतीरामपुर
		21 लोलकपुर		21 सुन्दरपुर
		22 डोजा		22 गामडीदेवल
		23 हथाई		23 गोकुलपुरा
		24 भौजातो का ओडा		24 खेरवाडा
		25 पाल माण्डव		25 भटवाडा
		26 रागेला		26 पगारा
		27 घूनाथपुरा		27 बटका फला
		28 माण्डवा		28 रोहनवाडा
		29 आसेला		29 चक महुडी
		30 फलोज		30 बोरी
		31 वसी खास		31 ऊपरगाँव
		32 पुनाली		32 पाल गामड़ी
		33 खेमपुर		
		34 दामडी		
		35 कोलखण्डा खास		
		36 धावडी		
10			दोवडा	1 आंतरी
				2 कहारी
				3 वलोता
				4 हिराता
				5 लोलकपुर
				6 डोजा
				7 हथाई
				8 भौजातों का ओडा
				9 पाल माण्डव
				10 रागेला
				11 रघुनाथपुरा
				12 माण्डवा
				13 आसेला
				14 फलोज
				15 वसी खास
				16 पुनाली
				17 खेमपुर
				18 दामडी
				19 कोलखण्डा
				खास
				20 धावडी
				21 पाल वसी
				22 सवगढ़
				23 दोवडा
				24 पाल कोलखण्डा
				25 ओडवाडिया

● राज्यपाल की आज्ञा से **राजेश यादव,** शासन सचिव एवं आयुक्त

2. विद्यालयों में पासबुक्स प्रतिबंध के क्रम में।

● राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् ● क्रमांक-रा.मा.शि.प./जय/गुणवत्ता/2017-18/1983 दिनांक 13/03/2018 ● 1. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग, 2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले, 3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ. समस्त जिले, 4. संस्था प्रधान, समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय। ● विषयः विद्यालयों में पासबुक्स प्रतिबंध के क्रम में।

स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं विद्यार्थियों में विषय की समझ विकसित करने के प्रति कटिबद्ध है। विभाग का यह प्रयास है कि विद्यार्थी रटन्त प्रणाली को छोड़कर विभिन्न विषयों की मूल अवधारणा व संकल्पना को समझें, जिससे न केवल परीक्षाओं में बेहतर परिणाम हासिल कर सके बल्कि व्यावहारिक रूप से इस ज्ञान का उपयोग भी कर सके। National Achievement Survey (NAS), State level Achievement survey (SLAS) तथा अन्य संस्थाओं द्वारा गुणात्मक उपलब्धि सर्वे में भी विद्यार्थियों के विषयगत ज्ञान, समझ, कौशल एवं व्यावहारिक उपयोग पर आधारित प्रश्न होते हैं। अतः शिक्षक पाठ्यपुस्तक में पढ़ाये जाने वाली विषयवस्तु से सम्बन्धित स्वरचित प्रश्नों के अधिकाधिक अभ्यास कराये। पासबुक्स का उपयोग शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विद्यालयों में पासबुक्स का प्रयोग ना हो बल्कि विद्यार्थी एवं शिक्षक पाठ्यपुस्तकें एवं प्रामाणिक संदर्भ पुस्तकों का ही प्रयोग करें।

अतः समस्त राजकीय विद्यालयों में पासबुक्स का प्रयोग वर्जित किया गया है तथा निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय समय में किसी शिक्षक एवं विद्यार्थी के पास पासबुक्स पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

● राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
● निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

3. कक्षा- 5, 8 एवं 10 में बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् विद्यालय में अस्थाई प्रवेश देते हुए नियमित कक्षा संचालन सुनिश्चित करने बाबत्।

● कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर● क्रमांकः

शिविरा-माध्य/मा-स/22492/प्रवेशोत्सव/2018-19/ दिनांक : 21.03.18 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी ● माध्यमिक/प्रारम्भिक- प्रथम/द्वितीय ●विषय : कक्षा-5,8 एवं 10 में बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् विद्यालय में अस्थाई प्रवेश देते हुए नियमित कक्षा संचालन सुनिश्चित करने बाबत्। ●सन्दर्भ : शिविरा पंचांग वर्ष : 2017-18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में स्थानीय परीक्षा के अन्तर्गत कक्षा-1 से 4, 6, 7, 9 एवं 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन शिविरा पंचांगानुरूप 13 से 25 अप्रैल-2018 की अवधि में किया जाना है तथा दिनांक: 30 अप्रैल-2018 को वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा प्राथमिक कक्षाओं में चतुर्थ योगात्मक आकलन सम्पन्न होने के पश्चात् दिनांक: 01 मई, 2018 से नवीन सत्रारम्भ एवं विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में नियमित प्रवेश के साथ ही शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा मौजूदा सत्र हेतु कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षाएँ दिनांक: 15 मार्च से 27 मार्च, 2018 (व्यावसायिक शिक्षा के विषयों सहित) तक, कक्षा-12 की बोर्ड परीक्षाएँ दिनांक: 08 मार्च से 02 अप्रैल, 2018 तक आयोज्य है। इस वर्ष कक्षा-8 हेतु 'प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा' का आयोजन दिनांक: 15 मार्च से 26 मार्च, 2018 तक तथा कक्षा-5 के विद्यार्थियों हेतु 'जिला स्तरीय प्राथमिक अधिगम स्तर मूल्यांकन' सम्बन्धित जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (D.I.E.T.) द्वारा दिनांक: 05 अप्रैल से 13 अप्रैल, 2018 तक किया जाएगा। उपर्युक्त वर्णित परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम सामान्यतया ग्रीष्मावकाश के दौरान माह मई-जून में घोषित किए जाते हैं। उक्तानुसार कक्षा-5, 8 तथा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औपचारिक कक्षा शिक्षण ग्रीष्मावकाश के उपरान्त प्रारम्भ हो पाता है। शिविरा पंचांगानुरूप ग्रीष्मावकाश उपरान्त दिनांक: 19.06.18 से विद्यालयों में शिक्षण कार्य पुन: प्रारम्भ होगा तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् दिनांक : 26 अप्रैल से प्रारम्भ करने हेतु पंचांग में निर्दिष्ट किया जा चुका है। उक्तानुरूप ही कक्षा-5, कक्षा-8 व कक्षा-10 की परीक्षाओं में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश उक्त परीक्षाओं के समाप्त होने के तत्काल पश्चात् दिया जाकर नियमित शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विगत वर्ष माह मई-जून, 2017 में राजकीय विद्यालयों में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए थे। अत: इस वर्ष भी विभाग द्वारा माह मई एवं जून, 2018 में विद्यालयों में दो चरणों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में सामान्यतया बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों हेतु स्थानीय परीक्षा आयोजन के तत्काल बाद माह अप्रैल में ही आगामी कक्षाएँ प्रारम्भ कर दी जाती है। उक्त क्रम में राजकीय विद्यालयों में कक्षा-5, 8 तथा 10 की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों का ठहराव उसी विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् उसी विद्यालय की आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश देते हुए (नामांकन वृद्धि हेतु अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी नव प्रवेश देते हुए) अग्रांकित विवरणानुसार स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए विधिवत कक्षा संचालन किया जाना सुनिश्चित करावें :-

क्र. सं.	कक्षा, जिसकी परीक्षा में विद्यार्थी प्रविष्ट हुआ है	आगामी कक्षा, जिसमें अस्थाई प्रवेश दिया जाकर संचालित की जानी है	विधिवत कक्षा संचालन प्रारम्भ करने हेतु निर्दिष्ट तिथि
1.	कक्षा-5	कक्षा-6	16 अप्रैल - 2018
2.	कक्षा-8	कक्षा-9	27 मार्च - 2018
3.	कक्षा-10	कक्षा-11	28 मार्च - 2018

उपर्युक्त निर्देशों की पालना क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय विद्यालयों में सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाई जानी सुनिश्चित करें ।

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

माह : **अप्रैल, 2018**

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

प्रसारण समय : **दोपहर 2.40 से 3.00 बजे तक**

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ क्रमांक	पाठ का नाम
2.4.2018	सोमवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
3.4.2018	मंगलवार	उदयपुर	9	सामाजिक विज्ञान	20	आपदा एवं प्रबंधन
4.4.2018	बुधवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
5.4.2018	गुरुवार	उदयपुर	9	हिन्दी	21	अपठित
6.4.2018	शुक्रवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
7.4.2018	शनिवार	उदयपुर	5	पर्यावरण अध्ययन	22	कैसे बचाएँ ईंधन
9.4.2018	सोमवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
10.4.2018	मंगलवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम पुनरवलोकन सत्र 2017-18

निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, अजमेर।

कलेण्डर वर्ष–2018 में राजस्थान के जिलों में जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश की सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	दिनांक	वार	अवकाश का कारण
1.	श्रीगंगानगर	09.08.2018 26.10.2018	गुरुवार शुक्रवार	श्रावणी शिवरात्रि श्री गंगानगर स्थापना दिवस
2.	पाली	08.03.2018 13.09.2018	गुरुवार गुरुवार	शीतला सप्तमी गणेश चतुर्थी
3.	कोटा	13.09.2018 18.10.2018	गुरुवार गुरुवार	गणेश चतुर्थी महानवमी
4.	बारां	20.09.2018 18.10.2018	गुरुवार गुरुवार	जलझूलणी एकादशी महानवमी
5.	बूँदी	29.08.2018 13.09.2018	बुधवार गुरुवार	कजली तीज गणेश चतुर्थी
6.	झालावाड़	26.03.2018 18.10.2018	सोमवार गुरुवार	श्री राडी के बालाजी का मेला महानवमी
7.	जालोर	16.02.2018 08.03.2018	शुक्रवार गुरुवार	जालोर महोत्सव 2018 शीतला सप्तमी
8.	अजमेर	23.03.2018 22.11.2018	शुक्रवार गुरुवार	उर्स मेला पुष्कर मेला
9.	भीलवाड़ा	09.03.2018 20.09.2018	शुक्रवार गुरुवार	शीतला सप्तमी जलझूलणी एकादशी
10.	नागौर	09.03.2018 05.11.2018	शुक्रवार सोमवार	शीतला अष्टमी धनतेरस
11.	टोंक	20.09.2018 05.11.2018	गुरुवार सोमवार	जलझूलणी एकादशी धनतेरस
12.	बीकानेर	20.03.2018 18.04.2018	मंगलवार बुधवार	गणगौर मेला अक्षय तृतीया
13.	हनुमानगढ़	12.07.2018 18.09.2018	गुरुवार मंगलवार	जिला स्थापना दिवस गोगानवमी
14.	बाँसवाड़ा	13.09.2018 20.09.2018	गुरुवार गुरुवार	गणेश चतुर्थी जलझूलणी एकादशी
15.	चित्तौड़गढ़	15.03.2018 20.09.2018	गुरुवार गुरुवार	रंगतेरस जलझूलणी एकादशी
16.	डूँगरपुर	30.01.2018 27.09.2018	बुधवार गुरुवार	बैणेश्वर मेला रथयात्रा
17.	प्रतापगढ़	15.03.2018 13.09.2018	गुरुवार गुरुवार	रंगतेरस गणेश चतुर्थी
18.	राजसमंद	08.03.2018 20.09.2018	गुरुवार गुरुवार	शीतला सप्तमी जलझूलणी एकादशी
19.	उदयपुर	20.03.2018 20.09.2018	मंगलवार गुरुवार	गणगौर मेला जलझूलणी एकादशी
20.	भरतपुर	27.07.2018 13.09.2018	शुक्रवार गुरुवार	गुरु पूर्णिमा गणेश चतुर्थी
21.	सिरोही	20.02.2018 08.03.2018 13.09.2018	मंगलवार गुरुवार गुरुवार	रघुनाथ पाटोत्सव (केवल आबूरोड तहसील क्षेत्र) शीतला सप्तमी (सम्पूर्ण जिला/तहसील क्षेत्र आबूरोड छोड़कर) गणेश चतुर्थी (सम्पूर्ण जिला)
22.	धौलपुर	15.09.2018 06.11.2018	शनिवार मंगलवार	मचकुण्ड मेला छोटी दीपावली
23.	करौली	23.04.2018 19.11.2018	सोमवार सोमवार	दुर्गाष्टमी अंजनी मेला
24.	सवाईमाधोपुर	05.01.2018 13.09.2018	शुक्रवार गुरुवार	चौथमाता मेला गणेश चतुर्थी
25.	जोधपुर	09.03.2018 11.09.2018	शुक्रवार मंगलवार	शीतला अष्टमी बाबा रामदेव मेला (मसूरिया)
26.	जैसलमेर	18.04.2018 05.11.2018	बुधवार सोमवार	अक्षय तृतीया धनतेरस
27.	बाड़मेर	08.03.2018 18.04.2018	गुरुवार बुधवार	शीतला सप्तमी अक्षय तृतीया
28.	जयपुर	09.03.2018 13.09.2018	शुक्रवार गुरुवार	शीतला अष्टमी (मेला चाकसू) गणेश चतुर्थी
29.	दौसा	22.01.2018 13.09.2018	सोमवार गुरुवार	बसन्त पंचमी गणेश चतुर्थी
30.	अलवर	23.07.2018 11.09.2018	सोमवार मंगलवार	मेला श्री जगन्नाथ जी महाराज मेला श्री हनुमानजी महाराज (पाण्डुपोल)
31.	चूरू	20.03.2018 04.09.2018	मंगलवार मंगलवार	गणगौर मेला गोगानवमी
32.	सीकर	26.02.2018 22.03.2018	सोमवार गुरुवार	श्री श्याम बाबा मेला खाटूश्याम जी श्री जीणमाता मेला–2018
33.	झुन्झुनूं	13.08.2018 05.11.2018	सोमवार सोमवार	श्रावणी तीज धनतेरस

शिविरा पञ्चाङ्ग : अप्रैल 2018 ● कार्य दिवस–24, रविवार–05, अवकाश–01, उत्सव–01 ● 1 अप्रैल–विद्यालय समय परिवर्तन–**1.** एक पारी विद्यालय–विद्यार्थियों हेतु प्रात: 08.05 से 02.10 बजे तक। (शिक्षकों हेतु प्रात: 8 बजे से 2.10 बजे तक, संस्था प्रधान हेतु प्रात:7.50 से 2.10 बजे तक)। **2.** दो पारी विद्यालय– प्रात: 07 से सायं 06 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे) **13 से 25 अप्रैल**–वार्षिक परीक्षा का आयोजन। **14 अप्रैल**–डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जयन्ती (अवकाश–उत्सव) **26 अप्रैल**–विद्यालय में आगामी सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया का आरम्भ एवं नामांकन हेतु विद्यार्थियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ। **30 अप्रैल**–वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा। संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्रपर्यन्त हुए कार्यों की समीक्षा करना एवं आगामी सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार–विमर्श कर निर्णय लेना तथा योजना सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। SDMC की साधारण सभा का आयोजन एवं करणीय कार्यों के संबंध में प्रस्ताव पारित करना। **नोट:**–कक्षा–1 से 4 में चतुर्थ योगात्मक आकलन का आयोजन–20 से 25 अप्रैल (CCE/SIQE संचालित विद्यालयों में), कक्षा 5 हेतु संबंधित जिले की DIET द्वारा चतुर्थ योगात्मक आकलन के स्थान पर 5 से 13 अप्रैल तक प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन किया जाएगा।

अप्रैल 2018					
रवि	1	8	15	22	29
सोम	2	9	16	23	30
मंगल	3	10	17	24	
बुध	4	11	18	25	
गुरु	5	12	19	26	
शुक्र	6	13	20	27	
शनि	7	14	21	28	

● कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर ● जिला स्तरीय प्राथमिक अधिगम स्तर मूल्यांकन–2018 ● परीक्षा कार्यक्रम

समय प्रात: 10 बजे से 12.30 बजे तक

दिनांक	वार	विषय
5 अप्रैल 2018	गुरुवार	हिन्दी
6 अप्रैल 2018	शुक्रवार	अंतराल
7 अप्रैल 2018	शनिवार	अंग्रेजी
8 अप्रैल 2018	रविवार	अवकाश
9 अप्रैल 2018	सोमवार	गणित
10 अप्रैल 2018	मंगलवार	अंतराल
11 अप्रैल 2018	बुधवार	पर्यावरण अध्ययन
12 अप्रैल 2018	गुरुवार	अंतराल
13 अप्रैल 2018	शुक्रवार	संस्कृत (संस्कृत विद्यालयों हेतु)/उर्दू (मदरसों हेतु)

नोट:–

1. उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
2. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Alvino) तथा मायोपिया (Myopia), सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), पोलियो (Polio), लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf And Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने पर निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिए Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त या (Moderate) एवं (Severe Cases) में श्रुतलेखक देय होगा।
5. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्तों के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जाएगा।
6. परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखें।
7. परीक्षा कक्ष में केलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
8. प्रश्न–पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।

● **निदेशक,** प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

आवश्यक सूचना

● 'शिविरा' मासिक पत्रिका में रचना भेजने वाले अपनी रचना के साथ व्यक्तिगत परिचय यथा– नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी. नंबर एवं बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करके भिजवाएँ। ● कुछ रचनाकार एकाधिक रचनाएँ एक साथ भेजने पर एक रचना के साथ ही उक्त सूचनाएँ संलग्न कर दायित्वपूर्ति समझ लेते हैं। अत: अपनी प्रत्येक रचना के साथ अलग से पृष्ठ लगाकर प्रपत्रानुसार अपना विवरण अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचना के छपने एवं उसके मानदेय भुगतान में असुविधा होती है। ● कतिपय रचनाकार अपने एकाधिक बैंक खाता लिखकर भिजवा देते हैं और उक्त खाते का उपयोग समय–समय पर नहीं करने के कारण वह बंद भी हो चुका होता है। परिणामस्वरूप उक्त मानदेय खाते में जमा नहीं हो पाता। जिसकी शिकायत प्राप्त होती है। किसी रचनाकार के एकाधिक खाते हैं तो रचनाकार अपने SBI बैंक खाते को प्राथमिकता देकर अद्यतन व्यक्तिगत जानकारी उपर्युक्तानुसार प्रत्येक रचना के साथ अलग–अलग संलग्न करें।

–वरिष्ठ संपादक

English Class XI Examination Preparation-2018

Narration

❒ Ramesh Chandra Dadheech

In English language narrator's statement can be said in two different ways.

(A) Direct narration

(B) Indirect narration

(A) Direct narration – (speech) – when the narrator's statement is said in those same words which are originally spoken is known as **'direct speech'**. Those words or statement is kept in inverted commas "…….". that is known as 'Reported speech/clause'. The sentence out side the inverted commas is known as "/ verb".

Both are taken as separate sentences. Structure of Reporting clause is- sub.+ verb+obj.

For Example

Brahma said to Narada,,	"Time and tide wait for none."
(A)	(B)
Reporting clause/verb	reported speech/clause

(B) Indirect narration – when the narrator expresses the statement of others in his own words, Means to say "what does he mean ?" is known as indirect narration (speech). There is no use of inverted commas.

For example-

Brahms told Narada that time and tide wait for none.

Main task for student is to change direct to indirect narration.

Some simple rules for change

A. Tense of the verb of the Reporting clause/verb never changes. If there is object in Reporting verb- then say- will changes tell ask (order suggest) and 'to' will be omitted. If there is no object then say/said remain unchanged.

B. Then comma (,) of R.verb will be omitted. Then inverted commas ("……") will be omitted.

C. Use of conjunction - to connect – reporting verb and reported clause as per rule (that, if, whether, to, ……etc.)

D. First letter of reported clause will change into small if the complete word is proper noun then no change.

E. Change the different type of sentences into assertive sentences.(Sub+Verb+Object)

F. Tenses pronouns, words denoting nearness of time and place are changed as per rule given on next pages.

CHANGES OF TENSES – RULES

FIRST AND FOREMOST CONDITION – Verb of reporting verb is in present or future tense then no change of tense. If the pronouns and words of time and place are given then change as following.

A. Simple present tense (verb.I)- simple past (verb-II)

B. Present progressive tense (is/am/are+verb+ing)-past progressive tense (was/were+ verb+ing)

C. Present perfect tense (have/ has+verb-III)-past perfect tense (had+verb-III)

E-Simple past tense (verb-II or did +verb-I)past perfect tense (had+verb-III)

D. Present prefect progressive tense (have been/has been+verb+ ing)Past perfect progressive (had been +verb+ing)

F-Past progressive tense (was/ were+Verb+ing)-Past perfect progressive tense (had been + Verb + ing)

G- Past perfect tense (had + verb- III) – no change

H- Past prefect progressive tense (had been + ing) – no change

I - will/shall/can/may – would/should/could/might

J- will/shall have – would/should have

K- will/shall have been – would/ should have been

L- must–**must-**(if command, intention, advice, prohibition)

Had to –(if present or immediate necessity)

Would have to–(if future necessity)

Note-could, would, should, might, ought to, needn't, used to, etc. modals and had better will not be changed, or remain unaltered.

Exceptions- no change in tense, at all.

If-reported clause is–universal truth, customary action, proverb, idiom, historical act, a state of affairs which still exists.

CHANGES OF PRONOUNS

If in Reported clause-

First person – (I, we, my, mine, our, ours, me, us, my self)

Change according to subject of reporting clause

Second person–(you, yours, yourself/yourselves)-

Change according to the object of reporting clause,

Third person –(he, she, it, his, him, her, its, they, their, theirs, them selves)- no change

CHANGES – DISTANCE OR TIME RELATED-

THIS – THAT
TODAY – THAT DAY
NEXT – THE FOLLOWING
JUST-THEN
THESE- THOSE
TONIGHT – THAT NIGHT
THUS – SO
SOMETIME COME-GO
HERE – THERE
TOMORROW – THE NEXT DAY
HENCH –THENCE
NOW – THEN
YESTERDAY–THE PREVIOVS DAY
HITHER – THITHER
AGO – BEFORE
LAST – THE PREVIOUS

CONJUNCTIONS–according to reported clause

Assertive sentence–that (simple sentence)

Interrogative sentence–wh word – wh word it self

-Helping verb–if or whether (prefer if) then simple sentence

Imperative sentence – to + I form

Typical sentence–(good morning, thank you, congratulation)- no conjunction

'let' beginning sentence – to let

Let us – that, simple sentence

Optative sentence – that, simple sentence (wish, pray, curse)

With – may

Exclamatory sentence – that, simple sentence

What, how, hurrah!, alas! Oh!

Examples –

1. **Direct** – Ram **says,** "children **like** to play."
   Indirect–Ram says **that** children **like** to play.
   (reporting verb – present – no change in tense reported clause assertive sentence – conjunction that
2. **Direct**–She **said**, "Anita **is** writing a story."
   Indirect – She said **that** Anita **was** writing a story.
   (reporting verb past (tense change) reported clause – assertive – conjunction that
3. **Direct**–Puru **said**, "Kusum **must** go home at once."
   Indirect–Puru said that Kusum **had to** go home at once.
   Reporting verb – past, conjunction that,must-had to
4. **Direct** –The teacher **said, "The sun rises in the east."**
   Universal truth
   Indirect – The teacher said that the Sun rises in the east.
   (reporting verb – past , tense will not change, conj. that)
5. You **said to me**, "I went to the school yesterday."
   Indirect – You told me that you had gone to the school the previous day.
6. Rakhi **said to** Atul, " **Can you** help **me** in **my** work ?"
   Indirect–Rakhi asked Atul if he could help her in her work
7. He **said to** sita, "**when will you** go to **your** school **tomorrow**?"
   Indirect- he asked sita **when** she **would** go to **her** school **the next day**.
8. The captain **said to** the soldiers**, "**attack the enemy in the morning."
   Indirect – The captain **ordered** the soldiers **to attack** the enemy in the morning.
9. The student **said to** the teacher, "**kindly** check **my** homework."
   Indirect–The student requested the teacher to check his homework.
10. Vimla said, "Thank you Ramesh, for coming to my house."
    Indirect–Vimla thanked Ramesh for coming to her house.
11. Rajesh said, "Sir, I want to go home."
    Indirect–Rajesh **respectfully said that** he wanted to go home.
12. The doctor said to the patient to "take light food."
    Indirect–The doctor **advised** the patient **to** take light food.
13. He said, " Do not play in the sun. not permitted- forbade
    Indirect –He **forbade** me to play in the sun.
14. She said to me, "I am in trouble. Will you help me?"
    Indirect–She told me that she was in trouble and asked if I would help her.
15. She said to her friend, "Good morning. How do you do.?"
    Indirect–She wished her friend good morning and asked how she was.
16. He said , "Congratulation."
    Indirect –He congratulated me.
17. **He said** "Good bye, my brother."
    Indirect–He bade good bye to his brother.
18. I said to Hari, "**Let us** go to a hotel."
    Indirect–I suggested to Hari that we should go to a hotel.
19. The beggar said, "Let me stay here."
    Indirect–The beggar requested to let him stay there.
20. He said to me, "May God bless you!"
    Indirect–He prayed (wished) that God might bless me.
21. Meena said, "what a beautiful house!"
    Indirect–Meena exclaimed with surprise that the house was very beautiful.
22. She **said to** him , "Bravo! You have well done."
    Indirect–She applauded him saying that he had well done.
23. Salony–What are you doing these days, Soni?
    Soni – I am revising my lessons.
    Indirect–Saloni asked Soni what she was doing those days.
    Soni replied that she was revising her lessons.
24. Student : Alas ! I have got failed.
    Teacher : Have courage and try again.
    Indirect–The student exclaimed with grief that he had got failed.
    The teacher advised him to have courage and try again.
25. Captain : Hurrah ! we have won the championship.
    Coach : The nation is proud of you.
    Indirect–The captain exclaimed with joy that they had won the championship.
    The coach said that the nation was proud of them.

Lecturer
G. JAIN G. S.S.S BEAWAR
MO. 9413843202

रपट

स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय

राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश तृतीय पायदान पर

❐ मोहन गुप्ता 'मितवा'

मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नियमित रूप से स्वच्छता एवं सफाई व्यवहार में किये जा रहे कार्यों की उत्कृष्टता को प्रेरित करने व सम्मानित करने के उद्देश्य से शैक्षिक सत्र 2016-17 में 'स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय' कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की घोषणा की गई। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालयों की रेंकिंग में प्रदेश के 15 विद्यालयों का चयन किया गया। पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक चयनित विद्यालय को 50000/- रुपये की राशि का चेक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार अन्तर्गत तमिलनाडु एवं आन्ध्रप्रदेश के बाद तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य के शासन सचिव (स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग) श्री नरेशपाल गंगवार एवं डॉ. जोगाराम, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया।

राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यालयों की सूची निम्न प्रकार है:-

राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, वर्ष 2017-18

1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मालाखेड़ा गेट, अलवर
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुण्डा खेड़ा, भीलवाड़ा
3.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भूनास, भीलवाड़ा
4.	कस्तूरबा गाँधी बा. आवासीय विद्यालय लाखेरी, बूंदी
5.	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय अजेता, बूंदी
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रेमनगर, चित्तौड़गढ़
7.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावतभाटा 24, चित्तौड़गढ़
8.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापर वार्ड न. 4, चूरू
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अभयपुरा, चूरू
10.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बारावाट, धौलपुर
11.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबरी, हनुमानगढ़
12.	कस्तूरबा गाँधी बा. आवासीय विद्यालय, जावर मण्डल, झालावाड़
13.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 66 एल.एन.पी., श्रीगंगानगर
14.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंहासन, सीकर
15.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय दूणी, टोंक

वर्ष 2017-18 में राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु राज्य के कुल 1.08 लाख राजकीय एवं निजी विद्यालयों में से 49735 (46 प्रतिशत) विद्यालयों ने ऑनलाईन आवेदन किया। समस्त 33 जिलों के आवेदित विद्यालयों में से 256 विद्यालयों को चयनित कर जिला स्तर पर पुरस्कृत किया गया एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु नामित किया। पूर्व वर्ष की भाँति राज्य स्तरीय नामित 256 विद्यालयों के सर्वेक्षण के उपरान्त दल की रिपोर्ट के अनुसार 40 विद्यालयों का चयन किया गया और उन्हीं विद्यालयों को वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु भारत सरकार को नामित किया गया। भारत सरकार द्वारा इन विद्यालयों का भौतिक सत्यापन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया जायेगा एवं राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यालयों को 50000/- रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा दी जायेगी। चयनित 40 विद्यालयों की सूची निम्न प्रकार है:-

प्रारम्भिक शिक्षा (ग्रामीण)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम व जिला
1.	कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, अकबरपुर, अलवर
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोमाणी सियागों की ढाणी, सेतराउ, बाड़मेर
3.	कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय हिण्डोली, बूंदी
4.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवदा, चित्तौड़गढ़
5.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय गोडास, चूरू
6.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय रणधीसर पहाड़ी, चूरू
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोठमाहुठी, डूँगरपुर
8.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय 10 बी.जी.एस., श्रीगंगानगर
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मायावाली ढाणी, झुंझुनूं
10.	राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर, जोधपुर
11.	राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय नीमोदा उजाड़, कोटा
12.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मूण्डिया, टोंक
13.	कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय विजयपुरा, राजसमंद
14.	राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 एम.डी. हनुमानगढ़
15	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तेतरवालों की ढाणी, सीकर

प्रारम्भिक शिक्षा (शहरी)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम व जिला
1.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजारेडी, अजमेर
2.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवाजी पार्क, अलवर
3.	कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय चूरू
4.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फजलदीनवाला, हनुमानगढ़
5.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवगंज, सिरोही

माध्यमिक शिक्षा (ग्रामीण)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम व जिला
1.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय माकड़वाली, अजमेर
2.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय बालेता, अलवर
3.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय हरसाना, अलवर
4.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय सोपुरा, भीलवाड़ा
5.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय ऊपनी, बीकानेर
6.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाडसर छोटा, चूरू
7.	श्री चनानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धमुख, चूरू
8.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय बिच्छीवाडा, डूँगरपुर
9.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श उदावास, झुंझुनूं
10.	श्री जे.के. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श अलसीसर, झुंझुनूं
11.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय रानी, पाली
12.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय नागडेरा, प्रतापगढ़
13.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय सेमा, खमनोर, राजसमन्द
14.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय खण्डार, सवाईमाधोपुर
15.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कालियावास, सीकर

माध्यमिक शिक्षा (शहरी)

क्र.स.	विद्यालय का नाम व जिला
1.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय लाखेरी, बूंदी
2.	जनकल्याण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छापर, चूरू
3.	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय सुमेरपुर, पाली
4.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर
5.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही, सिरोही

राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वर्ष 2017-18प्रदान करने हेतु शिक्षा संकुल जयपुर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री वासुदेव देवनानी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने चयनित 40 विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को 11000/- रुपये की राशि के चेक एवं प्रमाणपत्र प्रदान किये। समारोह की अध्यक्षता श्री नरेशपाल गंगवार शिक्षा सचिव ने की, डॉ. जोगाराम आयुक्त, राप्राशिप. जयपुर, श्रीमती आनन्दी, राज्य परियोजना निदेशक, रमसा एवं यूनिसेफ की राज्य प्रमुख सुश्री संलग्ना रॉय भी समारोह में उपस्थित रही। समारोह के अन्त में डॉ. प्रिया बलराम शर्मा, उपायुक्त राप्राशिप. जयपुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

समारोह के प्रारम्भिक सत्र में राप्राशिप. के हाईजीन अधिकारी श्री गिरीश भारद्वाज ने स्वच्छ विद्यालय चयन के विभिन्न मानदण्डों का उल्लेख किया साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यालयों के वीडियो का प्रदर्शन किया गया।

'मितवा' स्टूडियो, नाहरगढ़ रोड़, जयपुर
मो: 9414265628

रपट गुरुवंदन एवं पूर्व विद्यार्थी संगम

अभिभूत हुए स्कूल के साथी सखा

❐ भागीरथ राम

विद्यालय के सहपाठी, बचपन के साथी एक जगह एकत्र हुए तो सभी का मन प्रसन्न भाव से खिल उठा। सखा एक दूसरे के गले मिले और पुरानी बातों की यादों को ताजा किया। अपने पुराने गुरुजनों के चरण स्पर्श किए। गुरुवंदन एवं पूर्व विद्यार्थी संगम का यह अनूठा आयोजन रविवार 25 फरवरी, 2018 को दांतारामगढ़ के राजकीय आ. उ.मा. विद्यालय में आयोजित किया गया। सीकर जिले का राजकीय विद्यालय में यह पहला अनूठा आयोजन विद्यालय परिवार एवं प्रधानाचार्य भागीरथराम की पहल व कस्बेवासियों के सहयोग से आयोजित किया गया। सखा सम्मेलन में दांतारामगढ़ के अलावा जयपुर, सीकर, दिल्ली, मुम्बई सहित दूर दराज से भी अनेक पूर्व विद्यार्थी आए और अपनों से मिलकर गद्गद् हुए। स्कूल के सहपाठी सखाओं में कोई प्रशासनिक सेवा में है तो कोई डॉक्टर, कोई आयकर अधिकारी तो कोई पुलिस, चिकित्सा या अन्य विभाग में अधिकारी व कर्मचारी है तो कई उद्योगपति बन गए। दांतारामगढ़ वासियों एवं विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए पूर्व विद्यार्थियों का स्वागत व सम्मान किया गया। समारोह सुबह दस बजे शुरू हुआ तो देर रात तक जारी रहा। अनेक सखाओं ने मंच पर अपने पुराने अनुभव बाँटे, वहीं बीच-बीच में 'अरे द्वारपालों' जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाया।

समारोह में पधारे पूर्व विद्यार्थी श्रीगंगानगर कलक्टर ज्ञानाराम चौधरी (I.A.S.) ने कहा कि ऐसा आयोजन सीकर जिले में ही नहीं अपितु राजस्थान में ही पहला आयोजन होगा। उन्होंने समारोह की भव्यता, व्यवस्था आदि के लिए प्रधानाचार्य सहित आयोजन समिति का साधुवाद दिया। नागौर जिले के अड़कसर निवासी जिला कलक्टर ने बताया कि विद्यालय तो हमारे गाँव के पास भी थे लेकिन दांतारामगढ़ का विद्यालय श्रेष्ठ था इसलिए यहाँ पढ़ा और आज कलक्टर हूँ जो इसी विद्यालय व गुरुजनों की देन है। पूर्व छात्र के रूप में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. भजनलाल रोलन ने भी समारोह को प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम बताया। वहीं श्रम एवं रोजगार विभाग में उपनिदेशक चैनसिंह शेखावत, एसएमएस. जयपुर में आचार्य डॉ. बी.एल. कुमावत, सहायक आचार्य डॉ. नेहा शर्मा, डॉ. एस.एम. शर्मा, डॉ. आर.के. जांगिड़, डॉ. दिनेश भारती, डॉ. जगदीश सुण्डा सहित विद्यालय से निकले अन्य लोगों ने भी अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन में आयोजन समिति के साथ ही भूरीमाता सेवा समिति एवं श्री बालीनाथ सेवा समिति का सहयोग भी सराहनीय रहा। समारोह का शुभारम्भ मनोहर शरण शास्त्री महाराज, मा. शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अरुण कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा, सरपंच मधु स्वामी आदि ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रारम्भ में विद्यालय के प्रधानाचार्य भागीरथराम ने कार्यक्रम की प्रस्तावना के साथ अतिथियों का स्वागत किया।

शिक्षा दान में करें सहयोग-समारोह के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बीकानेर से आए मा. शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अरुण कुमार शर्मा ने भामाशाहों व पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह किया कि विद्यालय आपका अपना है। आपने किन अभावों में शिक्षा ग्रहण की यह आपको पता

है लेकिन आप अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुँचे है। वर्तमान में आपका भाई व बेटा अभाव में नहीं रहे इसके लिए आपको भरपूर योगदान देना चाहिए। शर्मा ने कहा कि दांतारामगढ़ में आयोजित यह कार्यक्रम राजस्थान को नई दिशा देगा तथा आगामी सत्र से सभी राजकीय विद्यालयों में 'पूर्व विद्यार्थी संगम' समारोह आयोजित किए जाएँ विभाग की ओर से इसके प्रयास किए जाएँगे। उन्होनें कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रधानाचार्य भागीरथराम व कस्बेवासियों को साधुवाद दिया।

कभी कलक्टर को देखना बड़ी बात थी और आज मैं कलक्टर हूँ: समारोह में अपने अनुभव साझा करते हुए श्री गंगानगर कलक्टर ज्ञानाराम चौधरी ने कहा कि एक बार जिला कलक्टर इस स्कूल में आए तो कई दिनों तक हम साथियों व परिवार के बीच चर्चा रही कि हमने जिला कलक्टर को देखा। पहले जिला कलक्टर को देखना बड़ी बात थी और आज में स्वयं जिला कलक्टर हूँ। उन्होनें बताया कि पहले प्रथम श्रेणी आना भी बड़ी बात थी। दसवीं में दूसरी श्रेणी आई तो गुरुजी से कहा कि दो नम्बर और आते तो प्रथम श्रेणी आ जाती, इस पर गुरुजी ने कहा प्रथम श्रेणी पढ़ने से आती है। 11वीं बोर्ड में पढ़ा और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जो सपना मन में हो उसे मेहनत से पूरा किया जा सकता है। कलक्टर भी बना जा सकता हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री व दामाद दोनों ही इसी विद्यालय में पढ़े और आज पुत्री प्रशासनिक सेवा में व दामाद चिकित्सक है। चौधरी ने कहा कि दांतारामगढ़ में पढ़ने के बाद विकास अधिकारी के पद पर प्रथम नियुक्ति भी दांतारामगढ़ में मिली यह मेरा सौभाग्य रहा।

इनका किया सम्मान : समारोह में दांतारामगढ़ कस्बे के समाजसेवी पूर्व जिला प्रमुख दामोदर प्रसाद शर्मा, पूर्व सरपंच रामेश्वर विद्यार्थी, सत्यनारायण पारीक के साथ ही पूर्व गुरुजनों, विद्यालय से निकले होनहार अधिकारी, उद्योगपति, खिलाड़ी, भामाशाह, सामाजिक कार्यकर्त्ता, बहादुर सिपाही सीताराम डोगीवाल व शहीद परिवारों का सम्मान किया गया।

इन्होंने दिया आर्थिक सहयोग : समारोह में विद्यालय विकास में खुलकर सहयोग दिया। केसरीमल खेतान परिवार की ओर से अढ़ाई लाख रुपये, उपप्रधान बसंत कुमावत ने एक लाख 51 हजार रुपए, सरपंच मधु स्वामी ने छात्राओं के लिए कॉमन हॉल, ओमप्रकाश खेतान, नन्दकिशोर, राधेश्याम कुमावत, स्वामी दास, गुरुचरण, प्रीतम कुमावत परिवार की ओर से एक-एक लाख रुपये, गिरधारीलाल सोनी, रामसिंह उमाड़ा, ओमप्रकाश, दिनेश खाटूवाला की ओर से 51-51 हजार रुपयों का, बिलासीलाल पाटनी परिवार ने 31 हजार, शंकरभाई दौलत भाई, कल्याणमल शर्मा, अशोक कुमार शर्मा नलवा, देवाराम यादव, रामजीलाल चत्राका, दशरथसिंह चौहान, डॉ. बी.एल. कुमावत आदि ने 21-21 हजार का आर्थिक सहयोग विद्यालय विकास में दिया।

सखाओं के साथ कस्बेवासियों ने लिया फागोत्सव का आनन्द : दांतारामगढ़ के राजकीय आदर्श उ.मा. विद्यालय में गुरुवंदन कार्यक्रम के तहत आयोजित फागोत्सव में लोग देर रात तक जमे रहे। शेखावाटी की चंग ढप पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थियों के साथ कस्बेवासी भी देर रात तक जमे रहे। कस्बे व आसपास के महिला पुरुष व बच्चे चंग ढप पर फागण का घूमर देखने बड़ी संख्या में पहुँचे। फागोत्सव में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भजनलाल रोलण, माध्यमिक शिक्षा चूरू के उपनिदेशक महेन्द्रसिंह, उपप्रधान बंसत कुमावत, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्यामसुन्दर सोनी, प्रधानाचार्य भागीरथराम सहित अनेक गणमान्यजन भी शामिल रहे।

भारत दर्शन गलियारे का लोकार्पण : यहाँ विद्यालय परिसर में भारत दर्शन गलियारे का लोकार्पण पलसाना मठ के महंत मनोहर शरण शास्त्री महाराज, शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अरुण कुमार शर्मा, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री केदारमल खेतान उपाख्य 'विजय जी', पूर्व जिला प्रमुख दामोदर प्रसाद शर्मा, सरपंच मधु स्वामी व प्रधानाचार्य भागीरथ राम ने किया। भारत दर्शन गलियारे में दांतारामगढ़ से लेकर भारत तक के संक्षिप्त इतिहास, विरासत आदि के सचित्र वर्णन के साथ दर्शन करवाए गए है।

प्रधानाचार्य
रा.आ.उ.मा.वि. दांतारामगढ़, सीकर
मो: 9413333511

अनुकरणीय

कबीर जी का उक्त दोहा श्री आनन्द कुमार व्यास प्रधानाध्यापक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, उदयरामसर (बीकानेर) पर सटीक बैठता है। श्री व्यास ने अपनी सेवानिवृत्ति तिथि 31.12.2017 के अवसर पर अपने पूजनीय पिताजी प्रो. बुलाकीदास व्यास (अंग्रेजी विभाग, डूँगर महाविद्यालय, बीकानेर) की स्मृति में ग्यारह आलमारियाँ भेंट की है। ये आलमारियाँ श्री व्यास ने अपने सेवाकाल के दौरान जहाँ-जहाँ पदस्थापित रहे, वहाँ-वहाँ भेंट स्वरूप प्रदान की, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. राजकीय करणी उच्च माध्यमिक विद्यालय देशनोक, बीकानेर।
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जस्सूसर गेट, बीकानेर।
3. राजकीय चौपड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाशहर, बीकानेर।
4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाल बड़ी, बीकानेर।
5. राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर।
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोचरों का चौक, बीकानेर।
7. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवगों की बगीची, बीकानेर।
8. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय उदयरामसर।
9. राजकीय डूँगर महाविद्यालय बीकानेर। (पिताजी की स्मृति में)
10. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बीकानेर।
11. स्थानीय संघ स्काउट गाइड गंगाशहर, बीकानेर।

श्री व्यास द्वारा शैक्षिक संस्थानों को दिया गया योगदान निश्चय ही अनुकरणीय है।

-वरिष्ठ सम्पादक

रपट

राजस्थान की प्रथम

ATL लैब का शुभारंभ

❒ अनिता चौधरी

दिनांक 27 फरवरी 2018 को राजकीय मोहता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ (चूरू) के शाला प्रांगण में **श्रीमान् नथमल डिडेल,** निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, **श्रीमान् राहुल कस्वा,** युवा सांसद चूरू के कर कमलों से विद्यालय में **'राजस्थान राज्य की प्रथम कार्यशील ATL लैब'** का शुभारंभ किया गया।

निदेशक महोदय ने बताया कि ATLलैब मिशन के द्वारा छात्रों में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का विकास होगा। उन्होंने विद्यार्थियों को 'परीक्षा तैयारी' एवं उत्तम परीक्षा परिणाम प्राप्ति के सूत्र बताए। सांसद महोदय ने 'करके सीखो' एवं 'गलतियों से सीखो' पर जोर देते हुए ATL लैब के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

अटल टिंकरिंग लैब (ATL) क्या है?

अगर विद्यार्थियों के मन में कुछ नया करने की चाहत है तो उसके सपनों की उड़ान को केंद्र सरकार की यह योजना पंख लगा सकती है।

केन्द्र सरकार द्वारा विद्यार्थियों को कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देशभर के छठी से बारहवीं के विद्यार्थियों में **'अटल टिंकरिंग लैब'** की स्थापना की जा रही है।

केंद्र सरकार ने भारत में ऐसी 500 लैब स्थापित करने की योजना बनाई है जो सरकारी, स्थानीय निकायों या इससे संचालित विद्यालयों में हो सकती है।

अटल लैब स्थापित करने में उन्हीं विद्यालयों को वरीयता दी जाती है जिनके छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति पिछले 3 वर्षों में 75% से अधिक है, साथ ही गत 3 वर्षों के बोर्ड परीक्षा परिणाम को भी संज्ञान में लिया जाएगा।

अटल टिंकरिंग लैब में कम से कम 25% लैब सरकारी विद्यालय में स्थापित की जाएगी। यह हमारा सौभाग्य है कि राजकीय मोहता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ (चूरू) उन शुरुआती लैब में से एक है तथा यह राजस्थान की प्रथम कार्यशील अटल लैब होगी।

विद्यालयों में लैब की स्थापना के लिए 20 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसमें से 10 लाख रुपए प्रारम्भ में तथा अन्य 10 लाख रुपए 5 साल तक उसके रखरखाव के लिए दिए जाएँगे।

केंद्र सरकार की योजना **'अटल इनोवेशन मिशन'** के तहत चलने वाली इस महत्त्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य 10 लाख विद्यार्थियों को 'नीओटेरीक इनोवेटर' के रूप में निखारना है। 'नीओटेरीक' का तात्पर्य जो नए विचारों की वकालत करता है, अर्थात् विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना और वैज्ञानिक सोच पैदा करना है, जिससे बालमन की प्रतिभा को निखार कर आविष्कारक बनाया जाए। उनकी कल्पनाशीलता, अभिनव सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आकार दिया जा सके।

ATL की अवधारणा 'Do it Yourself' पर आधारित है अर्थात् स्वयं करो/ बनाओ।

इसमें छात्रों में स्वयं की कल्पना द्वारा रचनात्मक कौशल एवं स्वप्रेरणा विकसित होती है 'Do it Yourself' **अटल टिंकरिंग लैब** में विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विभिन्न पहलुओं को समझने के साथ-साथ उपकरणों और औजारों का इस्तेमाल कर कुछ नया करने का अवसर दिया जाएगा। ये विद्यार्थी आगे चलकर युवा उद्यमियों के रूप में विकसित होंगे और इससे भारत का अभूतपूर्व विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा **अटल टिंकरिंग लैब** में आई. आर. सेंसर से लेकर 3 डी प्रिंटर्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे। इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन लैबों में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। नीति आयोग के अनुसार यदि भारत में अगले 3 दशकों तक की जीडीपी. की विकास दर को 8 से 10% कायम रखना है तो यह आवश्यक है कि देश यहाँ की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान के उपाय करने में सक्षम हो। ATL द्वारा समय समय पर क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी, कार्यशालाएँ (समस्या समाधान पर), उपकरणों की डिजाइनिंग प्रतियोगिताएँ और नियमित अंतराल में व्याख्यान शृंखलाएँ संचालित/ आयोजित की जाएगी।

संस्थाप्रधान डॉ. सुमन जाखड़ ने मुख्य अतिथियों एवं उनको प्रेरित करने वाले तथा मार्गदर्शन करने वाले उच्च शिक्षा अधिकारियों श्री नथमल डिडेल निदेशक मा.शि., श्रीमान् महावीर सिंह पूनियाँ उप निदेशक बीकानेर, डॉ. महेंद्र कुमार चौधरी उपनिदेशक चूरू, श्रीमान् पितराम सिंह काला जिला शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक श्री गोविंद सिंह राठौड़ का धन्यवाद ज्ञापित किया और आशा व्यक्त की कि **राजकीय मोहता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ चूरू** में 'अटल टिंकरिंग लैब' की स्थापना से भविष्य में यहाँ के विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा जो उन्हें युवा उद्यमी के रूप में विकसित करेगा एवं क्षेत्र में नए रोजगार का सृजन होगा।

इस अवसर पर श्रीमान् निदेशक महोदय ने विद्यालय के नव निर्मित प्रवेश द्वार 'जय द्वार' का लोकार्पण भी किया। यह द्वार विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री जयसिंह पूनियाँ द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति (30 जून 2018) के उपलक्ष्य में विद्यालय को भेंट स्वरूप निर्मित करवाया है। मुख्य अतिथियों ने उनका सम्मान किया एवं संस्था प्रधान डॉ. सुमन जाखड़ (प्रधानाचार्य) ने सभी का आभार प्रकट किया।

प्राध्यापक
राजकीय मोहता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,
राजगढ़, (चूरू)
मो: 9414527503

पुस्तक समीक्षा

जग दर्शन का मेला

लेखक : शिवरतन थानवी **प्रकाशक** : राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. दरियागंज, नई दिल्ली **संस्करण** : 2018 **पृष्ठ संख्या** : 136 **मूल्य** : ₹ 295

शिवरतन जी की इस डायरी को वे ही पाठक ठीक से पढ़ सकेंगे जिन्हें मुद्रित पंक्तियों के बीच की इबारत भी पढ़ने का अभ्यास हो। जैसा पुस्तक के शीर्षक, उपशीर्षक और प्राक्कथन से प्रकट होता है, यह एक ऐसे शिक्षक के संस्मरण हैं जो 87 वर्ष की उम्र के पड़ाव पर कबीर के एक भजन के संदर्भ में अपने अतीत के उन अनुभवों को याद करता है जो अब उसे किसी मेले में देखे हुए दृश्यों जैसे प्रतीत होते हैं। इन अनुभवों को अपने पाठकों से साझा करते हुए यह शिक्षक-लेखक यदा-कदा उस डायरी की भी मदद ले लेता है जिसे वह अपने ही ढंग से पिछले लगभग 70 वर्षों से लिखता रहा है।

पाठक शीघ्र ही समझ जाता है कि शिवरतन जी में ज्ञानप्राप्ति की कभी न बुझने वाली आग पिछले सात-आठ से भी अधिक दशकों से निरंतर जलती रही है। जिसे वे विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं और पत्र-व्यवहार के माध्यम से शांत करने की कोशिश में बराबर लगे रहते हैं।

पुस्तक हमें बताती है कि शिवरतन जी का जन्म राजस्थान के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। वे यह छिपाने की कोशिश नहीं करते कि उनके परिवार में कई बार ऐसी स्थितियाँ रहीं जब उसके सदस्यों के पास शीत से बचाव के (पेज-25) या भोजन संबंधी जरूरतें पूरी करने के (पेज-95) पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं होते थे। पर ज्ञानार्जन की अग्नि थानवी जी के लिए जैसे इन तमाम अभावों और उनसे उत्पन्न कष्टों को उसी तरह भस्म कर डालती है जिस तरह शायद वह कभी मुक्तिबोध जैसे लोगों के लिए भी करती होगी।

थानवी जी के मन में हम अपनी जमीन और अपने लोगों के प्रति गहरा लगाव पाते हैं। अपने इन लोगों को वे कई बार रुढ़िग्रस्त, अंधविश्वासी और धार्मिक प्रपंचों व कर्मकांडों में फंसे पाते हैं; इसके बावजूद वे उनके प्रति उदार, दयालु और क्षमाशील बने रहते हैं। वे उनसे परहेज नहीं करते और न ही उनसे पलायन करके अपने लिए अन्यत्र कोई स्वर्ग खोज लेना चाहते हैं। उनकी कोशिश निरंतर उनके बीच रह कर उन्हें बदलने और अज्ञान-मुक्त करने की रहती है। राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति के प्रति उनके लगाव ने उन्हें निरंतर कोमल कोठारी और विजयदान देथा जैसे संस्कृति-कर्मियों के भी निकट संपर्क में रखा है और लंगा-बंधुओं जैसे लोग-गायकों के गायन की उन्हें बारीक समझ है (पेज 90)।

अपने ज्ञान को नवीनतम बनाए रखने का कोई मौका वे हाथ से नहीं जाने देना चाहते और जब भी उन्हें बाहर जाने का मौका मिलता है वे साहित्य, संगीत, सिनेमा और समकालीन जीवन के बहुत से नए अनुभव बटोर कर लौटते हैं। टीवी पर प्रसारित कार्यक्रमों का उपयोग भी वे निरंतर अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए करते रहते हैं और अपने पुत्र ओम थानवी द्वारा की गई क्यूबा और इस्लामाबाद यात्राओं को भी आंशिक रूप से अपनी उपलब्धियों के तौर पर देखते हैं (पेज- 88-90)। सिनेमा में भी अपने रुचि को वे केवल हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं रखते (83,86,123,124,126)। 'नन्हीं लड़की' शीर्षक कविता को थानवी जी ने इस पुस्तक के अंत में रखा है वह उनकी साहित्यिक समझ को गहराई से रेखांकित करती है।

वे स्वभाव से पूर्णतावादी (परफेक्शनिस्ट) हैं और अपने ज्ञान के आधे-अधूरेपन को यथासंभव दूर करने के इच्छुक रहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें शास्त्रीय रागों को सही-सही पहिचानना आ जाए। (पेज-132)। बकुल, जूही और मौलसिरी (पेज-45) के सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त किए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता और किसी किताब से इंडेक्स का हटाया जाना (जो पाठक को किसी विशिष्ट जानकारी तक पहुँचने में जबरदस्त रूप से सहायक होती है) उन्हें प्रकाशन की दृष्टि से गलत लगता है (पेज-88)। दूरदर्शन के गुजराती चैनल गिरनार में शास्त्रीय संगीत के रिकॉर्डिंग के समय माइक के बार-बार गिरने और इस रिकॉर्डिंग को इसी रूप में प्रसारित करने को वे कार्यक्रम अधिकारियों की आलोच्य लापरवाही के रूप में देखते हैं (पेज-61-62)।

जैसा मैंने ऊपर कहा, मारवाड़ के आंचलिक क्षेत्रों में उनका पाला कई बार घूंघट-प्रथा तक का समर्थन करने वाले घोर रूढ़िवादी (पेज-64), अंधविश्वासी (पेज-59) और मनोरुग्णता की सीमा तक असामान्य कहे जा सकने वाले (पेज-31) लोगों से पड़ता है। वे यथासंभव उनकी भावनाओं को चोट पहुँचाए बिना उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं या फिर लम्बे समय तक मौन रह कर उनका प्रतिरोध करते हैं। संवेदनशीलता उनकी प्रकृति का विशेष गुण है जिसके कारण वे कई बार न केवल अपनी दोहित्री मानपरी के बारे में (पेज-43,48) बल्कि ट्रेन में अपने बच्चे से बिछुड़ गई माँ के बारे में सोच कर भी दुखी हो जाते हैं (पेज-26)। अपने प्रगतिशील विचारों के कारण गंडा-ताबीज बांधने वाले (पेज-22), लोटे में बचे पानी को अपवित्र कहने वाले (पेज-134), कुंभ-स्नान करने या रुद्राभिषेक करवाने वाले (पेज-68) और समाधि लगा कर किसी मृत व्यक्ति के पुनर्जन्म के बारे में बताने वाले (पेज-129) लोग उन्हें रास नहीं आते। धार्मिक मामलों में वे अपने आपको नास्तिक मानते हैं और इसीलिए वृन्दावन की गलियाँ उनमें भक्ति-रस का संचार नहीं कर पाती (पेज 72-73)। इसका अर्थ यह नहीं कि वे दर्शन, अध्यात्म और शास्त्रों की गहरी जानकारी रखने वाले डॉ. छगन मोहता या शिवप्रताप जी जैसे विद्वानों को आदरणीय नहीं मानते (पेज-84,130-133)।

पुस्तक के पृष्ठ 79-80 पर थानवी जी हमारे लिए अपने दाम्पत्य की एक खास खिड़की खोलते हैं जो हमें उनके अन्तरंग जीवन की एक भीतरी झलक पाने का अवसर देती है। रात-दिन पारंपरिक वातावरण और मान्यताओं के बीच रहने वाली अपनी पत्नी से, जिनके लिए वे लम्बे समय तक 'ओम की मम्मी' या 'मुरारी की माँ' का संबोधन इस्तेमाल करते रहे थे किन्तु जिनके लिए पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने एमी (जिसे पश्चिमी लोग 'प्रिया' के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं) शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया था, यहाँ उनका प्रेमपूर्ण मन अपेक्षा करता है कि वे कम से कम अब तो कुछ खुलें, उनके साथ बैठें, उनके साथ

कोई मनपसंद गाना सुनें, उनके साथ फलोदी की गलियों में होकर सुबह घूमने जाएँ, उनके साथ रेतीले टीलों पर खड़ी होकर सूर्योदय के दृश्य का आनंद लें। पर वे यह पाकर निराश होते हैं कि पिछले इक्यावन वर्षों से अपने परिवार और समाज के पारंपरिक रिवाजों में जकड़ी उनकी पत्नी के लिए अपने आपको उनकी इच्छानुकूल बदल पाना आसान नहीं है।

जैसा सभी जानते हैं, शिवरतन थानवी राजस्थान की स्कूल-शिक्षा से बहुत लम्बे समय तक और बहुत गहरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े रहे। 'शिविरा' पत्रिका और 'नया शिक्षक' के यशस्वी संपादक के रूप में उन्होंने इन पत्रिकाओं में अनेक शिक्षकों को पूरी आजादी के साथ हमारी शिक्षा-व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान किए और इस सत्य-कथन के कारण उन पर किसी तरह की आँच नहीं आने दी (पेज-103)। उनके इस योगदान का महत्त्व वे ही लोग पूरी तरह समझ सकते हैं जो सतत आलोचना को जनतांत्रिक पद्धति के एक आवश्यक अंग के रूप में देखते हैं। हमारी शिक्षा-व्यवस्था में वे कई तरह के दोष देखते हैं और अवसर मिलने पर उनकी चर्चा भी करते हैं। शिक्षा में वे परीक्षा और प्रतियोगिता को अत्यधिक महत्त्व दिए जाने के खिलाफ हैं (पेज-63) और इसे ठीक नहीं समझते कि कारणों का ठीक से विश्लेषण किए बगैर केवल लम्बी अनुपस्थिति के कारण किसी राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी का नाम काट दिया जाए (पेज-62)। उनका विश्वास है कि मात्र बी.एड. कर लेना शिक्षक में उस दृष्टि और समझ का विकास नहीं करता (पेज-111)। जो बिना किसी परीक्षा के ही छात्र की शिक्षा का मूल्यांकन करने में समर्थ होती हैं (पेज-18)। शिक्षा में ऐसी प्रेरणा और प्रोत्साहन को वे बहुत से लाल गोले बना कर गलतियाँ निकालने से अधिक कारगर उपाय मानते हैं। रोचक ढंग से शिक्षा देने वाले गिजु भाई और अरविन्द गुप्ता (पेज-91) जैसे शिक्षक उन्हें खास तौर से आकर्षित करते हैं।

शिक्षा को थानवीजी मानव-विकास के एक अनिवार्य साधन के रूप में देखते हैं। पुस्तक के पृष्ठ 53 पर वे कहते हैः ''शिक्षा की अपनी एक अलग शक्ति है। शिक्षा का अपना मूल्य है। गरीब हो चाहे अमीर, नौकरी करे चाहे घर का काम, शिक्षा बिना हमें जीवन-दर्शन नहीं मिल सकता। शिक्षा के बगैर हमें मानवीय मूल्यों की सही पहिचान नहीं हो सकती, परिवर्तन की प्रेरणा या दिशा नहीं मिल सकती।''

थानवी जी की मान्यता है कि हमने शिक्षा की समस्याओं के सम्बन्ध में अपने निजी हल निकालने के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किए। शिक्षा के सम्बन्ध में मौलिक सोच रखने वाले और मौलिक हल सुलझाने वाले बोर्दिया जी एवं प्रो. कृष्णकुमार जैसे शिक्षाविद् उन्हें काफी आकर्षित करते हैं। लोक जुम्बिश जैसी वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थाओं का कायम नहीं रह पाना उन्हें गहरे अवसाद से भर देता है (पेज-65)।

अपने काम को ही शिवरतन जी अपने सबसे बड़े पारितोषिक के रूप में देखते हैं और संस्थागत पुरस्कारों से दूरी बनाए रखने में ही अपना कल्याण समझते हैं (पेज-32)। थानवी जी की इस पुस्तक को ठीक ढंग से पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति यह महसूस किए बिना नहीं रहेगा कि शिवरतन थानवी राजस्थान के उन लोगों में से हैं जिन्हें हम 'धरती का नमक' कह सकते हैं।

मेरे मन में प्रश्न आता है कि थानवी जी की यह पुस्तक पढ़ कर क्या कुछ सामान्य निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं? कोशिश करने पर मैं जिन कुछ निष्कर्षों तक पहुँच पाता हूँ वे ये हैः-

1. यदि हमें अपने देश में वास्तविक परिवर्तन लाना है तो यह आवश्यक है कि सोचने-विचारने वाले लोग केवल हमारे शहरों में निवास नहीं करे। छोटी जगह दरअसल एक प्रकार का लघु विश्व (Microcosm) होता है जहाँ रह कर हमारे समय में हो रहे परिवर्तनों को उसी तरह आसानी से देखा-समझा जा सकता है जिस तरह एक वैज्ञानिक किसी प्रयोगशाला में रह कर देखने में सफल होता है।
2. शिक्षा के लिए हम आज भी मोटे तौर पर एक उधार ली गई प्रणाली पर निर्भर रहे हैं जिसका हमारे देश और इसकी आवश्यकताओं से बहुत कम रिश्ता है। एक निरर्थक शिक्षा-प्रणाली पर हम बहुत साधन बर्बाद कर रहे हैं और हमारी दशा में वास्तविक परिवर्तन ला सकने वाली किसी वैकल्पिक शिक्षा-प्रणाली की कोई गंभीर तलाश नहीं कर रहे हैं। प्रतिबद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों से लैस किसी पुस्तकालय को भी शिक्षा के एक अत्यंत शक्तिशाली साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है (पेज. 104-105)।
3. किसी महत्त्वपूर्ण उद्देश्य का निर्धारण और उसके प्रति समर्पण ही जीवन को सार्थकता प्रदान करता है।
4. हर व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार मानव-जीवन के विकास में किसी न किसी प्रकार का योगदान दे सकता है।
5. मानव का कल्याण केवल एक मानवतावादी, जनतांत्रिक और धर्म-निरपेक्ष सोच में निहित है।
6. अपने लोगों से प्रेम करने वाले और उनका कल्याण चाहने वाले अनुभवी बुजुर्ग फेंक देने लायक कूड़े के थैले नहीं होते, जैसा कि शायद पश्चिमी भौतिकतावादी सभ्यता का अंधानुकरण वाले आज के बहुत से युवा मानने लगे हैं।
7. ज्ञान का मार्ग धर्म और पुण्यार्जन का मार्ग है जो निरंतर उस पर चलने वाले के लिए अंततः एक संतोषप्रद मार्ग साबित होता है।

समीक्षक : सदाशिव श्रोत्रिय
आनंद कुटीर, नई हवेली, नाथद्वारा-313301
मो: 9352723690

हे पुरस्कार! तुझे नमस्कार

लेखक : पूरन सरमा **प्रकाशक** : पंचशील प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर **संस्करण** : 2017 **पृष्ठ संख्या** : 176 **मूल्य** : ₹ 400

'हे पुरस्कार! तुझे नमस्कार' पूरन शर्मा का पंचशील प्रकाशन, जयपुर से प्रकाशित इक्यावन व्यंग्यों का यह सत्रहवां व्यंग्य संग्रह मेरे हाथ में है, इसे पढ़ते हुए मेरे सामने हिन्दी मूर्धन्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी से होती हुई के. पी. सक्सेना, ज्ञान चतुर्वेदी, गिरीश पंकज, प्रेम जनमेजय, अपने राजस्थान के बुलाकी शर्मा सहित अनेक व्यंग्यकारों की लम्बी फेहरिस्त, परम्परा मेरे मानस पटल पर चित्रित होती है। मुझे

सबसे पहले परसाई बहुत याद आते हैं जिन्होंने व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व रचनाओं में व्यंग्य मात्र एक ध्वनि की तरह उपस्थित हुआ करता था वह भी मात्र हास्य के रूप में, उसकी कोई अलग, विशिष्ट पहिचान नहीं थी। आलोचकीय उपेक्षा की वजह से कविता, कहानी, उपन्यास के बरक्स आज भी व्यंग्य हाशिए की विधा ही है फिर भी व्यंग्य न केवल लिखे जा रहे हैं अपितु कुछ व्यंग्यकार लेखकों की व्यंग्य लेखन प्रतिबद्धता बराबर अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराने में कामयाब है। बीकानेर (राजस्थान) में तो इन दिनों जिसे देखो व्यंग्य में हाथ आजमा रहा है जैसे आजकल के कॉमेडी, लॉफ्टर रियलिटी शो मानिंद प्रतिस्पर्द्धा चल रही हो। लेकिन व्यंग्य उतना भी आसान नहीं है मित्रो! जितना इसे कुछ लेखकों ने समझ लिया है। हास्य, उपहास, परिहास, पैरोडी, वक्रोक्ति, उपालंभ, कटाक्ष, विडंबना, ठिठोली, आक्षेप, निंदा, विनोद, रूपक, प्रभर्त्सनाएँ, चुहल, चुटकुला, मसखरी, ठकुरसुहाती, मज़ाक, गाली,गलौज आदि व्यंग्य की श्रेणी में आते तो हैं परन्तु सबके सब समय, स्थान व स्थिति के हिसाब से। परसाई हमेशा व्यंग्य के नाम पर हर भौंडेपन के विरोध में रहे थे। 'सदाचार का ताबीज' की भूमिका में वे व्यंग्य को जीवन की आलोचना, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करने वाला मानते हैं। वे कहते हैं 'जीवन के प्रति व्यंग्यकार की उतनी ही निष्ठा होती है जितनी कि गंभीर रचनाकार की बल्कि ज़्यादा ही। इसमें खालिस हँसना या खालिस रोना जैसी चीज़ नहीं होती।' डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर में लिखते हैं 'व्यंग्य तभी होता है जब कहने वाला अधरोष्ठ में हँस रहा होता है, सुनने वाला तिलमिला उठता है और ज़बाव देना अपने आपको और उपहासास्पद बना लेना हो जाता है।' विद्वानों की इन कसौटियों के साथ-साथ मुझे व्यंग्य 'घाव करे गंभीर' जैसी बात लगती है। 'लिखने से न तो मोनोग्राफ छपता है न पुरस्कार मिलता है। अब मुझे ही देख लो न, मैंने कभी कुछ नहीं लिखा लेकिन अकादमी का अध्यक्ष हूँ। इसलिए यह लिखने- दिखने की बात तो बेकार है। हम लोगों के साथ उठो- बैठो, सम्पर्क बनाओ और हमें भी मानो तो बात जल्दी बन जाती है। अकेले लेखन के बल पर कुछ नहीं होने वाला।' (चक्कर मोनोग्राफ) की ये पंक्तियां बताती हैं कि पूरन सरमा के पास व्यंग्यात्मक कथ्य भरपूर है इसमें एक पात्र के माध्यम से व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को बहुत ही सहज ढंग से बताया गया है। 'कमाऊ बीवी का मारा' व्यंग्य की आरंभिक पंक्ति 'मनुष्य के दु:खद अध्याय की शुरुआत उसके किसी एक अदद औरत के पति बनने के साथ ही शुरु हो जाती है' यह केवल एक व्यंग्य की पंक्ति नहीं होकर स्पष्टत: स्त्री और पत्नी के रूप में लेखक की मानसिकता बताती है कुछ इसी तरह की अटपटी बातें व्यंग्य 'आवश्यकता है पतियों की' 'अग्नि परीक्षा' 'विवाहित आदमी की व्यथा' 'पत्नीः एक अध्ययन' में लगता है पूरन सरमा जी यथार्थ में स्वयं पत्नी पीड़ित हैं। डेढ़- दो पृष्ठों में लिखे इस संग्रह के सारे ही व्यंग्य दरअसल व्यंग्य से अधिक विभिन्न विषयों पर लेखक के पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत विचार ही लगते हैं चाहे वह राजनीति की बात कर रहे हों कि सामाजिक, साहित्य, व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की। वे व्यंग्य करना चाहते हैं 'बिन बरखा मन हर्षा' में मुख्यमंत्री- पी. ए., 'बुद्धिजीवी जी' में 'मुख्यमंत्री' व 'बुद्धिजीवी' के चरित्र पता नहीं किस ग्रह के वासी हैं। दोनों ही यथार्थ के धरातल से कोसों दूर लगते हैं। भाषा की भी एक बानगी 'चाय पी कर वे कृत्य-कृत्य हो गए' 'खुल गयी आँख हार्ट अटैक से' दहेज लोभी, 'किस्सा एक तालीबाज़ का' में चापलूसी, 'लाइलाज बीमारी लेखकों की' में एक ही रचना को कई बार कई जगह छपवाने वाले लेखकों पर सवाल-सफाई को व्यंग्य का आधार बनाया गया है। 'महंगाई की व्यथा' 'मेरा मुद्दा सत्ता प्राप्ति' 'मिलना असली साहित्यकार को पुरस्कार' 'मूर्धन्य साहित्यकार' 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' 'परम मनोहर ग्रीष्म ऋतु आयी' 'पत्नी एक अध्ययन' 'पीड़ा इक्कीसवी सदी के कम्प्यूटर एडीशन की' 'परेशानी परदेसी प्रियतम की' 'रंग खिलाए राशिफल ने' 'साहित्य का नया सपूत' 'साहित्य से उनका संन्यास' 'सूट कथा' 'स्वयंवर आधुनिक सीता का' 'त्रासदी शोक सभाओं की' 'व्यंग्यकार का पाँव' 'विचार गोष्ठी: अभिशाप या वरदान' 'विवाहित आदमी की व्यथा' शीर्षक ही बता देते हैं कि इन में क्या, कैसे व्यंग्य होगा।

जिस तरह कविता को बहुत आसान समझ थोक मात्रा में कविताएँ नित्य क्रिया बनती जा रही हैं, किसी उत्पाद की तरह नित नए कवि पैदा हो रहे हैं इधर के वर्षों में व्यंग्यों, व्यंग्यकारों की भी बाढ़ सी आ गयी है कविता की तरह जिसे देखो व्यंग्य पर कलम चला व्यंग्य का सर कलम करने पर तुला है.. मुझे यह बाढ़ चिंतनीय लगती है डर है इस बाढ़ में व्यंग्य भी कविता की तरह बह न जाए। जैसे हर विषय के वाक्यों को तोड़, कविताई अंदाज़ में सैट कर देना कविता नहीं है वही बात व्यंग्य पर भी लागू होती है यह बात हम लिखने वालों को समझनी होगी, वर्तमान में तो यह और भी अधिक ज़रूरी हो गया है जब पूरा साहित्य ही हाशिए में सिकुड़ कर रह गया है और फेसबुक, व्हाट्स एप के इस दौर में पढ़ने वाले नदारद होते जा रहे हैं। 'हे पुरस्कार! तुझे नमस्कार' में विषय नवीनता का अभाव है आज जब हम डिजिटल इंडिया, कैशलेस, हाईटेक हो रहे हैं, कविता- कहानी में भी नए-नए विषयों पर नवाचार, ट्रीटमेंट हो रहे हैं, इस व्यंग्य संग्रह के अधिकतर व्यंग्य वही पुराने विषय ही लिए हुए हैं, मुझे खेद है कि व्यंग्यकार का सत्रहवां व्यंग्य संग्रह होने के बावजूद इस संग्रह से पूर्व मुझे उनके रचनाकर्म की जानकारी नहीं थी...इस संग्रह को पढ़ अपेक्षा कर सकता हूँ कि व्यंग्यकार को अपने व्यंग्यों में वह धार-मार लानी ज़रूरी है, जिससे वह अपने पूर्ववर्ती व्यंग्यकारों हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल आदि द्वारा स्थापित व्यंग्य के प्रतिमानों से आगे अतिक्रमण करते हुए अपनी नई राह- पहिचान कायम करें।

समीक्षक : **नवनीत पाण्डे**
'प्रतीक्षा' 2-डी-2 पटेल नगर,
बीकानेर-334003
मो. 9413265800

सीकर

श्री ब्रह्मचारी नेमीचन्द गंगवाल रा.उ.मा.वि., पचार दांतारामगढ़ को श्री राम प्रसाद शर्मा (से.नि. प्रोफेसर) द्वारा 101 विद्यार्थियों को स्वेटर प्रदान, श्री पुरुषोत्तम सुरोलिया द्वारा बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थियों को 1,100 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से 22,000 रुपये का चैक प्रदान, इन्हीं द्वारा 55 किलो लड्डू तथा 58 पेन विद्यार्थियों को प्रदान, पुरुषोत्तम सुरोलिया से पारितोषिक स्वरूप 1,100 रुपये भेंट। **रा.उ.मा.वि., खण्डेला** में जनाब रहीम उस्मानी, अब्दुल उस्मानी द्वारा विद्यालय परिसर में 50×30 फीट का टीन शेड का निर्माण करवाया गया। श्री सुरेन्द्र कुमार जैन द्वारा 121 छात्र-छात्राओं को स्वेटर वितरित की गई व 250 किलो मिठाई बाँटी गई, श्री रामपाल (रिटा. कैप्टन) के द्वारा 05 छत पंखे भेंट, श्री हरि प्रसाद यादव से 05ऑफिस चेयर भेंट, श्री भजन लाल (अध्यापक से.नि.) व श्री मुरलीधर व्याख्याता द्वारा माइक सैट विद्यालय को भेंट, श्री भंवर लाल शर्मा (सेवानिवृत्त लि. ग्रेड।।) से एक छत पंखा प्राप्त हुआ। **शहीद जे.पी. यादव रा.मा.वि., नीम का थाना** को शहीद जे.पी. यादव की धर्म पत्नी प्रेम बाई द्वारा वॉल्टाज कम्पनी का 150 लीटर का एक वाटर कूलर भेंट जिसकी लागत 47,000 रुपये। **रा.आ.उ.मा.वि., भगासरां** को श्री आलम अली से वाटर कूलर हेतु 51,000 रुपये चैक प्राप्त हुआ, जाकिर खाँ से एक आर.ओ. प्राप्त हुआ जिसकी लागत 40,000 रुपये, ईश्वर लाल से ट्यूबवेल मोटर प्राप्त हुआ जिसकी लागत 21,000 रुपये, श्री हरफूल सोनी से सीसीटीवी. कैमरा प्राप्त हुआ जिसकी लागत 51,000 रुपये, विद्यालय स्टॉफ से ग्रीन बोर्ड प्राप्त हुए जिसकी लागत 11,000 रुपये, श्री अब्बास खाँ से विज्ञान लैब हेतु 11,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री प्यारेलाल से विज्ञान लैब हेतु 10,100 रुपये प्राप्त हुए, सर्व श्री आलम अली खाँ, अयूब खाँ, जावेद खाँ, सलेम खाँ, ताज मो. खाँ, हरदेवा राम कपूरिया, असलम खाँ, युनुस खाँ (पूर्व प्रधानाचार्य) प्रत्येक से विज्ञान लैब हेतु 5,100 रुपये प्राप्त हुए, सर्व श्री ताज खाँ, आरिफ खाँ, ताज मो. खाँ प्रत्येक से विज्ञान लैब हेतु 5,000 रुपये प्राप्त हुए, सर्व श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत, वैद्य महेशचन्द्र शर्मा, श्री सुरेश कुमार, नबाव खाँ पटवारी, सईद खाँ प्रत्येक से विज्ञान लैब हेतु 3,100 रुपये प्राप्त हुए, युनुस खाँ से विज्ञान लैब हेतु 3,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री मुमताज खाँ से विज्ञान लेब हेतु 2,600 रुपये प्राप्त हुए, श्री मकसूद खाँ से विज्ञान लैब हेतु 2,500 रुपये प्राप्त हुए, सर्व श्री इलियास खाँ, मोइनुद्दीन खाँ, जीताराम, अब्दुल रसीद खाँ, जगदीश, अयूब खाँ, शबीर खाँ प्रत्येक से विज्ञान लैब हेतु 2,100 रुपये प्राप्त हुए। सर्व श्री निजाम खाँ, भँवर लाल, याकूब खाँ प्रत्येक से विज्ञान लैब हेतु 2,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री शौकत खाँ से एक पंखा प्राप्त हुआ जिसकी लागत 1,200 रुपये, सर्व श्री खान मोहम्मद, हवलदार युनुस खाँ, महबूब खाँ, जाफर खाँ, मजीद खाँ थानेदार, लियाकत खाँ, मजीद खाँ, नानूराम, लियाकत खाँ, इशहाक खाँ, तौफिक खाँ, अरसद खाँ प्रत्येक से विज्ञान लैब हेतु 1,100 रुपये प्राप्त हुए, सर्व श्री शौकत खाँ, अरसद खाँ, इलियास खाँ, प्यारे लाल प्रत्येक से विज्ञान लैब हेतु 1,000 रुपये प्राप्त हुए, सर्व श्री मजीद खाँ, असगर खाँ, लियाकत खाँ, अयूब खाँ, इशहाक खाँ, अलीदान खाँ, आबिद खाँ, इशहाक खाँ, द्वारका प्रसाद, सालेह मोहम्मद खाँ प्रत्येक से विज्ञान लेब हेतु 500 रुपये प्राप्त हुए।

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। **-व. संपादक**

हमारे भामाशाह

रा.आ. उ.मा.वि., खेडी राडान को श्री बदरूदीन शेख से 1,51,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, श्री हाजी लियाकत खाँ द्वारा स्पोर्ट्स टी.टी. टेबल इन्वर्टर मय बेटरी प्राप्त हुआ जिसकी लागत 1,00,000 रुपये। समस्त गुर्जर परिवार से 1,00,000 रुपये प्राप्त हुआ, श्री चौधरी बालूराम धायल परिवार से 51,000 रुपये नकद प्राप्त हुआ, कर्नल लक्ष्मण सिंह शेखावत से 51,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री पुष्पेन्द्र कुमार मील अध्यापक व श्रीमती कमला देवी वरिष्ठ लिपिक से 31,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, श्रीमती कमला देवी व.लि. से प्रधानाचार्य कुर्सी, कम्प्यूटर सेट प्राप्त हुआ जिसकी लागत 23,100 रुपये, सर्व श्री विद्याधर सिंह ओला (अध्यापक), हनुमान प्रसाद शर्मा, सुखदेव सिंह शेखावत, रिशालदार मेजर राम सिंह शेखावत, नागरमल शर्मा प्रत्येक से 21,000-21,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, श्री हरफूल सिंह राड़ से एक माइक सेट मय मशीन प्राप्त, जिसकी लागत 11,000 रुपये तथा इन्होंने 21,000 रुपये नकद दिए, सर्व श्री शैतान सिंह, गढ़वाल, प्रकाश वीर राड़, घासीराम पटवारी, सूबेदार मांगू सिंह शेखावत, असगर खाँ, शिव पाल राड़, रामकरण राड़ (शा.शि.), हस्तअली खाँ (पूर्व उप सरपंच), मुस्ताक खाँ प्रत्येक से 11,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, श्री नोरंगलाल सहारण (पूर्व सरपंच) ने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला हेतु 51,000 रुपये दिए। श्री जांगिड़ परिवार से 51,000 रुपये नकद प्राप्त हुए। सर्व श्री मातादीन सरपंच, सुखदेव सिंह शेखावत, सांवरमल गुर्जर, सुबेदार जाफर खान प्रत्येक से 10 टेबल-स्टूल सैट प्राप्त हुए जिसकी लागत अनुमानित 15,000 रुपये, हाजी निजाम खाँ उप-सरपंच से 5 टेबल-स्टूल सैट प्राप्त हुए जिसकी लागत 7,500 रुपये, श्री देवकीनन्दन शर्मा से 21 कुर्सी प्लास्टिक प्राप्त हुई जिसकी लागत 10500 रुपये, श्री सुभाष राड़ से 10 कुर्सी प्लास्टिक प्राप्त हुई जिसकी लागत 5,000 रुपये, समस्त स्कूल स्टॉफ से 40,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, श्री सलीम मिस्त्री से नकद 1,000 रुपये प्राप्त हुए, हाकम अली से 3 कुर्सी प्लास्टिक प्राप्त हुई जिसकी लागत 1,500 रुपये, श्री मदारी खाँ से एक प्रिन्टर प्राप्त हुआ जिसकी लागत 15,000 रुपये, सर्व श्री मनुदीन खाँ (भू.पू. उपसरपंच), नोरंग लाल सहारण, ओम प्रकाश प्रत्येक से 5,100 रुपये प्राप्त हुए, श्री मोहीदीन खाँ से एक वाटर कूलर प्राप्त हुआ जिसकी लागत 25,000 रुपये, श्री अटल सेवा केन्द्र कर्मचारियों व जन प्रतिनिधियों द्वारा चार पंखे प्राप्त हुए जिसकी लागत 4,500 रुपये, श्री रामलाल राड (से.नि.शा.शि.) से एक कम्प्यूटर सेट प्राप्त हुआ जिसकी लागत 25,000 रुपये। **शहीद हरजीराम कालेर रा.मा.वि., बाडलवास (धोद)** को श्री भगवान सिंह शेखावत से एक डेल कम्प्यूटर सैट व यूपीएस. प्राप्त हुआ जिसकी लागत 26,000 रुपये, श्री गोपाल सिंह शेखावत से एच.पी. प्रिन्टर प्राप्त हुआ जिसकी लागत 13,800 रुपये, श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा 84 छात्र-छात्राओं को स्वेटर वितरण जिसकी लागत 16,800 रुपये। **रा.आ.मा.वि., दुगोली पंस. धोद** में नेहरा परिवार के सुरजी देवी, केशरी देवी, श्री प्रहलाद, श्री विजयपाल व पूजा नेहरा ने अपने हिस्से की 45 बीघा जमीन इस विद्यालय को दान की है। **रा.उ.प्रा.वि., जुलियासर** को श्री फतेहसिंह राठौड़ (डाबड़ी), श्री रघुराज सिंह (रतनगढ़), श्री महावीर सिंह (जुलियासर), श्री कपिल सिंह (सीकर), श्री समुद्र सिंह शेखावत (जुलियासर) भामाशाहों द्वारा इस विद्यालय के बच्चों को स्कूल बेग, लंचबॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, वाटर बॉटल, जूते, जुराब तथा स्कूल पोशाकों के साथ बच्चों को फल व लड्डू वितरित किए गए।

करौली

रा.आ.उ.मा.वि., खूबनगर को श्री ओम प्रकाश भारद्वाज पुत्र श्री रामराज भारद्वाज निवासी खूबनगर से एक कम्प्यूटर प्राप्त हुआ जिसकी लागत 31,000 रुपये।

संकलन- प्रकाशन सहायक

शिविरा पत्रिका (मासिक) : अप्रैल 2018 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। वरिष्ठ सम्पादक: डॉ. राजकुमार शर्मा, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

चित्र वीथिका : अप्रैल 2018

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ (चूरू) में राजस्थान की प्रथम ए.टी.एल. के उद्घाटन (27 फरवरी, 2018) अवसर पर उपस्थित निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान श्री नथमल डिडेल के साथ अतिथिगण, विद्यार्थीगण एवं कार्मिक।

राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दांतारामगढ़ (सीकर) में आयोजित गुरु वंदन एवं पूर्व विद्यार्थी संगम (25 फरवरी,2018) कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण, शिक्षाधिकारीवृंद एवं पूर्व विद्यार्थीगण।

नई दिल्ली में आयोजित 'स्वच्छ भारत–स्वच्छ विद्यालय' राष्ट्रीय समारोह में प्रदेश के तृतीय स्थान पर रहने के उपलक्ष्य में माननीय प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्रीमान नरेशपाल गंगवार, शासन सचिव (स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग) राजस्थान सरकार एवं श्रीमान जोगाराम, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद।

राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार–2017 के अन्तर्गत राजीव गाँधी भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर में पुरस्कार वितरण एवं गतिविधि आधारित अधिगम सामग्री विमोचन समारोह (13 मार्च, 2018) की झलकियाँ।